



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052025-262948
CG-DL-E-07052025-262948

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 6, 2025/वैशाख 16, 1947

No. 247]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 6, 2025/VAISAKHA 16, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2025

सं. 44/2025

सा.का.नि. 290(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (सोलहवाँ संशोधन) नियम, 2025 है ।
(2) ये 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे ।
- आयकर नियम, 1962 में, परिशिष्ट-II में, प्ररूप आईटीआर-6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:

प्रश्न	आईटीआर-6	भारतीय आयकर विवरणी [धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कम्पनियों से भिन्न कंपनियों के लिए] [आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखें] (कृपया अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष						
			2	0	2	5	-	2	6

भाग क -साधारण		साधारण												
व्यक्तिगत सूचना	(क1)नाम					(क2) स्थायी खाता सं.								
	(क3) क्या कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन है ?यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें					(क4) कारपरिट पहचान संख्या (का.प.स.) एम. सी. ए. द्वारा जारी								
	(क8) फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं.		(क9)परिसर/भवन/ग्राम कानाम		(क5) निगमन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		(क6) कारबार के प्रारंभ की तारीख(दिन/मास/वर्ष)							
					/ /		/ /							
	(क10) सड़क/मार्ग/डाक घर		(क11) क्षेत्र/अवस्थान			(क7)कंपनी का प्रकार (निशान लगाएं) ☒								
						(i) देशी कंपनी ☐								
						(ii) विदेशी कंपनी ☐								
	(क12) कस्बा/शहर/जिला		(क13) राज्य		(क14) पिन कोड /जिप कोड		यदि पब्लिक कंपनी है तो ☐							
			(क15) देश				6, लिखें , और यदि प्राइवेट कंपनी है तो 7 लिखें (कंपनी अधिनियम की धारा 3 में यथापरिभाषित)							
(क16) कार्यालय की दूरभाष संख्या एसटीडी कोड सहित / मोबाइल नं.-1					(क17) मोबाइल नं.--2					(क18) ई-मेल पता -1				
ई-मेल पता -2														
फाइल करने की प्राप्ति	(क19) (का)	आय का रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख (ड्रॉप डाउन का उल्लेख करें) 1. 31 अक्टूबर 2. 30 नवंबर												
	(क19) (काii)	1. धारा के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखें]												
		2. या धारा के अधीन सूचना के उत्तर में फाइल की गयी है												
	(ख)	यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण/उपांतरित है तो मूल विवरणी फाइल करने की प्राप्ति संख्या और तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)												
		☐ 139(1)-नियत तारीख को या उससे पूर्व ☐ 139(4)- विलंबित, ☐ 139(5)-पुनरीक्षित, ☐ 92गघ- उपांतरित विवरणी, ☐ 119(2)(ख) -विलम्ब की माफी के पश्चात् ☐ 170क- प्राधिकरण अथवा न्यायालय द्वारा आदेश के पश्चात्												
		☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153ग												
		//_												

(ग)	यदि धारा 139(9)/142(1)/148/ 153ग के अधीन नोटिस अथवा धारा 119(2)(ख) या धारा 170क में निर्दिष्ट आदेश के अधीन आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई हो तो कृपया यूनिट संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या तथा ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अधीन भरी गई तो अग्रिम मूल्य निर्धारण करार की तारीख भरें।	/__/_
(घ)	आवासीय प्रास्थिति(निशान लगाएं) ☒ ☐ निवासी ☐ अनिवासी	
(ङ.)	क्या आपने धारा 115खक/115खकक/115खकख के अधीन कराधान का विकल्प चुना है ? (ई फाईलिंग उपयोगिता में डाउनलोड है) (घरेलू कंपनी पर लागू) यदि हां, कृपया नि.व. का वर्णन करें जिसमें उक्त विकल्प का पहली बार प्ररूप (10-झ-ख / 10-झ-ग / 10-झ घ) तथा पावती संख्या के साथ उपयोग किया गया है यदि नहीं , क्या इस वर्ष के लिए विकल्प चुना है? हां/नहीं कृपया प्ररूप 10- झ-ख/ प्ररूप 10--झ-ग/ 10-झ घदाखिल करने की तारीख और पावती संख्या दें	
(च)	क्या पिछले वर्ष 2021-2022 में कुल व्यापारवर्त /सकल प्राप्तियां 400 करोड़ रुपये से अधिक है? (हाँ / नहीं) (घरेलू कंपनी के लिए लागू होना)	
(छ)	क्या निर्धारित देश का या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसके साथ भारत ने धारा 90(1) में निर्दिष्ट करार किया है या केन्द्रीय सरकार ने 90क(1) के अधीन कोई करार किया है का निवासी है ?	
(ज)	अनिवासी की दशा में, क्या भारत में स्थायी स्थापन (पी.ई.) है ? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं	
(झ)	अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस.ई.पी) है ? (चिन्ह) ☒ हां ☐ नहीं कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संव्यवहार से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(ख) में निर्दिष्ट भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या	
(ञ)	क्या निर्धारित से कम्पनियों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहना अपेक्षित है ? यदि हां, कृपया विवरण दें . अधिनियम जिनके तहत रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता है	
	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	(दिन/मास/वर्ष) रजिस्ट्रीकरण सं0
(ट)	क्या कंपनियों के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक नियम) 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के तैयार किए गए हैं/निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं	
(ठ)	क्या निर्धारित की अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं	
(ड)	क्या निर्धारित कम्पनी समापन के अधीन है (सही का निशान)/ ☒ हां ☐ नहीं	
(ढ)	क्या एफ.आई.आई/एफ.पी.आई है? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रीकरण सं0 बताएं	
(ण)	क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581क में यथापरिभाषित उत्पादक कंपनी है ? ☐ हां ☐ नहीं	
(त)	क्या निर्धारित के प्रतिनिधि द्वारा यह विवरणीफाइल की जा रही है ? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें -	
	(1)	निर्धारित के प्रतिनिधि का नाम
	(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्रॉप डाउन का उल्लेख करें)
	(3)	निर्धारित के प्रतिनिधि का पता
	(4)	निर्धारित के प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्यांक/आधार संख्या
(थ)	क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्ट अप के रूप में मान्यताप्राप्त हैं ☐ हां ☐ नहीं	
	1	यदि हां, तो कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आबंटित स्टार्ट अप मान्यता सं. का उल्लेख करें
	2	क्या अन्तर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है ☐ हां ☐ नहीं
	3	यदि हां, तो प्रमाणन संख्या का उल्लेख करें

		4	क्या डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा 5 के अनुसार प्ररूप-2 में घोषणा विवरणी के फाइल किए जाने से पूर्व फाइल की गई है ?	☐ हां ☐ नहीं
		5	यदि हां, तो प्ररूप-2 फाइल करने की तारीख का उल्लेख करें	
	(द)	विधिक अस्तित्व पहचानकर्ता (एल ई आई) ब्यौरे अनिवार्य है (यदि प्रतिदाय 50 करोड़ या अधिक हो)		
		एल ई आई संख्या		तक विधिमान्य
संपरीक्षा सूचना	(ध)	क्या आप सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रूप में मान्यता प्राप्त हैं?		☐ हां ☐ नहीं
		यदि हां, कृपया एमएसएमडी अधिनियम, 2006 के अनुसार आबंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या दें।		
	(क1)	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी है ? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं		
	(क2)	क्या निर्धारित धारा 44कड/44ख/44खख/44खखक/44खखख/44घके अधीन ही आय की घोषणा कर रहा है निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं		
	(क2i)	यदि नहीं, वर्ष के दौरान क्या व्यवसाय की कुल बिक्री/टर्नओवर/सकल प्राप्तियां रु. 1 करोड़ से अधिक या 10 करोड़ से अधिक नहीं है? (निशान लगाएं) हां ☐ नहीं ☐ नहीं, टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक नहीं ☐ नहीं, टर्नआवर 10 करोड़ से अधिक ☐		
	(क2ii)	क2i पर यदि हां का चयन किया गया है, क्या समस्त प्राप्त राशि का कुल योग जिसमें बिक्री टर्नओवर अथवा सकल प्राप्तियां अथवा पूंजीगत खाते जैसे कि पूंजीगत योगदान, ऋण इत्यादि पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान राशि शामिल है, नकद में तथा गैर खाता पेयी चेक/ डी.डी उक्त राशि से पांच प्रतिशत से अधिक न हो	(क2ii)	(निशान लगाएं) हां ☐ नहीं ☐
	(क2iii)	क2i पर यदि हां का चयन किया गया है क्या भुगतान का कुल योग व्यय के लिए सम्मिलित राशि अथवा पूंजीगत खाता जैसे कि परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋण का भुगतान इत्यादि एवं गैर खाता पेयी चेक /डी.डी पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान नकद में उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक न हो?	(क2iii)	(निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं ☐
	(ख)	क्या आप धारा 44कखके अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है ? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं ☐ (प्रणाली को टिप्पणी : यदि टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक हो यह स्वतः ही होना चाहिए)		
		यदि (ख) का हां चयन किया गया है तो निम्नलिखित किस शर्त के अनुसार:		
	(खi)	विक्रम, आवर्त या सकल प्राप्तियां, धारा 44कख में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हैं। (निशान लगाएं) ☒		
	(खii)	निर्धारित धारा 44खख के अधीन आता है किंतु अनुमानित आधार पर आय प्रस्तावित नहीं कर रहा है । (निशान लगाएं) ☒		
	(खiii)	निर्धारित धारा 44खखख के अधीन आता है किंतु अनुमानित आधार पर आय प्रस्तावित नहीं कर रहा है । (निशान लगाएं) ☒		
	(खiv)	अन्य (निशान लगाएं) ☒		
	(ग)	यदि (ख) है तो क्या लेखाओं की लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गई है ? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं ☐		
	(1)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट देने की तारीख का उल्लेख (दिन/मास/वर्ष)		
	(2)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम		
	(3)	लेखा परीक्षक की सदस्यतासंख्या		
	(4)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/फर्म)		
	(5)	स्वत्वाधिकार/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं०		
	(6)	लेखा परीक्षक (संपत्तिक/ फर्म) का स्थायी खाता संख्यांक (पैन) / आधार सं.		
	(7)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख		
	(8)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की पावती संख्या		
	(9)	यू डी आई एन		
(घi)	क्या आप धारा 92ड के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है ? ☐ हां ☐ नहीं			

	(घii)	यदि (घझ) हां है, क्या धारा 93 अ के अधीन खातों को संपरीक्षित किया गया है	☐ हां ☐ नहीं	लेख परीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख दि./मा./वर्ष	पावती संख्या	
	(घiii)	यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें [कृपया अनुदेश 5 देखें] ☐				
		☐	☐	☐	☐	☐
		क्र. सं.	अनुभाग कोड	तारीख (दिन/मास/वर्ष)	पावती संख्या	
धारण स्थिति	ड.	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ?				
		अधिनियम और धारा	(दिन/मास/वर्ष)	अधिनियम और धारा	(दिन/मास/वर्ष)	
	(क)	कंपनी का स्वरूप (यदि नियंत्री कंपनी है तो 1 चयन करें, यदि समानुंगी कंपनी है तो 2 चयन करें), यदि दोनों है तो 3 चयन करें, यदि कोई अन्य है तो 4 चयन करें				
	(ख)	यदि समानुंगी कंपनी है तो, का उल्लेख करें				
		पैन	धारक कंपनी का नाम	धारक कंपनी का पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	
	(ग)	यदि धारक कंपनी है तो समानुंगी कंपनी का उल्लेख करें				
		पैन	समानुंगी कंपनी का नाम	समानुंगी कंपनी का पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	
कारबार संगठन	(क)	समामेलक कंपनी की दशा में, समामेलित कंपनी का उल्लेख करें				
		पैन	समामेलक कंपनी का नाम	समामेलक कंपनी का पता	समामेलन की तारीख	
	(ख)	समामेलित कंपनी की दशा में, समामेलक कंपनी का उल्लेख करें				
		पैन	समामेलित कंपनी का नाम	समामेलित कंपनी का पता	समामेलन की तारीख	
	(ग)	अवीलीन कंपनी की दशा में, परिणामिक कंपनी के ब्यौरे दें				
		पैन	परिणामिक कंपनी का नाम	परिणामिक कंपनी का पता	निर्विलियन की तारीख	
(घ)	परिणामिक कंपनी की दशा में, अवीलीन कंपनी के ब्यौरे दें					
	पैन	अवीलीन कंपनी का नाम	अवीलीन कंपनी का पता	निर्विलियन की तारीख		
प्रमुख व्यक्ति	उन प्रबंध निदेशक, निदेशक, सचिव तथा प्रधान अधिकारियों के ब्यौरे जो पूर्व वर्ष के दौरान कार्यालय में रहे हैं और पात्र व्यक्तियों के ब्यौरे जो विवरणी को सत्यापित कर रहे हैं					

	क्रम सं.	नाम	पदनाम	आवास का पता	स्थायी खाता संख्यांक / आधार सं.	निदेशक की दशा में, एमसीएद्वारा जारी निदेशक पहचान संख्यांक (नि.प.सं.)

शेयरधारक की सूचना	उन व्यक्तियों की विशिष्टियां, जो पूर्व वर्ष में किसी समय दसप्रतिशत से अन्त्यून मतदान शक्ति शेयरधारण के फायदाप्रद स्वामी थे।			
	क्रम सं.	नाम और पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	स्थायी खाता संख्यांक (यदि आबंटित है)

असूचीबद्ध कंपनी के मामले में, प्राकृतिक व्यक्तियों की विशिष्टियां जिन्हें पूर्व वर्ष किसी भी समय मत शक्ति के 10% से अन्त्यून शेयर धारकों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असीमित हितधारी स्वामी थे।	क्रम सं.	नाम	पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	स्थायी खाता संख्यांक / आधार सं.(यदि आबंटित किया गया है)	
	विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया अव्यवहित मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें।					
	क्रमसं.	नाम	पता	निवास का देश	स्थायी खाता संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)	निवास के देश में आबंटित कररदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या
	विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया क्रमांतिम कंपनी मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें।					
	क्रमसं.	नाम	पता	निवास का देश	स्थायी खाता संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)	निवास के देश में आबंटित कररदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या

कंपनी का स्वरूप और	कंपनी का स्वरूप					(निशान लगाएं) ☒
	1	क्या आप आयकर अधिनियम की धारा 2(36क)में यथा परिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी है				☐ हां ☐ नहीं
	2	क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्वाधीनवाली कंपनी है				☐ हां ☐ नहीं

	3	क्या आप ऐसी कंपनी हैं, जिसमें चालीस प्रतिशत से अन्यून शेयर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या उस बैंक के स्वामित्वाधीन किसी निगम द्वारा (एकमात्र रूप से या साथ मिलकर) धारित किए हुए हैं।	☐ हां ☐ नहीं		
	4	क्या आप बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंककारी कंपनी है	☐ हां ☐ नहीं		
	5	क्या आप अनुसूचित बैंक हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी सूची में सम्मिलित बैंक है	☐ हां ☐ नहीं		
	6	क्या आप बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कंपनी है (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा(1) के अधीन स्थापित)	☐ हां ☐ नहीं		
	7	क्या आप गैर बैंककारी वित्तीय संस्थान की कंपनी है	☐ हां ☐ नहीं		
	8	क्या कंपनी सूचीबद्ध है ? यदि हां, कृपया अनुसूची-धज-1 और अनुसूची-कठ-1 को भरना सुनिश्चित करें	☐ हां ☐ नहीं		
	कारबार या वृत्ति की प्रकृति यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति है तो तीन मुख्य कृत्य/उत्पाद उपदर्शित करें (उनसे भिन्न, जो धारा 44कड के अधीन आय की घोषणा करते हैं)				
	क्रम सं.	कोड [कृपया अनुदेश संख्या 7 (i) देखें]	वर्णन		
(i)					
(ii)					
(iii)					
भाग क-तुलन पत्र 31मार्च, 2025 को या सम्मेलन की तारीख को तुलन पत्र					
I	साधारण पूंजी और दायित्व				
साधारण पूंजी और दायित्व	1	शेयरधारक की निधि			
	क	शेयरपूंजी			
		i	प्राधिकृत		का
		ii	पुरोधृत, अभिदत्त और पूर्णतः संदत्त		का ii
		iii	अभिदत्त, किंतु पूर्णतः संदत्त नहीं		का iii
		iv	कुल(का ii + का iii)		का iv
	ख	आरक्षिति और अधिशेष			
	i	पूंजी आरक्षिति			खा
		पूंजी मोचन आरक्षिति			ख ii
		प्रतिभुति प्रीमियम आरक्षिति			ख iii
		डिबेंचर मोचन आरक्षिति			ख iv
		पुर्नमूल्यांकन आरक्षिति			ख v

			vi	शेयर विकल्प बकाया रकमें	खvi					
			vii	अन्य आरक्षिति (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करें)						
				क		viiक				
				ख		viiख				
				ग	कुल (viiक+viiख)	खvii				
				viii	अतिशेष अर्थात लाभ और हानि लेखा के लेखे में अतिशेष (नामपक्ष का अतिशेष ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)			खviii		
			ix		कुल (खi + खii +खiii + खiv + खv +खvi + खvii + खviii) (नामपक्ष का अतिशेष यथा ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)			खix		
			ग	शेयर अधिपत्रों से प्राप्त रकम				1 ग		
			घ	शेयरधारक की कुल निधि (काiv + खix+1ग)				1घ		
			2	शेयर आवेदन की रकम, जिसका आबंटन लंबित है						
			i	एक वर्ष से कम से लंबित है	i					
			ii	एक वर्ष से अधिक से लंबित है	ii					
			iii	कुल (i+ii)	2					
			3	स्थगित दायित्व						
			क	दीर्घकालिक उधार						
				i	बंधपत्र/डिबेंचर					
				क	विदेशी मुद्रा	iक				
					ख	रूपया		iख		
					ग	कुल (iक +ii ख)		iग		
									ii	आवधिक ऋण
क	विदेशी मुद्रा	iiक								
	ख	ऋण रूप में								
1	बैंकों से	ख1								

			2	अन्य से	ख2				
			3	कुल (ख1+ख2)	ख3				
			ग	कुल आवधिक ऋण (iiक+ख3)				iiग	
		iii	आस्थगित भुगतान का दायित्व					iii	
		iv	संबंधित पक्षकारों से निक्षेप (अनुदेशों को देखें)					iv	
		v	अन्य निक्षेप					v	
		vi	संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें)					vi	
		vii	अन्य ऋण और अग्रिम					vii	
		viii	दीर्घकालिक वित्तपोषण पट्टा अनबंध पत्र की परिपक्वता					viii	
		ix	कुल दीर्घकालिक (iग+iiग+iii+iv+v+vi+vii+viii)					3क	
		ख	आस्थगित कर दायित्व (कुल)					3ख	
		ग	अन्य दीर्घकालिक दायित्व						
			i	व्यापार संदेय	i				
			ii	अन्य	ii				
			iii	कुल अन्य दीर्घकालिक दायित्व (i+ii)				3ग	
	घ	दीर्घकालिक विनिधान							
			i	कर्मचारियों के फायदे के लिए विनिधान	i				
			ii	अन्य	ii				
		iii	कुल (i+ii)				3घ		
	ड	कुल स्थगित दायित्व (3क+3ख+3ग +3घ)					3 ड		
	4	चालू दायित्व							
	क	अल्पकालिक उधार							
		i	मांग पर प्रतिसंदेय ऋण						
				क	बैंकों से	ik			
				ख	गैर-बैंककारी कंपनियों से	ikx			
ग				अन्य वित्तीय संस्थाओं से	ig				
घ				अन्य से	igh				

		ड कुल प्रतिसंदेय ऋण, मांगे जाने पर (i+ii+iii+iv+v)			iड	
		ii संबंधित पक्षकारों से प्राप्त निक्षेप (अनुदेशों को देखें)			ii	
		iii संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें)			iii	
		iv अन्य ऋण और अग्रिम			iv	
		v अन्य निक्षेप			v	
		vi कुल अल्पकालिक उधार (iड+ii+iii+iv+v)			4क	
		ख	व्यवसाय संदेय			
		i	एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया	i		
		ii	अन्य	ii		
		iii कुल व्यवसाय संदेय (i+ii)			4ख	
ग	अन्य चालू दायित्व					
		i	दीर्घकालिक ऋण की प्रचलित परिपक्वता	i		
		ii	वित्तपोषण पट्टा अनुबंध पत्र की प्रचलित परिपक्वता	ii		
		iii	उधार पर प्रोद्भूत ब्याज जो शोध्य नहीं है	iii		
		iv	उधार पर प्रोद्भूत और शोध्य ब्याज	iv		
		v	अग्रिम में प्राप्त आय	v		
		vi	असंदत लाभांश	vi		
		vii	प्रतिभुति के आबंटन के लिए आवेदन हेतु प्राप्त हुई रकम तथा प्रतिदाय और उस पर प्रोद्भूत ब्याज के देय	vii		
		viii	असंदत परिपक्व निक्षेप और उस पर प्रोद्भूत ब्याज	viii		
		ix	असंदत डिबेंचर और उसपर प्रोद्भूत ब्याज	ix		
		x	अन्य संदेय	x		
	xi कुल अन्य चालू दायित्व (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii+ix+x)			4ग		
घ	अल्पकालिक उपबंध					
		i	कर्मचारीवृंद के फायदे के लिए उपबंध	i		
		ii	आय-करके लिए उपबंध	ii		

		iii	प्रस्तावित लाभान्श			iii					
		iv	लाभान्श पर कर			iv					
		v	अन्य			v					
		vi	कुल अल्पकालिक उपबंध (i + ii +iii + iv + v)							4 घ	
		ड	कुल चालू दायित्व (4क+4ख + 4ग + 4 घ)							4ङ	
	कुल शेयर और दायित्व (1 घ + 2 + 3ङ + 4ङ)							।			
	II आस्तियां										
	आस्तियां	1	गैर- चालू आस्तियां								
		क	स्थिर आस्तियां								
			i	मूर्त आस्तियां							
क				सकल ब्लाक			ik				
				ख	अवक्षयण			iख			
				ग	ह्रास से हुई हानियां			iग			
				घ	ब्लाक (ik- iख - iग)			i घ			
ii			अमूर्त आस्तियां								
क			सकल ब्लाक			iiक					
			ख	अवक्षयण			iiख				
			ग	ह्रास से हुईहानियां			iiग				
			घ	शुद्ध ब्लाक (iiक- iiख - iiग)			iiघ				
iii			पूंजीगत चालू काम			iii					
iv			विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां			iv					
v	कुलस्थिर आस्तियां (iघ + iiघ + iii + iv)					क v					
ख	गैर-चालू विनिधान										
	i	संपत्ति में विनिधान			i						
	ii	शेयर लिखतों में विनिधान									
	क	सूचीबद्ध शेयर			iiक						

			ख	गैर-सूचीबद्ध शेयर	iiख				
			ग	योग (iiक + iiख)	iiग				
		iii	अधिमान्नी शेयरों में विनिधान			iii			
		iv	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान			iv			
		v	डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान			v			
		vi	पारस्परिक निधियों में विनिधान			vi			
		vii	भागीदारी फर्मों में विनिधान			vii			
		viii	अन्य विनिधान			viii			
		ix	कुल गैर-चालू विनिधान (i + iic + iii + iv + v + vi + vii + viii)					खाix	
		ग	आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)					ग	
घ	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम								
	i	पूंजी अग्रिम			i				
	ii	प्रतिभूतिनिक्षेप			ii				
	iii	संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम (अनुदेश देखें)			iii				
	iv	अन्य ऋण और अग्रिम			iv				
	v	कुल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii + iii + iv)					घ v		
	vi	घv में सम्मिलित दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम , जो							
	क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है			viक				
	ख	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है			viख				
	ग	आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है			viग				
ड	अन्य गैर-चालू आस्तियां								
	i	दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य							
		क	प्रतिभूत, अच्छे समझे गए				iक		
		ख	गैर-प्रतिभूत, अच्छे समझे गए				iख		
		ग	शंकास्पद				iग		

			घ	कुल अन्य गैर-चालू आस्तियां (iक + iख + iग)	iघ			
		ii	अन्य		ii			
		iii	योग (iघ+ ii)					डiii
		iv	ड iii में सम्मिलित कुल गैर-चालू आस्तियां, जो आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक से, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान से या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, देय है			iv		
	च	कुल गैर-चालू आस्तियां (कv+ खix + ग+ घv + डiii)					1च	
2	चालू आस्तियां							
	क	चालू विनिधान						
		i	शेयर लिखितों में विनिधान					
		क	सूचीबद्ध शेयर			iक		
			ख गैर-सूचीबद्ध शेयर			iख		
			ग योग (iक + iख)			iग		
	ii	अधिमानी शेयरों में विनिधान			ii			
	iii	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान			iii			
	iv	डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान			iv			
	v	पारस्परिक निधियों में विनिधान			v			
	vi	भागीदारी फर्मों में विनिधान			vi			
	vii	अन्य विनिधान			vii			
	viii	कुल चालू विनिधान (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)				कviii		
	ख	संपत्ति-सूची						
		i	कच्चा माल			i		
		ii	चालू काम			ii		
		iii	तैयार माल			iii		
		iv	व्यवसाय - स्टॉक (व्यवसाय के लिए अर्जित माल)			iv		
		v	भंडार और स्पेयर			v		
		vi	खुले औजार			vi		

			vii	अन्य	vii		
			viii	कुल संपत्ति-सूची (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)	ख viii		
		ग	व्यापार प्राप्य				
			i	6 मास से अधिक से बकाया	i		
			ii	अन्य	ii		
			iii	कुलव्यवसाय प्राप्य (i + ii + iii)	ग iii		
		घ	नकदी और नकद समतुल्य				
			i	बैंक नकद	i		
			ii	चैक, ड्राफ्ट	ii		
			iii	नकद अतिशेष	iii		
			iv	अन्य	iv		
			v	कुल नकदी और नकद समतुल्य (i + ii + iii + iv)	घ v		
		ङ	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम				
			i	पक्षकारों से संबंधित ऋण और अग्रिम (अनुदेश देखें)	i		
			ii	अन्य	ii		
			iii	कुल अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (i+ii)	ङ iii		
			iv	ङiii में सम्मिलित अल्पकालिक ऋण और अग्रिम , जो			
			क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है	iv क		
			ख	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है	iv ख		
			ग	आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक को , जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है	iv ग		
		च	अन्य चालू आस्तियां				च
		छ	कुल चालू आस्तियां (कviii + खviii + गiii + घv + ङiii + च)				2 छ
		कुल आस्तियां (1च+2छ)				II	

भाग क-तुलन पत्र - भारतीय लेखा मानकों के रूप में		31 मार्च, 2025 को या व्यावसायिक संयोजन की तारीख के अनुसार [एक कंपनी के लिए लागू है, जिसका वित्तीय विवरण कंपनियों के उपाबंध (भारतीय लेखा मानकों) नियम, 2015 में निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में तैयार किए गए हैं]												
I	साधारण शेयर और दायित्व													
1	साधारण शेयर													
	A	साधारण शेयर पूंजी												
		i	प्राधिकृत					का						
		ii	जारी, अभिदत्त और पूरी तरह से भुगतान किया गया					काii						
		iii	अभिदत्त लेकिन पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया					काiii						
		iv	कुल (काii + काiii)					क+iv						
	A	अन्य साधारण शेयर												
		i	अन्य रिजर्व											
			क पूंजी विमोचन आरक्षित					ik						
			ख डिबेंचर विमोचन रिजर्व					ix						
			ग शेयर विकल्प बकाया लेखा					ig						
			घ अन्य (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)					id						
			ड. कुल अन्य भंडार (ik+ ix + ig + id)					id.						
		ii	प्रतिधारित आय (पी और एल के कथन नामें पक्ष का अतिशेष -वीई आंकड़े के रूप में दर्शित)					ii						
		iii	कुल (ख+ड. + ii) (डेबिट शेष राशि को -veआंकड़े के रूप में दिखाया जाएगा)					ख+iii						
		इ	कुल साधारण शेयर (काiv + ख+iii)					1ग						
2	दायित्व													
	A	गैर मौजूदा दायित्व												
	I	वित्तीय दायित्व												

		उधारी							
		क बांड या डिबेंचर							
		1 विदेशी मुद्रा		क 1					
		2 रुपए		क 2					
		3 कुल (1 + 2)				क 3			
		ख उधार अवधि							
		1 विदेशी मुद्रा		ख 1					
		2 रुपया उधार							
		i बैंकों से	i						
		ii अन्य पार्टियों से	ii						
		iii कुल (i + ii)	ख 2						
		3 कुल अवधि उधार (ख 1 + ख 2)				ख3			
		ग आस्थगित संदाय दायित्व				ग			
		घ निक्षेप				घ			
		ड. संबंधित पक्षों से उधार (अनुदेश देखें)				ड.			
		च वित्त पट्टा बाध्यता की दीर्घकालिक परिपक्वता				च			
		छ यौगिक वित्तीय लिखतों की दायित्व घटक				छ			
		ज अन्य उधार				ज			
		झ कुल उधारी (क3 + ख3 + ग + घ + ड. + च + छ + ज)				झ			
		ञ व्यापार उधार				ञ			
		ट अन्य वित्तीय दायित्व (उपबंधों के अधीन ।। में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त)				ट			

	II उपबंध					
	क	कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध	क			
	ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख			
	ग	कुल उपबंध			IIग	
	III आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)				III	
	IV अन्य गैर-तात्कालिक दायित्व					
	क	अग्रिम	क			
	ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख			
	ग	कुल अन्य गैर-वर्तमान दायित्व			IVग	
	कुल गैर-वर्तमान देयताएं (iझ + Iज + iट + IIग + III + IVग)				2क	
	ख	वर्तमान दायित्व				
	I वित्तीय दायित्व					
	i उधार लेना					
	क	मांग पर लौटाने वाले उधार				
		1 बैंकों से	1			
	2 अन्य पक्षकारों से	2				
	3 मांग पर प्रतिपूर्ति कुल उधार (1 + 2)	3				
ख	संबंधित पक्षकारों से उधार		ख			
ग	निक्षेप		ग			
घ	अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		घ			
कुल उधार (क3 + ख + ग + घ)				li		
ii व्यापार देनदारियां				lii		
iii अन्य वित्तीय दायित्व						

			क लंबी अवधि के उधार की चालू परिपक्वता	क				
			ख वित्त पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता	ख				
			ग प्रोद्भूत ब्याज	ग				
			घ अवैतनिक लाभांश	घ				
			प्रतिदेयता के विस्तार की प्रतिभूतियों के आबंटन ड. के लिए प्राप्त आवेदन राशि और उस पर प्रोद्भूत ब्याज	ड.				
			च असंदत्त परिपक्व निक्षेप और उस पर प्रोद्भूत ब्याज	च				
			छ उस पर प्रोद्भूत असंदत्त परिपक्व डिबेंचर और ब्याज	छ				
			ज अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ज				
			झ कुल अन्य वित्तीय दायित्व(क + ख + ग + घ +ड. +च +छ+ज)				liii	
			iv कुल वित्तीय दायित्व(ii +lii +liiii)				liv	
II अन्य चालू दायित्व								
		क अग्रिम में प्राप्त राजस्व	क					
		ख अन्य अग्रिम (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख					
		ग अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ग					
		घ कुल अन्य वर्तमान दायित्व (क + ख +ग)			IIघ			
III उपबंध								
		क कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध	क					
		ख अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख					
		ग कुल उपबंध (क + ख)			IIIग			
IV वर्तमान कर दायित्व (शुद्ध)					IV			
कुल मौजूदा दायित्व (liv + IIघ + IIIग+ IV)					2ख			

कुल साधारण शेयर और दायित्व (1ग + 2क +2ख)					I			
II	आस्तियां							
आस्तियां	1	गैर तात्कालिक आस्तियां						
	क	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर						
		क	सकल ब्लॉक	क				
		ख	मूल्यहास	ख				
		ग	हास हानि	ग				
		घ	शुद्ध ब्लॉक (क- ख -ग)				क घ	
	ख	पूंजीगत कार्य-प्रगति					ख	
	ग	निवेश सम्पत्ति						
	क	सकल ब्लॉक	क					
		ख	मूल्यहास	ख				
		ग	हास हानि	ग				
		घ	शुद्ध ब्लॉक (क- ख -ग)				ग घ	
	घ	साख						
	क	सकल ब्लॉक	क					
		ख	हास हानि	ख				
		ग	शुद्ध ब्लॉक (क- ख)				घ ग	
	ड.	अन्य अमूर्त संपत्ति						
	क	सकल ब्लॉक	क					
		ख	उधारमुक्ति	ख				
		ग	हास हानि	ग				
		घ	शुद्ध ब्लॉक (क- ख -ग)				ड.घ	

		च विकास के अधीन अमूर्त संपत्ति		च	
		छ वाहक संयंत्रों के अतिरिक्त जैविक आस्तियां			
		क सकल ब्लॉक	क		
		ख हास हानि	ख		
		ग शुद्ध ब्लॉक (क- ख)	छग		
		ज वित्तीय आस्तियां			
		I निवेश			
		i साधारण साम्या लिखत में निवेश			
		क सूचीबद्ध साधारण शेयर	ik		
		ख असूचीबद्ध साधारण शेयर	ix		
		ग कुल (ik + ix)	ig		
		ii वरीयता शेयरों में निवेश	ii		
		iii सरकार या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश	iii		
		iv डिबेंचर या बांड में निवेश	iv		
		v म्युचुअल फंड में निवेश	v		
		vi साझेदारी फर्मों में निवेश	vi		
		vii अन्य निवेश(प्रकृति निर्दिष्ट करें)	vii		
		viii कुल गैर-मौजूदा निवेश (ig + ii + iii + iv + v + vi + vii)	ja		
		II स्वीकार योग्य व्यापार			
		क सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	क		
		ख असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ख		
		ग संदिग्ध	ग		
		घ कुल प्राप्य व्यापार	jaII		

			III उधार				
		i	सुरक्षा निक्षेप	i			
		ii	संबंधित पक्षों को उधार (अनुदेश देखें)	ii			
		iii	अन्य उधार	iii			
		iv	अन्य उधार (i + ii + iii)			जIII	
		v	उक्त III में शामिल उधार, जो कि-				
			क कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए	vक			
			ख कारबार या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं	vख			
			आय-कर अधिनियम के खंड 2 (22) (ड) के अनुसार, ऐसे शेयरधारक को शेयर के गफायदेमंद स्वामी या किसी भी समुत्थान या इस तरह के शेयरधारक की ओर से / लाभ के लिए दिया गया है।	vग			
		IV	अन्य वित्तीय आस्तियां				
		i	12 महीनों से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक निक्षेप	i			
		ii	अन्य	ii			
		iii	अन्य वित्तीय आस्तियां का कुल (i + ii)			जIV	
		झ	आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)			I	
		ज	अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति				
		i	पूंजीगत अग्रिम	i			
		ii	पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अन्य अग्रिम	ii			
		iii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii			
		iv	कुल गैर-वर्तमान आस्तियां (i + ii + iii)			ज	

			आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड.) के अनुसार गैर-वर्तमान आस्तियां उक्त झ सहित है जो कि शेयरधारक, शेयर के फायदेमंद मालिक, या इस तरह के शेयरधारक के रूप में किसी भी समुत्थान से या की ओर से / लाभ					
	कुल गैर-मौजूदा आस्तियां (कघ + ख +गघ + घग + ड.घ +च +छग + ज। + ज।। + ज।।। + ज।V + झ + ज)					1		
2	वर्तमान आस्ति							
	क	तालिकाएं						
	i	कच्चा माल			i			
	ii	कार्य प्रगति पर है			ii			
	iii	तैयार माल			iii			
	iv	स्टॉक-इन-ट्रेड (व्यापार के लिए प्राप्त वस्तुओं के संबंध में)			iv			
	v	स्टोर और पुर्जों			v			
	vi	ढीला उपकरण			vi			
	vii	अन्य			vii			
	viii	कुल तालिकाएं (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)				2क		
	ख	वित्तीय आस्तियां						
	।	निवेश						
	i	साधारण शेयर लिखत में निवेश						
		क	सूचीबद्ध साधारण शेयर		i क			
		ख	असूचीबद्ध साधारण शेयर		i ख			
		ग	कुल (i क + i ख)		i ग			
	ii	वरीयता शेयरों में निवेश			ii			

		iii	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश	iii				
		iv	डिबेंचर या बॉन्ड में निवेश	iv				
		v	म्युचुअल फंड में निवेश	v				
		vi	भागीदारी फर्मों में निवेश	vi				
		vii	अन्य निवेश	vii				
		viii कुल वर्तमान निवेश (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)					I	
		II स्वीकार योग्य व्यापार						
		i	सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	i				
		ii	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ii				
		iii	संदिग्ध	iii				
	iv	प्राप्य कुल व्यापार (i + ii + iii)			II			
		III नकद और नकद समकक्ष						
		i	बैंकों के साथ अतिशेष (नकद और नकद समकक्षों की प्रकृति)	i				
		ii	हाथ में चेक और ड्राफ्ट	ii				
		iii	हाथ में पैसा	iii				
		iv	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iv				
		v कुल नकद और नकद समकक्ष (i + ii + iii + iv)				III		
		IV उपरोक्त III के अतिरिक्त बैंक अतिशेष					IV	
		V उधार						
		i	सुरक्षा निक्षेप	i				
		ii	संबंधित पक्षों को उधार (निर्देश देखें)	ii				
		iii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii				
		iv कुल उधार (i + ii + iii)					V	

			v जो उपरोक्त V में शामिल उधार और अग्रिम हैं-				
			क	कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए	vक		
			ख	कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए नहीं	vख		
			ग	आय कर अधिनियम की धारा 2(22)ड. के अनुसार शेयरधारक को दिया, लाभकारी मालिक होने के नाते के शेयर, या किसी भी समुत्थान या ओर से / लाभ का शेयरधारक	vग		
		VI अन्य वित्तीय आस्तियां					VI
		कुल वित्तीय आस्तियां (I + II + III + IV + V + VI)					2ख
		ग	चालू कर आस्तियां (शुद्ध)				2ग
		घ	अन्य मौजूदा आस्तियां				
			i	पूँजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम	i		
			ii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ii		
			iii	कुल			2घ
		कुल चालू आस्तियां (2क+2ख+2ग+2घ)					2
		कुल आस्तियां (1 + 2)					II

भाग क-		वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विनिर्माण लेखा (उस दशा में मद 1 से मद 3 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरें)						
	1	विनिर्माणकारी खाते का विकलन						
	क	प्रारम्भिक तालिका						
		i	कच्ची सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	i				
		ii	प्रगतिशील सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	ii				
		iii	योग (i + ii)			काiii		
	ख	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हों, का योग)					ख	
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी					ग	
	घ	प्रत्यक्ष कर (घां + घाii + घाiii)					घ	
	i	आवक वहन व्यय	i					

		ii	विद्युत् और ईंधन	ii		
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii		
		ड कारखाना अधिव्यय				
		I	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i		
		ii	कारखाना किराया और दर	ii		
		iii	कारखाना बीमा	iii		
		iv	कारखाना ईंधन और विद्युत	iv		
		V	कारखाना साधारण व्यय	v		
		Vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण	vi		
		Vii योग (i+ii+iii+iv+v+vi)				
च	विनिर्माण खाते में किए गए विकलनों का योग (कiii+ख+ग+घ+डvii)				1च	
2	अंत स्टॉक					
i	कच्ची सामग्री	2i				
ii	प्रगतिशील कार्य	2ii				
योग (2i +2ii)				2		
3	व्यापार लेखा में उत्पाद किए गए-अंतरित किए गए माल की लागत (1च - 2)				3	

भाग क - व्यापार लेखा		वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यापार लेखा (उस दशा में मद 4 से मद 12 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरें)									
व्यापार लेख में जमा	4	प्रचालनों से प्राप्त राजस्व									
	क	विक्रय/सकल कारबार की प्राप्तियां (विवरणियों तथा प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)									
		i	माल का विक्रय			i					
		ii	सेवाओं का विक्रय			ii					
		iii	अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)								
		क				iiiक					
			ख				iiiख				
			ग	योग (iiiक + iiiख)			iiiग				
		iv	योग (i + ii + iiiग)					काiv			
	ख	व्यवसाय से सकल प्राप्तियां						ख			
	ग	विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क कर और उपकर									
		i	संघ उत्पाद कर			i					

		ii	सेवा कर	ii			
		iii	मूल्य वर्धितकर/विक्रय कर	iii			
		iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv			
		v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v			
		vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi			
		vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii			
		viii	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	viii			
		ix	योग (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)		गix		
		घ	प्रचालनों से कुल राजस्व (काiv + ख +गix)		4घ		
		5	तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक		5		
6	व्यापार खाते में जमाओं का योग (4घ + 5)		6				
	7	तैयार मालों का आरम्भिक स्टॉक		7			
	8	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)		8			
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)		9			
		i	आवक वहन व्यय	i			
		ii	विद्युत और ईंधन	ii			
		अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii				
		iii			टिप्पण : प्रत्यक्ष कर की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है		
	10	क्रय किए गए माल और सेवाओं के सम्बन्ध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर					
		i	सीमा शुल्क	10i			
		ii	प्रतिरोधी शुल्क	10ii			
iii		विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii				
iv		संघ उत्पाद शुल्क	10iv				
v		सेवा कर	10v				
vi		मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	10vi				
vii		केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii				
viii		राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii				
ix		एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix				
x		संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x				
xi		संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi				
xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii				

11	विनिर्माण खाते से उत्पादित-उपांतरित माल की लागत	11	
12	कारबार/व्यवसाय से लाभ और हानि लेखा में अंतरित सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11)	12	
12क	दिनभर व्यापार से आवर्त	12क	
12ख	दिन भर व्यापार से आय - लाभ व हानि लेख में अंतरित	12ख	

भाग क - लाभ और हानि		वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभ और हानि लेखा (उस दशा में मद 13 से मद 60 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरें)	
लाभ और हानि लेखा में जमा	13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ 12 + 12ख	13
	14	अन्य आय	
	i	किराया	i
	ii	कमीशन	ii
	iii	लाभांश आय	iii
	iv	ब्याज आय	iv
	v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ	v
	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ	vi
	vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ	vii
	viii	धारा 43क के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii
	ix	धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)	ix
	x	कृषि आय	x
	xi	अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)	
	क		xiक
	ख		xiख
	ग	योग (xiक + xiख)	xiग
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)	14xii
	15	लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14xii)	15
लाभ और हानि खाते में विकलन	16	जावक भाड़ा	16
	17	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग	17
	18	विद्युत और ईंधन	18
	19	किराया	19
	20	भवन की मरम्मत	20

21	मशीनरी की मरम्मत	21	
22	कर्मचारियों को प्रतिकर		
i	वेतन और मजदूरी	22i	
ii	बोनस	22ii	
iii	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii	
iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv	
v	छुट्टी यात्रा फायदे	22v	
vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi	
vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii	
viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii	
ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix	
x	कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है	22x	
xi	कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)	22xi	
xii	क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है	xii	हां / नहीं
xiii	यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiii	
23	बीमा		
i	चिकित्सीय बीमा	23i	
ii	जीवन बीमा	23ii	
iii	की-मैन बीमा	23iii	
iv	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी हैं	23iv	
v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)	23v	
24	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय	24	
25	मनोरंजन	25	
26	आतिथ्य	26	
27	सम्मेलन	27	
28	विक्रय संवर्धन, जिसके अधीन प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है	28	
29	विज्ञापन	29	
30	कमीशन		
i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i	
ii	अन्य को	ii	

	iii	योग (i + ii)	30iii	
31	स्वामिस्व			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i	
	ii	अन्य को	ii	
	iii	योग (i + ii)	31iii	
32	तकनीकी सेवाओं के लिए व्यवसायिक/परामर्श फीस/फीस			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i	
	ii	अन्य को	ii	
	iii	योग (i + ii)		
33	होटल, बोर्डिंग, आवास			33
34	विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय			34
35	विदेशी यात्रा व्यय			35
36	प्रवहण व्यय			36
37	टेलीफोन व्यय			37
38	अतिथि गृह व्यय			38
39	क्लब व्यय			39
40	उत्सव समारोह व्यय			40
41	छात्रवृत्ति			41
42	उपहार			42
43	दान			43
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त किराया और कर या संदेय दर और कर (आय पर करों को छोड़कर)			
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i	
	ii	सेवा कर	44ii	
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii	
	iv	उपकर	44iv	
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v	
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi	
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii	
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii	
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है	44ix	

	x	संदत या संदेय कुल दर और कर(44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)											44x		
45	संपरीक्षा फीस												45		
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)														
	i										i				
	ii										ii				
	iii	योग (i + ii)													46iii
47	डूबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी खाता संख्यांक आधार, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए डूबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें)														
	(i1)										47i (1)				
	(i2)										47i (2)				
	(i3)										47i (3)				
पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है कुल (47i(1)+47i(2)+47i(3))											47i				
ii जहां स्थायी खाता संख्यांक/आधार उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) (नाम और पूरे पते का उल्लेख करें)											47ii				
	क्र.सं.	नाम	फ्लैट / द्वार/ ब्लाक सं.	परिसर/ भवन/ ग्राम का नाम	सड़क/ मार्ग/ डाकघर	क्षेत्र/ अवस्थान	कस्बा/शहर/ जिला	राज्य	देश	पिन कोड	जिप कोड	रकम			
	1														
पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है															
	iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)						47iii							
	iv	योग डूबन्त ऋण (47i + 47ii + 47iii)												47iv	
48	डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध													48	
49	अन्य उपबंध												49		
50	ब्याज, अवक्षयण और करों से पहले लाभ [15 - (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]												50		
51	ब्याज														
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत या भारत में सदत									i				

कर और विनियोग के लिए दिए गए उपबंध	ii	अन्य को		ii		
	iii	योग (i + ii)				
	52	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण		52		
	53	करों से पहले शुद्ध लाभ (50 - 51iii - 52)		53		
	54	वर्तमान कर के लिए उपबंध		54		
	55	आस्थगित कर के लिए उपबंध		55		
	56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)		56		
	57	पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष		57		
	58	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)		58		
	59	विनियोग				
	i	आरक्षितियों और अधिशेष में अन्तरण		59i		
	ii	प्रस्तावित लाभांश/अन्तरिम लाभांश		59ii		
	iii	लाभांश पर कर/पूर्वतर वर्षों के लिए लाभांश पर कर		59iii		
	iv	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर क्रियाकलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन आने वाली कंपनियों की दशा में)		59iv		
	v	कोई अन्य विनियोग		59v		
	vi	योग (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)		59vi		
	60	तुलन पत्र में लिए गए अतिशेष (58 - 59vi)		60		
	61	धारा 44कड के अधीन माल वाहकों से प्रकल्पित आय की संगणना				
	क्र. सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड	वर्णन	
		माल गाड़ी का रजिस्ट्रीकरण सं.	क्या स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर ली गई थी	माल गाड़ी की टनभार क्षमता (एमटी में)	उन मासों की संख्या, जिनके लिए माल गाड़ी निर्धारिती के स्वामित्वाधीन था/उसके द्वारा पट्टे पर/किराए पर ली गई थी था	माल गाड़ी के लिए धारा 44कड के अधीन प्रकल्पित आय (12 मेट्रिक टन से अधिक टनभार की दशा में प्रतिमास 1000 रुपये की दर से या अन्यथा 7500 रुपये प्रतिमास की दर से संगणित) या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, इनमें जो भी अधिक हो
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(क)					

		(ख)						
			कुल					
		यथा अपेक्षित पंक्तियों का विकल्प बढ़ाएं (कृपया नोट करें: वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 वाहन से अधिक नहीं होनी चाहिए)						
		(ii)	धारा 44कड के अधीन माल गाड़ी से कुल प्रकल्पित आय [सारणी 61(i) के स्तम्भ (5) का योग]					61(ii)
		टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड के अधीन विहित किए गए से कम है या वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर लिए गए माल गाड़ी का संख्या दस से अधिक है तो धारा 44कख के अधीन लेखाबहियां बनाए रखना या कर संपरीक्षा कराना अनिवार्य है						
लेखाहित मामला	62	ऐसी विदेशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय धारा 44ख, धारा 44खख, धारा 44खखक, धारा 44खखख, 44घ में निर्दिष्ट कारबार से एक मात्र लाभों और अभिलाभों से मिलकर बनती है या जिसका कच्चे हीरे के विक्रय का पात्र कारबार हो (नियम 10नझक देखें), वहां निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें						
	क	सकल प्राप्ति/आवर्त						62क
	ख	शुद्ध लाभ						62ख

**भाग क - विनिर्माण लेखा
भारतीय - लेखा मानक**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विनिर्माण लेखा[ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]

1	विनिर्माणकारी खाते का विकलन					
	क	आरम्भिक तालिक				
	i	कच्ची सामग्री का आरम्भिक स्टॉक	i			
	ii	प्रगतिशील कार्य का आरम्भिक स्टॉक	ii			
	iii	योग (i + ii)			कiii	
	ख	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)			ख	
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी			ग	
	घ	प्रत्यक्ष व्यय			घ	
	i	आवक वहन व्यय	i			
	ii	विद्युत और ईंधन	ii			
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii			
	ड	कारखाना उपरिव्यय				
	i	अप्रत्यक्ष मजदूरी				
	ii	कारखाना किराया और दर				
	iii	कारखाना बीमा				
	iv	कारखाना ईंधन और विद्युत				
	v	कारखाना साधारण व्यय				

		Vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण				
		Vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)			डvii	
	च	विनिर्माण खाते में विकलनों का योग (का+ख +ग +घ +डvii)				1च	
2	अन्त स्टॉक						
	i	कच्ची सामग्री	2i				
	ii	प्रगतिशील कार्य	2ii				
	योग (2i +2ii)						2
3	व्यापार लेखा में उत्पादित-अंतरित माल की लागत (1च - 2)						3

भाग क - व्यापार लेखा भारतीय - लेखा मानक		वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यापार लेखा[ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]				
व्यापार लेखा में जमा	4	प्रचालनों से राजस्व				
	क	विक्रय/कारबार की कुल प्राप्तियां (विवरणियों और प्रतिदायों तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)				
		i	माल का विक्रय	i		
		ii	सेवाओं का विक्रय	ii		
		iii	अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क		iiiंक		
		ख		iiiख		
		ग	योग (iiiंक + iiiख)	iiiंग		
		iv	योग (i + ii + iiiंग)		काiv	
	ख	व्यवसाय से सकल प्राप्तियां				ख
	ग	विक्रीत या प्रदाय की गई माल और सेवाओं के सम्बन्ध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर				
		i	संघ उत्पाद शुल्क	i		
		ii	सेवा कर	ii		
		iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	iii		
		iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv		
		v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v		
		vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi		

व्यापार लेख में देय		vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii			
		viii	कोई अन्य शुल्क कर और उपकर	viii			
		ix	योग (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)				गाix
	घ	प्रचालनों से कुल राजस्व (काiv + ख+गाix)				4घ	
	5	तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक				5	
	6	व्यापार लेखा में जमाओं का योग (4घ + 5)				6	
	7	तैयार माल का आरम्भिक स्टॉक				7	
	8	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)				8	
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)				9	
		i	आवक वहन व्यय	i			
		ii	विद्युत और ईंधन	ii			
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii			
			टिप्पण : प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है				
	10	क्रय किए गए मालों और सेवाओं के सम्बन्ध में संदत या संदेय शुल्क और कर					
		i	सीमा शुल्क	10i			
		ii	प्रतिरोधी शुल्क	10ii			
		iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii			
		iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv			
		v	सेवा कर	10v			
		vi	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	10vi			
		vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii			
viii		राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii				
ix		एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix				
x		संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x				
xi		संदत या संदेय कोई अन्य कर	10xi				
xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)			10xii			
11	विनिर्माण खाते से उत्पादित-अंतरित माल की लागत				11		
12	लाभ और हानि लेखा में अंतरित-कारबार/व्यवसाय से सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11)				12		
12क	दिन भर व्यापार से आवर्त				12क		
12ख	दिन भर व्यापार से आय - लाभ व हानि लेख में अंतरित				12ख		

भाग क - लाभ और हानि		वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभ और हानि लेखा [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]											
भारतीय लेखा मानक													
लाभ और हानि खाता में देय	13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ (12 + 12ख)									13		
	14	अन्य आय											
		i	किराया				i						
		ii	कमीशन				ii						
		iii	लाभांश आय				iii						
		iv	ब्याज आय				iv						
		v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ				v						
		vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ				vi						
		vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ				vii						
		viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)				viii						
		ix	धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)				ix						
		x	कृषि आय				x						
		xi	अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)										
			क				xiक						
			ख				xiख						
			ग	योग (xiक + xiख)			xiग						
		xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)									14xii	
		15	लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14xii)									15	
		16	जावक भाड़ा									16	
		17	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग									17	
		18	विद्युत और ईंधन									18	
		19	किराया									19	
		20	भवन की मरम्मत									20	
		21	मशीनरी की मरम्मत									21	
		22	कर्मचारियों को प्रतिकर										
			i	वेतन और मजदूरी				22i					
			ii	बोनस				22ii					

	iii	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii			
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv			
	v	छुट्टी यात्रा फायदे	22v			
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi			
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii			
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii			
	ix	कोई अन्य निधि में अभिदाय	22ix			
	x	कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है	22x			
	xi	कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)				22xi
	xii	क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है	xiiक	हां / नहीं		
	यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख				
23	बीमा					
	i	चिकित्सीय बीमा	23i			
	ii	जीवन बीमा	23ii			
	iii	की-मैन बीमा	23iii			
	iv	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी हैं	23iv			
	v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)				23v
24	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय				24	
25	मनोरंजन				25	
26	आतिथ्य				26	
27	सम्मेलन				27	
28	विक्रय संवर्धन, जिसके अधीन प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है				28	
29	विज्ञापन				29	
30	कमीशन					
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i			
	ii	अन्य को	ii			
	iii	योग (i + ii)				30iii
31	स्वामिस्व					
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i			

	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			31iii
32	व्यवसायिक/परामर्श फीस/ तकनीकी सेवाओं के लिए फीस				
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			32iii
33	होटल, बोर्डिंग, आवास				33
34	विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय				34
35	विदेशी यात्रा व्यय				35
36	प्रवहण व्यय				36
37	टेलीफोन व्यय				37
38	अतिथि गृह व्यय				38
39	क्लब व्यय				39
40	उत्सव समारोह व्यय				40
41	छात्रवृत्ति				41
42	उपहार				42
43	दान				43
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दर और कर (आय पर कर को छोड़कर)				
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i		
	ii	सेवा कर	44ii		
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii		
	iv	उपकर	44iv		
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v		
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii		
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii		
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है	44ix		
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर(44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)			44x
45	संपरीक्षा फीस				45
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
	i		i		

	ii											ii																
	iii	योग (i + ii)																						46iii				
47	इबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी खाता संख्यांक/ आधार, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए इबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें)																											
	(i1)																						47i (1)					
	(i2)																						47i (2)					
	(i3)																						47i (3)					
	पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है कुल (47i1+47i2+47i3)															47i												
	ii जहां स्थायी खाता संख्यांक/ आधार उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) (नाम और पूरे पते का उल्लेख करें)															47ii												
	क्र.सं.	नाम	फ्लैट / द्वार/ ब्लॉक सं.	परिसर/ भवन/ ग्राम का नाम	सड़क/ मार्ग/ डाकघर	क्षेत्र/ अवस्थान	कस्बा/शहर/ जिला	राज्य	देश	पिन कोड	जिप कोड	रकम																
	1																											
	पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है																											
	iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)															47iii											
	iv	योग इबन्त ऋण (47i + 47ii + 47iii)																						47iv				
48	इबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध																								48			
49	अन्य उपबंध																								49			
50	ब्याज, अवक्षयण और करों से पहले लाभ [15 - (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]																								50			
51	ब्याज																											
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त										i																
	ii	अन्य को										ii																
	iii	योग (i + ii)																						51iii				
52	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण																								52			
53	करों से पहले शुद्ध लाभ (50 - 51iii - 52)																								53			
कर और	54	वर्तमान कर के लिए उपबंध																								54		

	55	आस्थगित कर के लिए उपबंध		55	
	56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)		56	
	57	पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष		57	
	58	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)		58	
	59	विनियोग			
	i	आरक्षितियों और अधिशेष में अन्तरण	59i		
	ii	प्रस्तावित लाभांश/अन्तरिम लाभांश	59ii		
	iii	लाभांश पर कर/पूर्वतर वर्षों के लिए लाभांश पर कर	59iii		
	iv	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर क्रियाकलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन आने वाली कंपनियों की दशा में)	59iv		
	v	कोई अन्य विनियोग	59v		
	vi	योग (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)	59vi		
	60	तुलन पत्र में लिए गए अतिशेष (58 - 59vi)		60	
	61	क ऐसी मदें, जो लाभ और हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएंगी			
	i	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	i		
	ii	परिभाषित फायदा योजनाओं का पुनःपरिमाणन	ii		
	iii	ओसीआई के माध्यम से साम्या लिखतें	iii		
	iv	एफवीपीटीएल में पदाभिहीत वित्तीय दायित्वों के अपने ही जमा जोखिम से सम्बन्धित उचित मूल्य परिवर्तन	iv		
	v	सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक अन्य व्यापक आय के अंश, जिन्हें लाभ और हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाना है	v		
	vi	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	vi		
	vii	उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी	vii		
	viii	योग		61क	
	ख	वे मदें, जो लाभ और हानि के पुनःवर्गीकृत की जाएंगी			
	i	विदेशी प्रचालन की वित्तीय विवरणियों को परिवर्तित करने में विनिमय अंतर	i		
	ii	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखतें	ii		
	iii	नकद प्रवाह नियंत्रण में नियंत्रणकारी लिखतों पर अभिलाओं और हानि का प्रभावी लाभ	iii		
	iv	सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक ओसीआई का अंश, जो लाभ और हानि में वर्गीकृत की जाए	iv		
	v	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	v		

		vi	उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत की जाएंगी	vi		
		vii	योग			61ख
62	कुल व्यापक आय (56 + 61A + 61B)					62

भाग क - अन्य जानकारी		अन्य जानकारी (यदि धारा 44कख के अधीन दायी हो, तो आजापक, अन्य के लिए, यदि लागू हो, भरें)				
अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति (चिह्नित करें) ☒ वाणिज्य ☐ नकद				
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं				
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ XI(3)]	3क			
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ XI(4)]	3ख			
	4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंदस्टाक के मूल्यांकन की पद्धति (व्यवसायों के मामले में वैकल्पिक)				
	क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		☐		
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		☐		
	ग	क्या स्टोक मूल्यांकनपद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं				
	घ	धारा 145(2क) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ			
	ड	धारा 145(2ख) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ड			
	5	लाभ-हानिलेखे में जमा न की गई रकम, जो --				
	क	धारा 28 की परिधिके भीतर आनेवाली मदें हैं	5क			
	ख	प्रोफार्मा जमाओं, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर का प्रतिदाय या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां ऐसे प्रत्यय वापसी या प्रतिदाय सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा शोध के रूप में स्वीकार की जाए	5ख			
	ग	पूर्ववर्षों के दौरान स्वीकृतवृद्धि दावे	5ग			
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ			
ड	पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ड				
च	लाभ-हानिलेखे में जमा न की गई कुलरकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ड)				5च	

6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अननुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानिलेखा में विकलित की गई रकमें			
	क	स्टाक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क	
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1) (iख)]	6ख	
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग	
	घ	उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम [36(1) (iii)]	6घ	
	ङ	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iiiक)]	6ङ	
	च	किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च	
	छ	अनुमोदित अधिवार्षिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
	ज	धारा 80 गगघ में निर्दिष्ट एक पेंशन स्कीम के लिए अभिदाय रकम [36(1)(iv क)]	6ज	
	झ	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	
	ञ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम	6ञ	
	ट	नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि [36(1)(vक)]	6ट	
	ठ	इबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ	
	ड.	इबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)]	6ड.	
	ढ.	किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ.	
	ण	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए [36(1)(ix)]	6ण	
	त	प्रतिभूति के संव्यवहार के संबंध में संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारबार आय में सम्मिलित न किया हो [36(1)(xv)]	6त	

	थ	धारा 145(2) [36(1)(xviii) अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि के लिए चिन्हित	6थ		6ध	
	द	कोई अन्य अननुज्ञेय	6द			
	ध	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ज)				
	न	कंपनी द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुलसंख्या (यदि कंपनी में मान्यताप्राप्त भविष्य निधि है तो आवश्यक)				
		i भारत में अभिनियोजित	i			
		ii भारत के बाहर अभिनियोजित	ii			
		iii कुल	iii			
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें					
	क	पूंजी स्वरूप का व्यय[37(1)]	7क			
	ख	व्यक्तिगत स्वरूप का व्यय[37(1)]	7ख			
	ग	कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्णया रूप से उपगत किया गया व्यय न हो [37(1)]	7ग			
	घ	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]	7घ			
	ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ			
	च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च			
	छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है	7छ			
	ज	कारपोरेट समाजिक दायित्व पर उपगत व्यय (सी.एस.आर.)	7ज			
	झ	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7झ			
	ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञातन की गई कोई अन्य रकम	7ञ			
	ट	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ज का योग)			7	
8	अ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम				
	क	अध्याय 17ख के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक			
	ख	अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क (i क) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अख			
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(iख) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अग			
	घ	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क (iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अघ			

		ड	लाभ के आधार पर उदगृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम 40 क (ii)	अड		
		च	धनकर के रूप में संदत्त रकम 40 क (ii क)	अच		
		छ	धारा 40 क (ii ख) के अनुसार स्वामित्व अनुज्ञप्ति फीस सेवा, फीस आदि के रूप में संदत्त रकम	अछ		
		ज	ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, अथवा धारा [40(ख)/40(खक)]के अधीन स्वीकार्य किसी सहभागी अथवा सदस्य को भुगतान किए गए पारिश्रमिक की राशि	अज		
		झ	कोई अन्य अननुज्ञेय	अझ		
		ञ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग)		8अञ	
	आ		किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40के अधीन अननुज्ञेय किंतु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम		8आ	
9 धारा 40के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें						
	क		धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क		
	ख		धारा 40क(3)के अधीन अस्वीकृति योग पाने वाले के खाते में देय चैक अथवा पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के जरिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का प्रयोग करके अथवा ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भिन्न अदा की गई राशि जिसे विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।	9ख		
	ग		उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क (7)	9ग		
	घ		किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाईटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क (9)	9घ		
	ङ		कोई अन्य अननुज्ञेय	9ङ		
	च		धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (9क से 9ङ का योग)		9च	
10 किसी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किंतु पूर्व वर्षों के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम						
	क		किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकरया फीस के रूप में कोई राशि	10क		
	ख		कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिक निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
	ग		किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग		

	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वर्ग से जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ऐसे ऋण या उधार को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	10घक		
	ङ	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मददे संदेय कोई रकम	10च		
	छ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	10छ		
	ज	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आने वाले किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम के लिए संदेय रकम	10ज		
	झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10ज का योग)	10झ		
	11	पूर्व वर्ष के लाभ-हानि लेखे में विकलित किंतु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिक निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वर्ग से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ऐसे ऋण या उधार को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	11घक		
	ङ	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ		

	च	छुट्टी नकदीकरण मददे संदेय कोई रकम	11च		
	छ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	11छ		
	ज	सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आने वाले किसी सुक्ष्म या लघु उद्यम के लिए संदेय रकम	11ज		
	झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)	11झ		
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम				
	क	संघ उत्पादशुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मूल्यवर्धित कर/विक्रय कर	12ग		
	घ	केन्द्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	12घ		
	ङ	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	12ङ		
	च	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	12च		
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर (यूटीजीएसटी)	12छ		
	ज	कोई अन्य कर	12ज		
	झ	अधिशेष कुल रकम (12क से 12ज का योग)	12झ		
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें				13
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम				14
15	लाभ-हानि लेखे में (शुद्ध) जमा या विकलितपूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम				15
16	धारा 14 के अधीन अननुज्ञात व्यय की रकम				16
17	क्या निर्धारित धारा 92 गड. की उपधारा 2क के अधीन विकल्प का प्रयोग कर रहा है (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं [यदि हां, तो कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]				17

भाग क - मात्रात्मक
ब्यौरे

मात्रात्मक ब्यौरे (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हो, तो आज्ञापक)

मात्रात्मक ब्यौरे	(क)	व्यवसायगत समुत्थान की दशा में			
	1	आरंभिक स्टाक			1
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय			2
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय			3
	4	अंतिम स्टाक			4

	5	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	5	
(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में			
	6	कच्चा माल		
	क	आरंभिक स्टॉक	6 क	
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6 ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग	6 ग	
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6 घ	
	ङ	अंतिम स्टॉक	6 ङ	
	च	प्राप्त तैयार किए गए उत्पाद	6 च	
	छ	प्राप्त का प्रतिशत	6 छ	
	ज	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	6 ज	
	7	तैयार उत्पाद/उपोत्पाद		
	क	आरंभिक स्टॉक	7 क	
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7 ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7 ग	
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7 घ	
	ङ	अंतिम स्टॉक	7 ङ	
	च	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	7 च	

भाग क- ओ एल		समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता			
समापन के अधीन कम्पनी की प्राप्ति	1	आरम्भिक अतिशेष			
		i	हाथ नकदी	1i	
		ii	बैंक	1ii	
		iii	कुल आरम्भिक अतिशेष	1iii	

	2 प्राप्तियां				
	i	ब्याज	2i		
	ii	लाभांश	2ii		
	iii	आस्तियों का विक्रय (कृपया प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	क		2iiiक		
	ख		2iiiख		
	ग		2iiiग		
	घ	कुल (iiiक + iiiख + iiiग)	2iiiघ		
	iv	देय/ऋणी का वसूल करना	2iv		
	v	अन्य (कृपया बताएं क्या राजस्व/पूजीगत/प्रकृति एवं राशि)			
	क		2vक		
	ख		2vख		
	ग	कुल अन्य प्राप्तियां (vक + vख)	2vग		
	vi	कुल प्राप्तियां (2i + 2ii + 2iiiघ + 2iv + 2vग)	2vi		
	3	कुल आरंभिक अतिशेष और प्राप्तियां		3	
	4 संदाय				
	i	प्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4i		
	ii	अप्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4ii		
	iii	लेनदारों को प्रतिसंदाय	4iii		
	iv	कमीशन	4iv		
	v	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			
	क		4vक		
	ख		4vख		
	ग	अन्य संदायों का योग (4vक + 4vख)	4vग		
	vi	कुल संदाय (4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4vग)	4vi		
	5 अंत अतिशेष				
	i	हाथ नकदी	5i		
	ii	बैंक	5ii		
	iii	कुल अंत अतिशेष (5i + 5ii)	5iii		
	6	कुल अंत अतिशेष और संदाय (4vi + 5iii)		6	

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियां (यथा लागू भरे)

अनुसूची एच पी		गृहसंपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्राप डाउन का उपबंधित करें)									
गृहसंपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/शहर	राज्य	देश	पिन कोड / ज़िप कोड					
		क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)									
		संपत्ति में निर्धारित अंश की प्रतिशतता%									
		सहस्वामी (स्वामियों) का नाम	सहस्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या क / आधार सं.			संपत्ति में अंश की प्रतिशतता(%)					
		I									
		II									
		लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ यदि किराए पर हो ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया	किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या (पैन)/आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)			किराएदार(रों) का पैन/टैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)				
		I									
		II									
		क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य				1क				
		ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती				1ख				
		ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर				1ग				
		घ	योग (1ख + 1ग)				1घ				
		ङ	वार्षिक मूल्य (1क - 1घ)				1ङ				
		च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)				1च				
		छ	1च का 30%				1छ				
		ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज (विवरण ई-फाइलिंग उपयोगिता में दिए जाने वाले ड्राप डाउन में भरे जाने हैं)				1ज				
		झ	योग (1छ + 2ज)				1झ				
		ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया / वसूल न होने वाला किराया घटा 30%				1ञ				
		ट	गृहसंपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)				1ट				
			(प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक रूप से ब्यौरा भरें।)								
	2	आय/हानि के माध्यम से पास, यदि कोई हो*				2					
	3	“गृहसंपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय (Σ 1ट + 2) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 2झ का अंक लें)				3					
टिप्पण		यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी खाता संख्यांक/ आधार सं. प्रस्तुत करना आज्ञापक है ।									
		यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है ।									

अनुसूची - बीपी		कारबार या वृत्ति से आय की संगणना				
आय से कारबार या वृत्ति	असट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति					
	1	लाभ और हानिलेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क- पीओर एल की मद 53, 61(iii) और 62(ख) (भाग क- लाभ और हानि भारतीय लेखा मानकों के रूप में की मद 53) (यदि लागू हों)			1	
	2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -चिह्न प्रविष्ट करें) (अनुसूचित ट्रेडिंग खाता या ट्रेडिंग-इंड एस खाता का क्रम संख्या 12बी) (जैसा लागू हो)			2क	
	2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में (-) चिह्न प्रविष्ट करें)			2ख	
3		लाभ और हानि लेखा में जमा आय या पावती को आय के अन्य शीर्ष के अधीन या धारा 115खखच के अधीन या धारा 115खखछ के अधीन या धारा 115खखज के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा	क	गृह संपत्ति	3क	
			ख	पूँजी अभिलाभ	3ख	
			ग	अन्य स्रोत	3ग	
			गा	लाभांश आय	3गा	
			गii	लाभांश आय से भिन्न	3गii	
			घ	115खखच के अधीन	3घ	
			ड	115खखछ के अधीन अधीन	3ड	
			च	धारा 115खखज के अधीन अधिग्रहण की शुद्ध लागत (यदि कोई हो)	3च	
			4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44ख/44खख/44खखक/4खखख/44खखग/44कड./44घ/44घक/44घख/अध्याय 12छ/ पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है (115ख से भिन्न) (ड्रॉपडाउन को उपबंधित करें)		4क
			4ख	धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ		4ख
			4ग	नियम 7, 7क, 7ख (1), 7ख (1क) और 8 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्रॉपडाउन को उपबंधित करें)		4ग
			4घ	कच्चे हीरे बेचने के पात्र व्यवसाय से लाभ (नियम 10नझक देखें)		4घ
			5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है		
		क	फार्म/फर्मों से आय का अंश		5क	

	ख	एओपी/बीओए से आय के शेयर	5ख				
	ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्टकरें)					
		i		गा			
		ii		गाii			
		iii	कुल (गा + गाii)	5गाiii			
घ	कुलआय पर छूट (5क + 5ख + 5गाiii)			5घ			
6	अतिशेष (1- 2क - 2ख - 3 क - 3ख - 3ग - 3घ -3ङ - 3च - 4- 5घ)					6	
7	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो धारा 115खखच के अधीन या धारा 115खखछ के अधीन या धारा 115खखज के अधीन आय से संबंधित है आय के अन्य शीर्ष के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा	क	गृह संपत्ति	7क			
		ख	पूंजी अभिलाभ	7ख			
		ग	अन्य स्रोत	7ग			
		घ	115खखच के अधीन	7घ			
		ङ	115खखछ के अधीन अधीन	7ङ			
		च	धारा 115खखज के अधीन अधिग्रहण की लागत के अतिरिक्त (यदि कोई हो)	7च			
8क	लाभ और हानिलेखा में विकलित व्यय जो कर छूट से संबंधित है			8क			
8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय, जो आय छूट से सम्बन्धित हैं, धारा 14क (भाग क-ओआई का 16) के अधीन अननुज्ञात हैं			8ख			
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 7ङ + 7च + 8क + 8ख)			9			
10	समायोजित लाभ या हानि(6+9)					10	
11	लाभ और हानिलेखा में विकलित अवक्षयण और अपकरण					11	
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण						
	i	धारा 32(1) ii) और धारा 32(1)(ii क) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)		12i			
	ii	धारा 32(1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आय कर नियम की परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं अपनी संगणना करें)		12ii			
	iii	कुल (12i + 12ii)		12iii			
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात लाभ या हानि (10 +11 - 12iii)					13	

14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क- ओआई का 6ध)	14		
15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क- ओआई का 7ट)	15		
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क- ओआई का 8कज)	16		
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानिलेखा में विकलित रकम (भाग क- ओआई का 9च)	17		
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किंतु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय है (भाग क-ओआई का 11झ)	18		
19	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज	19		
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20		
21	धारा 32कग /33कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक /35कखख/ 32कग/40क(3क)/ 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झकके अधीन समझी गई आय	21		
22	धारा 43गक के अधीन समझी गई आय	22		
23	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद	23		
24	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय / कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (फर्मों से आय जिसमें कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन बोनस और ब्याज सहित आय)	24		
25	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में बढ़त या हानि में कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनुसूची क- ओआई का 4घ)	25		
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)			26
27	धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27		
28	धारा 32कग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम	28		
29	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 या 35गगग या 35गगज के अधीन अनुज्ञेय कटौती (अनुसूची इसआर का मद x (4) यदि धारा 35गगग या 35गगज के अधीन रकम लाभ और हानि लेखा की विकलित रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएंगी)	29		
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किंतु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग क- ओआई का 8ख)	30		
31	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43खके अधीन अननुज्ञेय किंतु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क- ओआई का 10झ)	31		
32	कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम	32		

	33	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में कमी या हानि में बढ़त कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (ओआइ का स्तंभ 3क + 4ड)		33		
	34	कुल(27+28+29+30+31+32+33)				34
	35	आय (13+26-34)				35
	36	कारबार या वृत्ति के लाभ या हानि निम्नलिखित के अधीन समझी जाएगी -				
	i	धारा 44कड (अनुसूची लाभ और हानि की 61(ii)ट	36i			
	ii	धारा 44ख	36ii			
	iii	धारा 44खख	36iii			
	iv	धारा 44खखक	36iv			
	vक	धारा 44खखख	36vक			
	vख	धारा 44खखग	36vख			
	vi	धारा 44घ	36vi			
	vii	धारा 44घक	36vii	(प्ररूप 3 ग.ड की मद4)		
	viii	अध्याय-XII-छ (सकल भार)	36viii	(प्ररूप 6 के मद 10 के स्तंभ 7 का कुल योग)		
	ix	आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची (115ख से भिन्न)	36ix			
	x	कुल (36i से 36ix)				36x
	37	सट्टे और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (36 + 36भ)				37
	38	नियम 7क, 7ख या 7ग 8 यदि लागू हो, लागू करने के पश्चात् सट्टे के कारबार या विनिर्दिष्ट व्यवसाय से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू नहीं है तो 35 की वही रकम यथा प्रविष्ट करें (38क + 38ख + 38ग + 38घ + 38ड + 38च)				अ38
	क	नियम 7 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय		38क		
	ख	नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय		38ख		
	ग	नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय		38ग		
	घ	नियम 7ख(1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय		38घ		
	ड	नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय		38ड		
	च	नियम 7क, नियम 7ख और नियम 8 के अधीन (मद सं. 37) से भिन्न आय		39च		
	39	वित्त अधिनियम [4ग -(38क+38ख+38ग+38घ+38ड)] के अनुसार आय के संकलन के प्रयोजन के लिए नियम 7, नियम 7क, नियम 7ख(1), नियम 7ख(1क) और नियम 8 लागू करने के पश्चात् कृषि से प्राप्त हुई समझी गई आय का अतिशेष				39

आसट्टे के कारबार से आय की संगणना			
40	लाभ या हानिलेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	40	
41	धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन	41	
42	धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतीयां	42	
43	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि(40+ 41 - 42) (यदि हानि है तो अनुसूची सीएफएल का अंक 6 xvi/लेँ	आ 43	
इ धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना			
44	लाभ या हानिलेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से कुललाभ या हानि	44	
45	धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार परिवर्धन		
46	धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार कटौतीयां (धारा (i) 35कघ (ii) 32 या 35 जिसमें धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया के अधीन कटौती से भिन्न)	46	
47	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (44 + 45 - 46)	47	
48	धारा 35कघ(1) के अनुसार कटौतीयां	48	
49	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (47 - 48) (यदि हानि हो तो अनुसूची सीएफएल का अंक 7xvii लेँ)	<49	
50	धारा 35कघ की उपधारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को सम्मिलित करते हैं (झाप डाउनमेन्यू से चयन करने के लिए)	<50	
ई लाभ और हानि शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ38+आ43+इ49)			
उ चालू वर्ष में कारबार हानि का अंतःशीर्ष मुजरा			
क्र. सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को उसी दशा में भरें यदि अंक शून्य या सकारात्मक हैं)	कारबार हानि मुजरा
		(1)	(2)
i	हानि का मुजरा(इस पंक्ति को तभी भरें यदि अंकन सकारात्मक है)		(क38)
ii	सट्टे के कारबार से आय	(ख43)	
iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग49)	
iv	धारा 115 ख के अधीन जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(4ख)	
iv क	कच्चे हीरे के विक्रय के पात्र व्यवसाय से विदेशी कंपनी की आय (नियम 10TIA देखें)	(4घ)	
v	कुल हानि मुजरा (ii + iii)		
vi	मुजरा पश्चात् हानि (i - v)		

अनुसूची - डीपीएम

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी			
	2	दर (%)	15	30	40	45
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
	4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
	5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माण				
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
	7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
	8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माण				
	9	रकम जिस पर आधीदर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
	10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
	11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
	12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
	13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
	14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
	15	कुल अवक्षयण * (10+11+12+13+14)				
	16	आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण (स्तंभ 15 के बाहर)				
	17	शुद्ध सकल अवक्षयण (15-16)				
	18	अंतरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षयण (स्तंभ 17 के बाहर)				

19	आस्ति/ आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5+8-3-4-7-19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य* (6+9-15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची डीओए- अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
	2	दर (%)	शून्य	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
	4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
	5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
	7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
	8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
	9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
	10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
	11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
	12	कुल अवक्षयण * (10+11)							
	13	आय-कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण (स्तंभ 12 के बाहर)							
	14	शुद्ध सकल अवक्षयण (12-13)							

15	अंतरवर्तन, सम्मेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षरण (स्तंभ 14 के बाहर)							
16	आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय							
17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं है)							
18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य* (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची - डीईपी

आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

आस्तियों पर अवमूल्यण का सार	1	संयंत्र और मशीनरी				
		क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i जैसा लागू है)	1क		
		ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii जैसा लागू है)	1ख		
		ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii जैसा लागू है)	1ग		
		घ	45 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम-17iv अथवा 18iv जैसा लागू हो)	1घ		
		ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)			1ङ
	2	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)				
		क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii जैसा लागू है)	2क		
		ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii जैसा लागू है)	2ख		
		ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv जैसा लागू है)	2ग		

	घ	भवन पर कुल अवक्षयण(योग (2क + 2ख + 2ग)	2घ	
3		फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v या 15v जैसा लागू हो)	3	
4		अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi जैसा लागू हो)	4	
5		पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii जैसा लागू हो)	5	
6		कुल अवक्षयण (1ड + 2घ + 3 + 4 + 5)	6	

अनुसूची - डीसीजी		अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर समझे गए पूंजी अभिलाभ			
1	संयंत्र और मशीनरी				
	क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20i)	1क		
	ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20ii)	1ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20iii)	1ग		
	घ	45 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए हकदार पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-20iii)	1घ		
	ड	कुल (1क + 1ख + 1ग + 1घ)	1ड		
2	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)				
	क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 17ii)	2क		
	ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 17iii)	2ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 17iv)	2ग		
	घ	योग (2क + 2ख + 2ग)		2घ	
3		फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 17v)		3	
4		अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 17vi)		4	
5		पोत (अनुसूची डीओए 17vii)		5	
6		कुल (1ड + 2घ + 3 + 4 + 5)		6	

अनुसूची - एसएसआर वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती)

क्रम सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकमसे अधिक कटौती की रकम (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ii क)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2कक)			
vii	35(2कख)			
viii	35गगग			
ix	35गगघ			
x	योग			
टिप्पण	यदि धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(iiक) या धारा 35(1)(iii) या धारा 35(2कक) के अधीन किसी कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची दक के अनुसार ब्यौरे दें			

अनुसूची-सीजी		पूंजी अभिलाभ							
पूंजी अभिलाभ पूंजी अभिलाभ लघुअवधि	क	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीसीजी) (उपमद 4 और उपमद 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)							
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक रूप से ब्यौरे भरे)/सह-स्वामित्व की दशा में अपने पूंजी अभिलाभ अंश प्रविष्ट करें							
		क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य				का	
				क्रय/अर्जन की तारीख	दिदि/मामा/वव	विक्रय अंतरण की तारीख	दिदि/मामा/वव		
			ii	स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य				काii	
		iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [यदि (काii) 1.10 गुणा (का), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ों को (का) के रूप में लें या अन्यथा (काii) के रूप में लें]				काiii		
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां					
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				खा	
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii	
			iii	पूर्णतया और अनन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय				ख iii	

				iv	योग (खां + खाii + खाiii)				ख iv				
			ग	अतिशेष काiii - ख iv)					1 ग				
			घ	धारा 54छ/54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)					1घ				
			ड	स्थावर संपत्ति पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (1ग- 1 घ)							क 1 ड		
			च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (टिप्पण देखें)									
				क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैन्/ आधार सं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड	पिन कोड	राज्य		
				टिप्पण ►		यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैन्/ देना अनिवार्य है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें							
			2	स्लंप बिक्री से									
				क	i	नियम 11प.क.ड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य			2का				
					ii	नियम 11प.क.ड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य			2काii				
					iii	प्रतिफल का पूरामूल्य (कां या काii का अधिकतम)			2काiii				
				ख	वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य			2ख					
				ग	स्लंप के विक्रय से लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (2काiii - 2ख)							क 2ग	
			3	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (विदेशी के लिए) के अधीन एसटीटी संदत किया गया है (जहां क4 लागू नहीं होता)					जहां अंतरण 23 जुलाई, 024 से पहले होता है	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् होता है			
				क	प्रतिफल का पूरामूल्य			3 क	3डii				
				ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां								
					i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			खा				
					ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			ख ii				
					iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय			ग iii				
					iv	योग (i + ii + iii)			ख iv				

		ग	शेष(3 क - ख iv)	3ग			
		घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश /आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	3घ			
		ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ग +3घ)	3ङ			क3ङ
		4	अनिवासीयों के लिए जो एफआईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांशों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)				
		क	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) धारा 111क के अधीन (क4का + क4काII) संदत्त किया गया है				
			i	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले होता है	क4का		
			ii	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् होता है	क4काII		
		ख	क्रम संख्या 4ए में शामिल न किए गए शेयरों के विक्रय या डिबेंचर के विक्रय से एसटीसीजी				
						क 4ख	
		5	अनिवासीयो की दशा में-धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (उपर A 3 से भिन्न)				
		क	i	प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्तकंपनी के शेयर सम्मिलित है, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-			
			क	कोट नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरामूल्य *	iक		
			ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iख		
			ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्यके लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	iग		
			ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरामूल्य	काII		
			iii	कुल (iग + ii)	क iii		
		ख	धारा 48 के अधीनकटौतियां				
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खा		

				ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii					
					iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii				
					iv	योग (i + ii + iii)	ख iv				
			ग	शेष (5 क iii- ख iv)					5ग		
			घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/ आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएंगी (केवलसकारात्मकमूल्यदर्ज करें)					5घ		
			ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीटीसंदत्त) (3 ड+3घ)					क 5 ड		
			6	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से							
			क	i	आस्तियों, जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-						
					क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्यप्रतिफल का पूरामूल्य *	ik				
					ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ix				
ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्यके लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरामूल्य (क या ख से अधिक)	ig									
ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरामूल्य	काii									
iii	कुल (ig + ii)	क iii									
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां										
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खाi								
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii								
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii								
	iv	योग (i + ii + iii)	ख iv								
ग	शेष(6 क iii - खाiv)					6 ग					
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)-के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरणके लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश /आय /बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूतहानि की अनदेखी की जाएंगी (केवलसकारात्मकमूल्यदर्ज करें)					6घ					
ङ	अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजी का 6)					6ङ					

		च	धारा 54छ/54छक के अधीन कटौती	6च			
		छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसीजी (6 ग+ 6घ + 6 ङ + 6 च)		क 6छ		
		7	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				
		क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? ☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं				
			क्रमसं.	पूर्ववर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	नईआस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			i	2021-22	54छ/54छक		
			ii	2022-23	54छ/54छक		
			iii	2023-24	54छ/54छक		
		ख	धारा 54 ख /54 घ /54 छ / 54 छक से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				
			धारा (xi+xii+xiii+ख) लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				क7
		8	अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए प्राप्त (अनुसूची पीटीआई भरें) (क8क+ क8ख+क8ग)				क8
		का	15%की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास			क8क/	
		काii	अल्पावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में पास-थू आय/हानि, 20% की दर से प्रभार्य			क8क/ii	
		ख	30% की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास			क8ख	
		ग	लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास			क8ग	

		9	एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है पर डीटीए के अनुसार भारत में दावाकृत कर प्रभार्य												
				क्रमसं..	आय की राशि	उपरोक्त मद सं.. क 1 से क 8 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी प्राप्त है (हो/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर		लागू दर [निम्न-तर(6) या(9)]	
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	
			I												
			II												
नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभार्य है:															
			क	डीटीएके अधीन भारत में एसटीसीजी दावाकृत प्रभार्य कर की कुलराशि										क9क	
			ख	डीटीए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर दावाकृत कर से प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम										क9ख	
			क (क)	1 अक्तूबर, 2024 को या उसके पश्चात् शेयरों के क्रय वापसी पर पूंजी हानि [अल्प कालिक 20 % या 30 % या लागू दर पर] (दावा तभी किया जा सकता है जब धारा 2(22)(च) के तहत संबंधित लाभांश आय की पेशकश की जाती है) (तभी दावा की जा सकेगी यदि धारा (2) (22) (च) के अधीन संबंधित लाभांश आप प्रस्तावित है।)											
दीर्घअवधि पूंजी अभिलाभ		10	कुल लघुअवधि पूंजी अभिलाभ (अ1ड+ अ2ग+ अ3ड+ अ4क+ अ4ख+ अ5ड+ अ6छ + अ7+ अ8- अ9क)										क10		
		ख	दीर्घअवधि पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद, 6, 7 और 8 लागू नहीं हैं)												
		1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (क से च तक प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथक रूप से भरें) (सह स्वामित्व के मामले में, पूंजी अभिलाभ के अपने शेयर भरें)												
		क्रय/अर्जन की तारीख		दिन/मास/वर्ष			विक्रय/अंतरण की तारीख		दिन/मास/वर्ष						
		क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरामूल्य					आ						
			ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य					आii						
			iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृतप्रतिफल का पूरामूल्य [यदि (काii) 1.10 गुणा (का), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़े को (का)के रूप में लें या अन्यथा (काii) लें					आiii						
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां												
			i	बिना सूचीकरण अर्जन की लागत					खा						
			ii	सूचीकरण के साथ अर्जन की लागत (केवल 23 जुलाई, 2024 से पूर्व अंतरण के लिए लागू)					खा क						
			iiख	सुधार की कुल लागत					खाii ख						

				(क) बिना सूचीकरण अर्जन की लागत								
				(ख) सुधार का वर्ष								
				(ग) सूचीकरण के साथ सुधार की लागत (केवल 23 जुलाई, 2024 को पूर्व अंतरणों के लिए ख & ग लागू)	खii ख (ग)							
				पंक्ति जोड़ें								
			iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iii							
			iv	कुल (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया जाता है खाiiक + २खाiiख (ग) + ख iii ; (कुल (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पश्चात् किया जाता है खा + २खाiiख(क) +ख iii)	ख ivi							
		ग		शेष (क iii - ख iv)	1ग							
		घ		धारा 54घ / 54डग/54छ /54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में निर्दिष्ट ब्यौरे)	1घ							
			ड	स्थावर संपत्ति पर दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (1ग- 1 घ)						आ1 ड		
			च	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (टिप्पण देखें)								
				क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैर /आधार नं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता, देश कोड, जिले कोड	पिन कोड	राज्य	
			टिप्पण	यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैर/ आधार नं.देना अनिवार्य है, या दस्तावेज में क्रेता द्वारा उत्कथित । एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें ।								
			छ.-	अचल संपत्ति पर कुल दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (२आ1ड.) जहां अंतरण- (क) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था (23 जुलाई, 2024 से पूर्व अंतरित सभी संपत्तियों पर पूंजी अभिलाभ की राशियां) (ख) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् (23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् अंतरित सभी संपत्तियों पर पूंजी अभिलाभ की राशियां)								
		2	स्लंप बिक्री से						जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 (i) से पूर्व किया गया था।	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 (ii) से पश्चात् किया गया था।		
		क	i	नियम 11प.क.ड (2)के अनुसार उचित बाजार मूल्य					2का			

				ii	नियम 11प.क.ड (3)के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कii						
				iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (कांया क iiका अधिकतम)	2कiii						
			ख	वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य				2ख	(प्ररूप 3इ3आ का 6(ड.))	(प्ररूप 3इ3आ का 6(ड.))		
			ग	शेष (2कiii - 2ख)				2ग				
			घ	धारा 54ड.ग के अंतर्गत कटौती				2घ				
			ड	स्लंप के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (2ग-2घ)				आ2ड.i	आ2ड.ii	ख2ड		
			3	असूचीबद्ध बंधपत्रों या असूचीबद्ध डिबेंचरों के विक्रय से, निवास से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीबद्ध बंध पत्रों से भिन्न) (केवल वहीं होगा लागू जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था)								
				क	प्रतिफल का पूरा मूल्य				3क			
				ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां							
					i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				खi		
					ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii		
					iii	पुर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय				ख iii		
					iv	योग (खi + खii + खiii)				ख iv		
				ग	बंधपत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (3क - 3ख iv)					ख 3ग		
					4	धारा 112(1) के अनुसार, सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्रों से			जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 (i) से पूर्व किया गया था।	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 (ii) को या पश्चात् किया गया था।		
			क	प्रतिफल का पूरा मूल्य		4क						
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां								
				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत		खा					
				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत (जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ था, केवल अतिरिक्त कर की गणना के प्रयोजन के लिए लागू है जिसे 112(1) के परंतुक के अनुसार ध्यान नहीं दिया जाएगा)							
				ii	सूचीकरण के साथ सुधार की लागत		खii					
				ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत (जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ था, केवल अतिरिक्त कर की गणना के प्रयोजन के लिए लागू है जिसे 112(1) के परंतुक के अनुसार ध्यान नहीं दिया जाएगा)							
			iii	पुर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय		खiii						

			iv	कुल (जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ था, खा +खाii + खाiii) (जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ था, खा +खाii + खाiii)	खाiv							
			ivक	कुल (खाक + खााक + खाiii) (धारा 112(1) के उपबंध के अनुसार अधिकता की गणना के प्रयोजन के लिए) (जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ हो, वहां लागू)	खाivक							
			ग	ख4 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ जहां अंतरण (4क - 4ख iv) i. 23 जुलाई 2024 से पूर्व, ii. 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात्						आ4ग		
			गक	उपरोक्त ख4 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था (4गक -खाivक) (धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार अतिरिक्त कर की गणना के उद्देश्य के लिए)						आ4गक		
			घ	धारा 112(1)(क) (ii) (क) या 112(1) (ग) (ii) (क) के अनुसार कर [सूचीकरण के साथ 20% पर एलटीसीजी] [B4(गI)*20%] (जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था लागू होगा)						आ4घ		
			ड.	धारा 112(1) के पहले परंतुक के अनुसार कर [सूचीकरण के बिना 10% पर एलटीसीजी] [ख4(गक)*10%] (जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था, लागू होगा)						आ4ड.		
			च	अतिरिक्त राशि जिसे धारा 112(1) [ख4(घ) - ख4(ड.)] के पहले परंतुक के अनुसार ध्यान नहीं दिया जाना अपेक्षित है (जहाँ अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था लागू होगा)						आ4च		
			5	किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की इकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है								
				उपरोक्त ख5 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची 112क का स्तंभ 14)						आ5		
			i	स्तंभ 14 का योग जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ था						आ5i		
				ii	स्तंभ 14 का योग जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ था						आ5ii	
			6	अनिवासीयो के लिए- भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)								
				सूचीकरण लाभ के बिना गणना की गई एलटीसीजी, जहाँ हस्तांतरण था						आ6		
				i. 23 जुलाई 2024 से पूर्व - सूचीबद्ध डिबेंचर						आ6i		
				ii. 23 जुलाई 2024 से पूर्व - सूचीबद्ध डिबेंचर के अतिरिक्त						आ6ii		
			iii. 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् (केवल सूची-असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर)						आ6iii			

7	अनिवासीयों के लिए- (i) धारा 112(1)(ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों			जहां स्थानांतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ हो (i)	जहां स्थानांतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ हो (ii)
	(iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंधपत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियां				
	टिप्पण: क्रम संख्या (iv) के लिए, स्थानांतरण की तिथि के आधार पर आय का विवरण आवश्यक नहीं है।				
	क	i	प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-		
		क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरामूल्य *	i	क
		ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख	
		ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरामूल्य (क या ख से अधिक)	ग	
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरामूल्य	क	ii
		iii	कुल (ग + ii)	क	iii
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख	i	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख	ii	
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख	iii	
	iv	योग (ख + ख ii + ख iii)	ख	iv	
ग	अनिवासीयों की दशा में आस्तियों पर उपर 7 पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (क iii - ख iv)				आ7ग
	(i) जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ था [7(i), 7(ii) और 7(iii) के लिए लागू				आ7गा
	(ii) जहां अंतरण 7(i), 7(ii) और 7(iii) के लिए 23 जुलाई को या उसके पश्चात् हुआ था				आ7गाii
	(iii) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों की बिक्री से				आ7गाiii
8	अनिवासियों के लिए किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की ईकाई से जसि पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है				
	उपरोक्त ख8 पर पूंजीगत आस्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ (धारा 115कघ(1)(ख)(iii) का स्तंभ 14) (8ii+8ii)				आ8

		i	स्तंभ 14 का योग जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ था	आ8i		
		ii	स्तंभ 14 का योग जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ था	आ8ii		
	9	आस्तियों के विक्रय से जहां उपरख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं		जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था(i)	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् हुआ हो(ii)	
	क	i	आस्तियाँ जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-			
		क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरामूल्य	क		
		ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख		
		ग	पूँजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरामूल्य (क या ख से अधिक)	ग		
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरामूल्य			
		iii	कुल (ग + ii)	क iii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
		i	23 जुलाई 2024 से पूर्व अंतरण के लिए सूचीकरण के साथ अधिग्रहण की लागत और 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् अंतरण के लिए सूचीकरण के बिना	ख i		
		ii	23 जुलाई 2024 से पूर्व अंतरण के लिए सूचीकरण के साथ सुधार की लागत और 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् अंतरण के लिए इंडेक्सेशन के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii	पुर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग	शेष (9 क iii - ख iv)		9ग		
	घ	धारा 54घ/धारा 54छ /धारा 54क के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे निर्दिष्ट करें)		9 घ		

		उपरोक्त ख9 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ जहां स्थानांतरण (9ग-9घ) था			आ9ड आ9ड1 आ9ड11																													
	ड	i. 23 जुलाई, 2024 से पूर्व ii. 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्																																
	10	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि																																
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्षके लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? ☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदिहां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं																																
		<table> <tr> <th>क्रम सं.</th><th>पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है</th><th>वह धारा जिसके अधीन उस वर्षमें जिसमें कटौती का दावा किया गया है।</th><th>नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई</th><th>पूँजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि</th><th>नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि</th><th>क्या सीमा/वापसी की तारीख 23 जुलाई, 2024 से पूर्व थी</th></tr> <tr> <td>i</td><td>2021-22</td><td>54घ/54छ/54छक</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ii</td><td>2022-23</td><td>54घ/54छ/54छक</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>iii</td><td>2023-24</td><td>54घ/54छ/54छक</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्षमें जिसमें कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई	पूँजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि	क्या सीमा/वापसी की तारीख 23 जुलाई, 2024 से पूर्व थी	i	2021-22	54घ/54छ/54छक					ii	2022-23	54घ/54छ/54छक					iii	2023-24	54घ/54छ/54छक								
क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्षमें जिसमें कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई	पूँजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि	क्या सीमा/वापसी की तारीख 23 जुलाई, 2024 से पूर्व थी																												
i	2021-22	54घ/54छ/54छक																																
ii	2022-23	54घ/54छ/54छक																																
iii	2023-24	54घ/54छ/54छक																																
	ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई रकम																																
	i	जहां मानित पूंजीगत अभिलाभ 23 जुलाई 2024 से पहले उत्पन्न हुआ हो	आ1																															
	ii	जहां मानित पूंजीगत अभिलाभ 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् उत्पन्न हुआ हो	आ11																															
		दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई रकम (कxi+कxii+कxiii+ख)																																
		i. जहां मानित पूंजीगत अभिलाभ 23 जुलाई 2024 से पहले उत्पन्न हुआ ii. जहां मानित पूंजीगत अभिलाभ 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् उत्पन्न हुआ				आ10																												
	11	दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें)(आ12क1+आ12क2 +आ12ख)				आ11																												
	क1(i)	धारा 112क के अंतर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	आ11क1(i)																															
	क1(ii)	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में पास-थू आय/हानि, धारा 112आ के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य	आ11क1																															
	क2(i)	धारा 112क को छोड़कर 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधिक पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	आ11क2(ii)																															
	क2(ii)	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में पास-थू आय/हानि, धारा 112आ के अन्य धाराओं के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य	आ11क2																															

		ख	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ के रूप में पास थू आय20 प्रतिशत की दर से प्रभार्य						आ11ख			
12	एलटीसीजी की रकम जो ख1- ख11 में सम्मिलित है पर डीटीए के अनुसार भारत में दावाकृत कर प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभार्य है: (अनुसूची एसआई को लिया जाना है)											
	क्रमसं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. ख1 से ख 11 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो शून्य लिखें)	क्या टीआरसीप्राप्त है (हो/नहीं)	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर(6) या (9)ट		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	I											
	II											
		क	डीटीएके अधीन दावाकृत एलटीसीजी कर प्रभार्य नहीं है की कुलराशि								ख12क	
		ख	डीटीए के अनुसार भारत में दावाकृत विशेष दर पर कर प्रभार्य एलटीसीजी की कुल राशि								ख12ख	
	ख(क)	01 अक्टूबर, 2024 को या उसके पश्चात् शेयरों की खरीद पर पूंजीगत हानि [गैर-निवासियों के लिए धारा 115कघ के अधीन आने वाले लेन-देन के लिए दीर्घकालिक 12.5% या 10%] (केवल तभी दावा किया जा सकता है जब धारा 2(22)(च) के अधीन संबंधित लाभांश आय की पेशकश की जाती है)								ख(क)		
		13	कुल दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ [ख 1ड +ख 2ड +ख 3 ग +ख 4 ग +ख 5 +ख 6 +ख 7 ग +ख 8 + ख9ड + ख 10 + ख 11 - ख12क + ख(क)] (यदि क्षति हो तो ख13 को शून्य के रूप में लें)								ख 13	
	ग1	पूंजीगत अभिलाभ आय की राशि (नीचे दी गई सारणी ड. के 11ii+11iii+11iv+11v+11vi+11vii+11viii+11ix+11x)								ग1		
	ग2	आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण से आय (अनुसूची 5घक की मद संख्या ख)								ग2		
	ग3	“पूंजीगत अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (ग1+ग2)								ग3		
	घ	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती की जानकारी										

1	धारा 54घ / धारा 54डग/ धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दें			
	क	धारा 54 घ के अधीन दावाकृत कटौती		
	i	मूल आस्ति के अर्जन की तारीख	का	दिन/मास/वर्ष
	ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि/भवन के क्रय/निर्माण की लागत	क ii	
	iii	नए भूमि या भवन के क्रय की तारीख	क iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख से पहले पूंजी अभिलाभ योजना में जमा राशि	क iv	
	ivक	जमा करने की तारीख	ivख	ivग आई एफ एस खाता सं.
	v	दावाकृत कटौती की राशि	क v	
	ख	धारा 54 डग के अधीन दावाकृत कटौती		
	i	मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख	खi	दिन/मास/वर्ष
	ii	विनिर्दिष्ट /अधिसूचित बंध पत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास लाख से ज्यादा नहीं)	ख ii	
	iii	निवेश की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	दावाकृत कटौती की राशि	ख iv	
	ग	धारा 54 छ के अधीन दावाकृत कटौती		

		ग	धारा 54 छ के अधीन दावाकृत कटौती		
		i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख	गा	दिन/मास/वर्ष
			नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत	ग ii	
			शहरी क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में खरीदी/बनाई गई आस्ति की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष
			नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि	ग iv	
		ivक	जमा करने की तारीख	ivख खाता सं.	ivग आई एफ एस कोड
		v	दावाकृत कटौती की राशि	ग v	
		घ	धारा 54 छक के अधीन दावाकृत कटौती		
		i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख	घा	दिन/मास/वर्ष
			नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत	घ ii	
			एसईजेड में नई आस्ति के क्रय निर्माण की तारीख	घ iii	दिन/मास/वर्ष
			नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि	घ iv	
		ivक	जमा करने की तारीख	ivख खाता सं.	ivग आई एफ एस कोड

ड	पूँजी अभिलाभ चालू वर्ष की पूँजी हानि को चालू वर्ष के पूँजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना(क9क तथा ख 12क में सम्मिलित राशि को छोड़कर जो डीटीए के अंतर्गत प्रभार्य नहीं है)												
	क्रम सं.	पूँजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष का पूँजी अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरें)	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ हानि					घर्कालिक पूँजी अभिलाभ हानि				मुजराई के पश्चात् चालू वर्ष का अतिशेष पूँजी अभिलाभ (11 =1-2-3-4-5-6-7-8-9-10)
				15%	20%	30%	लागू दर	डीटीए दरें	10%	12.50%	20%	डीटीए दरें	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	i	मुजराई की जाने वाली हानि (इस स्तंभ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक नकारात्मक हों)		(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)	(अ3ड.ii*+ अ4कii*+ अ8कii*+ अ(क))	अ5ड* + अ8ख*	(अ1ड*+ अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)	(अ3ड.ii*+ अ4कii*+ अ8कii*+ अ(क))	अ5ड* + अ8ख*	(अ1ड*+ अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)			
	ii	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ	15%	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)									
	iii		20%	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*+ अ(अ))									
	iv		30%										
	v		लागू दर	(अ5ड*+ अ8ख*+ अ(अ))									
	vi		डीटीए दरें	(अ1ड*+ अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)									
	vii	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ	10%	अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ* + अ7*+ अ8ग* अ(अ))									
	viii		12.50%										
	ix		20%	अ9ख*									
	x		डीटीए दरें	(आ5i*+ आ6ii*+ आ7gii*+ अ8ख*+ अ9ख*+ अ(अ))									
	xi	मुजराई की गई कुलहानि (ii+iii+iv +v+vi+vii+viii+ix+x)											
	xii	मुजराई के बाद शेष हानि (i –xi)											
इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (अ1ड.*) स्तंभ (अ1-अ8) समान प्रतिभूतियों के साथ मुजरा के पश्चात् है और में क्रमशः संग्रहित एसटीसीजी की वह रकम है जिसमें एसटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है ।													
इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (अ1ड.*) स्तंभ (अ1-अ11) समान प्रतिभूतियों के साथ मुजरा के पश्चात् है और में क्रमशः संग्रहित एलटीसीजी की वह रकम है जिसमें एलटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है ।													

च पूँजी अभिलाभ के उद्भूत/प्राप्ति के विषय में सूचना						
	पूँजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)
च	1 15% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक अवधि पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
	2 अल्पकालिक पूँजीगत लाभ पर 20% की दर से कर लगेगा। यदि कोई हो तो अनुसूची बीएफएलए की मद 5viख से मूल्य भरें।					
	3 30% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक अवधि पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो.					
	4 लागूदर से प्रभार्य अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5viii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
	5 डीटीए की दर पर करादेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5ix से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
	6 10% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xक से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
	7 12.5% की दर से कर योग्य दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ। यदि कोई हो तो अनुसूची बीएफएलए के मद 5xख से मूल्य भरें।					
	8 20% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
	9 डीटीए की दर पर करादेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					

i. स्तंभ 14 का योग जहां स्थानांतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ था															
ii. स्तंभ 14 का योग जहां स्थानांतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात हुआ था															
iii. धारा 112क के अधीन LTCG का योग															

अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक		कंपनी में इक्विटी शेयर या निधि उन्मुख इक्विटी की इकाई अथवा कारबार न्यास की इकाई के विक्रय से जिन पर धारा 115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक के साथ पठित धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत किया गया है।													
क्र.सं.	अर्जित शेयर/यूनिट (31 जनवरी 2018 को या उससे पूर्व/पश्चात में)	शेयर/र/यूनिट हस्तांतरित (23 जुलाई 2024 से पूर्व/उसके पश्चात)	आईएसआईएन कोड	शेयर/यूनिट का नाम	शेयर/यूनिट की संख्या	बिक्री मूल्य प्रति शेयर/यूनिट	प्रतिफल का पूरा मूल्य, यदि शेयर्स 31.0 1.20 18 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत 8 अथवा 9 उच्चतर	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि परिसंपत्ति 01-2-2018 से पूर्व अधिग्रहित की गई थी	31 जनवरी 2018 को उचित बाजार मूल्य प्रति शेयर यूनिट	धारा 56 2 क के अनसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य 4 से 10	अनुसरण के संबंध में पूर्णतया तथा विशेषकर व्यय	कुल कटौतियां 3 7	शेष(6-13) - आईटम्स 8 काएलटीसीजीशेड यूएल का आईटी आर 6
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 1क)	(स्तंभ 1ख)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)	(स्तंभ 8)	(स्तंभ 9)	(स्तंभ 10)	(स्तंभ 11)	(स्तंभ 12)	(स्तंभ 13)	(स्तंभ 14)

भ															
1)															
1															
2															
	पंक्तियां जोड़े														
	i. स्तंभ 14 का योग जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ था														
	ii. स्तंभ 14 का योग जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ था														
	iii. 115कघ(1)(ख)(iii)- परंतुक के साथ पठित धारा 112क के अधीन एलटीसीजी का योग														

अनुसूची वीडिए		आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (टिप्पण: प्रत्येक संव्यवहार का ब्यौरा भरा जाए जिसमें प्रत्येक 'अंतरण' एक संव्यवहार है।)				
क्रम सं.	अधिग्रहण की तारीख	अंतरण की तारीख	पूँजी अभिलाभ का प्रकार (अल्पकालिक/ दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा 56(2)(x) के अधीन राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आम (हानि के मामले में शून्य दर्ज करें)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
सम्मिलित पंक्तियां						
क. कुल (स्तंभ 7 में कारबार आय की समस्त सकारात्मक आय की राशि)						(अनुसूची बी पी का मद सं .3 च)
ख. कुल (स्तंभ 7 में पूँजी अभिलाभ की समस्त सकारात्मक आय की राशि)						(अनुसूची सी जी का मद सं .सी 2)

अनुसूची-अन्य स्रोत						
1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1				
	क लाभांश, सकल (का + काii + काiii)	1क				
	i (ii) और (iii) के अतिरिक्त लाभांश आय	का				
	ii धारा 2(22)(ड) के अधीन लाभांश आय	काii				
	iii. धारा 2(22)(च) के अधीन लाभांश आय	काiii				
	ख ब्याज, सकल (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv)	1ख				
	i बचत बैंक खाता	खा				
	ii जमा राशि (बैंक/ डाकखाना/ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी)	खाii				
	iii आय कर प्रतिदाय से	खाiii				
	iv आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खाiv				
	v अन्य	खv				

ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय		1ग		
	धारा 56 (2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घा + घाii + घाiii + घाiv + घाv)		1घ		
	i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घा		
	ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घाii		
	iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क	घाiii		
	iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घाiv		
	v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार	घाv		
	1ड	कोई अन्य आय कृपया प्रकृति का उल्लेख करें			
	क्रम सं	प्रकृति	राशि		
	1	धारा 56(2)(xii) में निर्दिष्ट अनुसार पूर्व वर्ष के दौरान इकाई धारक द्वारा किसी कारबार न्यास से प्राप्त कोई विनिर्दिष्ट राशि।	1		
पक्ति जोड़े					
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2का + 2काii + 2ख + 2ग + 2घ + 2ड क्रम सं 1 से संबंधित)				2
का	लाटरी वर्ग पहली दौड़, कार्ड गेम इत्यादि की जीत के रूप में आय धारा 115खख	2का			
	काii धारा 115खख के अधीन आनलाईन गेम जीतने के माध्यम से प्रभार्य आय	2काii			
	ख धारा 115खख के अधीन प्रभार्य आय (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv + खvi)	2ख			
	i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खा		
	ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खाii		
	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खाiii		
	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खाiv		
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv		
	vi	धारा 69घ के अधीन हंडी पर उधार ली गई रकम या	खvi		
	ग	विशेष दर पर प्रभार्य कोई आय (ग/से गxxiii का कुल योग)		2ग	
i	धारा 115 क(1)(क)(क) के परंतुक से भिन्न, धारा 115 क(1)(क)(ii) के अधीन विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	गा			
	धारा 115 क(1)(क)(क) के परंतुक के अधीन प्रभार्य धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी इकाई से अनिवासी (गैर कंपनी) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	गाक			
	ii धारा 115 क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या विदेशी करेंसी श्रृण पर भारतीय समुन्यान से प्राप्त ब्याज	ग ii			
	iii धारा 115 क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना श्रृण निधि से प्राप्त ब्याज	ग iii			
	iv धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज	ग iv			
	v धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) के परंतुक @4% में निर्दिष्ट ब्याज	ग v			
	vi धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठघ में निर्दिष्ट ब्याज	ग vi			
	vii धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठख में निर्दिष्ट वितरित आय जो ब्याज है	ग vii			

			viii	धारा 115क(1)(क)(iii)के अधीन प्रभार्य यूटीआई की इकाई या धारा 10 (23घ)में विनिर्दिष्ट अन्य पारस्परिक निधि से आय	ग viii			
			ix	धारा 115क(1)(ख)(क) तथा 115(1)(ख)(ख)सरकार या भारतीय समुन्धान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस से	ग ix			
			x	धारा 115 कग के अधीन प्रभार्य अनिवासियों द्वारा ब्याज के रूप में या बॉण्डस या विदेशी करेन्सी में क्रय किया गये लाभांश से आय	ग x			
			xi	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	ग xi			
			xii	पारिस्परिक निधि-115कख(1) के द्वारा विदेशी मुद्रा की इकाईयों की खरीद के संबंध में प्राप्त आय	ग xii			
			xiii	धारा 115 कघ (1)(i)के अधीन प्रभार्य प्रतिभूतियों (धारा 115 कख में निर्दिष्ट इकाईयों के सिवाय) के संबंध में एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त ब्याज के रूप में आय	ग xiii			
			xiv	धारा 115 कघ (1)(i) के परन्तुक के अनुसार प्रभार्य किसी एफ.आई.आई द्वारा बाण्ड पर या धारा 194 ठघ में निर्दिष्ट	ग xiv			
			xv	धारा 115 खखक के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ी या खेल संगठनों पर कर	ग xv			
			xvi	धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य कतिपय मामलो में गुप्त दान	ग xvi			
			xvii	भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से रायल्टी के रूप में आय -धारा 115खखच के अधीन प्रभार्य	ग xvii			
			xviii	धारा 115 खखछ के अधीन प्रभार्य कार्बन क्रेडिट के अंतरण के द्वारा आय	ग xviii			
			xix	रायल्टी से आय जहां करार 31.3.1961 से 31.3.1976 के मध्य और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क से आय जहां करार 29.2.1964 से 31.3.1976, के मध्य केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। (वित्त विधेयक की प्रथम अनुसूची के पैरा ईII के भाग I)	ग xix			
			xx	धारा 115कघ(1)(i)के अधीन प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ आई आई द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xx			
			xxi	धारा 115कघ(1)(i)के अधीन प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्राप्त लाभांश आय	ग xxi			
			xxii	धारा 115कघ(1)(i)के अधीन प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xxii			
		घ	विशेष दरों पर दावाकृत प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से आय की प्रकृति में पास थू आय (डॉप डाउन दिया जाए)					2घ
		ड	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर दावाकृत प्रभार्य है उपरोक्त 1 और 2 में सम्मिलित राशि (नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 का कुल योग)					2ड

[illegible]

		क्रसं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक	
				(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
		1	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, वर्ग पहेलियोंदौड़, खेलों, घुत, शर्तो इत्यादि से जीती हुई राशि						
		2	धारा 115खखज के अधीन जीती हुई राशि के रूप में आय						
		3क	क्रम सं. 1क(i) में संदर्भित लाभान्श पर आय						
		3ख	क्रम संख्या 1क(iii) में निर्दिष्ट लाभान्श आय						
		4	धारा 115(1)(क)(अ) के परंतुक से भिन्न धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन 20%की दर से लाभान्श आय (पी टी आई आय शामिल)						
		5	धारा 115(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन 10% दर से लाभान्श (पी टी आई आय शामिल)						
		6	धारा 115कग के अधीन 10% की दर से लाभान्श आय						
		7	धारा 115कघ (1)(i) के अधीन किसी एफआईआई द्वारा 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभान्श के रूप में आय (पी.टी.आई आय सहित)						

		8	धारा 115कघ (1)(i) के अधीन 10% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभांश के रूप में आय (पी.टी.आई आय सहित)						
		9	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय						

अनुसूची सीवाईएलए		चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे					
चालू वर्ष हानि समायोजन	क्रम सं.	आय का शीर्ष/स्त्रोत	चालूवर्षकी आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वर्ष की गृहसंपत्ति हानि	मुजरा की गई चालू वर्ष की कारबार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारबार की हानि से भिन्न)	अन्य स्त्रोतों से चालू वर्ष के लिए मुजराई की गई हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेष दर पर कर से प्रभार्य रकम से भिन्न)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय
			1	2	3	4	5=1-2-3-4
	i	हानि की मुजराई की जानी है (यदि आकड़े नकारात्मक हो तभी इस पंक्ति को भरें)		(अनुसूची एच.पी.का 3)	(अनुसीची बी.पी की मद च का 2)	(अनुसूची ओ.एस. का 6)	
	ii	गृहसंपत्ति	(अनुसूची एच.पी. का 3)				
	iii	बिजनेस धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन बीमा बिजनेस से आय तथा सट्टा बिजनेस से आय तथा आय	(अनुसूची बी.पी का क 38)				
	iv	धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन बीमा बिजनेस से आय	(बी.पी अनुसूची की मद ड का 3iv)				
	v	सट्टे से आय	(बी.पी अनुसूची की मद ड का 3ii)				
	vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(बी.पी अनुसूची की मद ड का 3iii)				
	vii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी.की मद ड का 11ii)				

	viiख	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी. की मद ड का 11iii)				
	viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी.की मद ड का 11iv)				
	ix	लागूदर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी.की मद ड का 11v)				
	x	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी.की मद ड का 11vi)				
	xiक	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी.की मद ड का 11vii)				
	xiख	12.5 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी. की मद ड का 11viii)				
	xii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी.की मद ड का 11ix)				
	Xiii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी.की मद ड का 11x)				
	xiv	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची ओ.एस. की मद 6)				
	Xv	दौड के घोड़ों का स्वामित्व रखने और उनके पोषण करने से लाभ	(अनुसूची ओ.एस. की मद 8ड)				
	xvi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची ओ.एस. की मद 2ड)				
	xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
	xviii	मुजरे के पश्चात् शेष हानि (i - xvii)					

अनुसूची-बीएफएलए		पूर्व वर्षों की अग्रणीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के ब्यौरे					
अग्रणीत हानि समायोजन	क्रम सं.	आय का शीर्ष/स्त्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात्आय	मुजरा की गई अग्रणीत हानि	मुजरा किया गया अग्रणीत अवक्षयण	मुजरा किया गया , धारा 35(4) के अधीन अग्रणीतमोक (रिबेट)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय
			1	2	3	4	5
	i	गृहसंपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	(अग्रणीत यदि गृहसंपत्ति से हानि है)			

ii	बिजनेस (बीमा बिजनेस सट्टा बिजनेस से आय तथा विनिर्दिष्ट बिजनेस से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)	(अग्रणीत यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है) (टिप्पण : मुजरा की गई अग्रणीत हानि धारा 44खख और धारा 44खखख के अधीन आय को छोड़कर कारबार आय तक सीमित रहेगी)	(टिप्पण : मुजरा की गई अग्रणीत अवक्षयण धारा 44खख और धारा 44खखख के अधीन आय को छोड़कर कारबार आय तक सीमित रहेगी)		
iii	धारा 115 ख के अधीन जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)	(अग्रणीत यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iv	सट्टे से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)	(अग्रणीत यदि सट्टेबाजी से हानि है)			
v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)	(अग्रणीत विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है)			
vi	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viक)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)			
viख	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viख)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)			
vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)			
viii	लागूदर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)			
ix	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)			
x	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xक)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है)			
xख	12.5 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xख)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है)			
xi	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xii)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है)			
xii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घ कालिक अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xiii)	(अग्रणीत यदि अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है)			

Xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)				
Xiv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)	(अग्रणीत यदि घुड़दौड़ से हानि है)			
xv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xvi)				
Xvi	मुजरा की गई अग्रणीत कुल हानि					
xvii	चालू वर्ष की मुजरे के पश्चात् शेष बची हानि योग (5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi+ 5vii+ 5viii + 5ix + 5x+5x+ 5xi +5xii +5xiii+ 5xiv + 5xv)					

अनुसूची-सीएफएल		भावी के वर्षों के लिए अग्रणीत हानियों का विवरण											
क्र म सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (दिन/मास/ वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से हानि			सट्टे के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	धारा 115ख के अन्तर्गत बीमा बिजनेस से हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि रेस	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि	
				कारो बार हानि अग्रणी त	धारा 115 खकक के अधीन कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	वर्ष के दौरान उपलब्ध करोबार हानि के लिए मुजरा अग्रणी त							
1	2	3	4	5क	5ख	5ग =5क-5ख	6	7	8	9	10	11	
i	2010-11												
ii	2011-12												
iii	2012-13												
iv	2013-14												
v	2014-15												
vi	2015-16												
vii	2016-17												
viii	2017-18												
ix	2018-19												
x	2019-20												
xi	2020-21												
xii	2021-22												
xiii	2022-23												

xiv	2023-24											
xv	2024-25											
xvi	पूर्व वर्षों की हानियों का योग ख/ च											
xvii	अनुसूची बीएफएलए में उपरोक्त हानियों का समायोजन	(अनुसूची बीएफएलए का 2i)	(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iv)	(अनुसूची बीएफएलए का 2v)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iii)				(अनुसूची बीएफएलए का 2xiv)		
xviii	2025-26 चालू वर्ष की हानियाँ	(अनुसूची सीवाईएलए का 2xviii)	(अनुसूची सीवाईएलए का 3xviii)	(अनुसूची बीपी का ख43, यदि नकारात्मक.)	(अनुसूची बीपी का ग49, यदि नकारात्मक.)	अनुसूची बीपी का 4ख (यदि नकारात्मक.)	(अनुसूची सीजी की मद ड. का 2xii+3xii+4xii+5xii+6xii)	(अनुसूची सीजी की मद ड. का 7xii+8xii+9xii+10xii)		(अनुसूची ओएस का 8ड. यदि नकारात्मक.)		
xix	यूनिट धाराकों के मध्य चालू वर्ष हानि वितरित(निवेश निधि के लिए लागू)											
xx	चालू वर्ष की हानियाँ अग्रणीत (xviii-xix)											
xxi	भावी वर्षों को अग्रणयन की गई कुल हानि(xvi - xvii + xx)											

अनुसूची - यूडी		धारा 35(4) के अधीन अनामेलित अवक्षयण और भत्ते					
क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण			धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अग्रणीत अनामेलित अवक्षयण की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रणीत शेष रकम	अग्रणीत अनामेलित भत्ते की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए भत्ते की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रणीत शेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष						
ii							
iii							

iv	योग		(बीएफएलए का 3xvi)			(बीएफएलए का 4xvi)	
----	-----	--	-------------------	--	--	-------------------	--

अनुसूची आईसीडीएस		लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव			
क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	लाभ में वृद्धि (रु.)	लाभ में कमी (रु.)	शुद्ध प्रभाव (रु.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
I	लेखा नीति				
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145 क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वहभाग क ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथकरूप से सूचित किया गया है)				
III	संनिर्माण संविदाएं				
IV	राजस्व मान्यता				
V	मूर्त नियत आस्तियां				
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन				
VII	सरकारी अनुदान				
VIII	प्रतिभूतियां (145 क के अधीन मूल्यांकर की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथक रूप से सूचित किया गया है)				
IX	उधार लेने की लागत				
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था				
XI	लाभ पर आई सी डी एस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)				

अनुसूची-10कक		धारा 10कक के अधीन कटौती				
धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती					
	क्र.सं.	उपक्रम	निर्धारण वर्ष जिसमें इकाई निर्माण/उत्पादन करती है	क्र.सं.		रकम
	क	उपक्रम सं. 1		क		(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप56च के उपाबंध अ का मद 17)
	ख	उपक्रम सं. 2		ख		(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप56च के उपाबंध अ का मद 17)
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां(क + ख)				ग

अनुसूची 80छ		धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे			
हकदार दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान			
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	संदान की रकम	संदान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान
	i				
	ii				

	iii							
	iv कुल							
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान						
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम	
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान		
	i							
	ii							
	iii							
	iv कुल							
	ग	अर्हता सीमा के अध्याधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान						
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम	
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान		
	i							
	ii							
	iii							
	iv कुल							
	घ	अर्हता सीमा के अध्याधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान						
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना ए.आर.एन (संदान संदर्भ संख्या)	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम	
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान		
	i							
ii								
iii								
iv कुल								
ड	कुल संदान (का iii + ख iii + ग iii + घ iii)							

अनुसूची 80 छछक		वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान का ब्यौरा					
क.सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन अनुदान का दावा किया गया है (ड्राप डाउन दिया जाए)	संदान आदाता का नाम और पता	संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या	अनुदान की राशि			संदान की उपयुक्त राशि
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
i							
ii							
	कुल संदान						

अनुसूची 80छछग		राजनैतिक दलों को किए अभिदाय के ब्यौरे					
क्रं .सं.	तारीख	अभिदाय की रकम			अभिदाय की पात्र रकम	यू पी आई अंतरण की संव्यवहार संदर्भ संख्या या चैक आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस संख्या	बैंक का आईएफसी कोड
		नकद में अभिदाय	अन्य रीति में अभिदाय	कुल अभिदाय			
।							
	(पंक्तियां जोड़े)						
	कुल अभिदाय						

अनुसूची 80झकग	पात्र स्टार्ट-अप के संबंध में कटौती (केवल तब भरा जाए यदि क19(थ) का उत्तर हां है)				
क्रं .सं.	स्टार्ट अप- के निगमन की तारीख	कारबार की प्रकृति	अंतर-मंत्रालय प्रमाणीकरण बोर्ड से प्राप्त प्रमाण पत्र संख्या	पहली नि. व. जिसमें कटौती का दावा किया गया था	चालू नि. व. के लिए दावा की गई कटौती की रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अनुसूची 80ठक	अपतट बैंककारी ईकाईयों या आईएफएससी के संबंध में कटौती						
उपधारा जिसमें कटौती का दावा किया गया है।							
क्रं .सं.	ईकाई का प्रकार	ईकाई की आय का प्रकार	रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाला प्राधिकारी	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	रजिस्ट्रीकरण संख्या	पहली नि. व. जिसमें कटौती का दावा किया गया था	चालू नि. व. के लिए दावा की गई कटौती की रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(पंक्तियाँ जोड़ने का विकल्प प्रदान किया जाए)							
कुल							

अनुसूची आरण		अनुसंधान संगम इत्यादि को संदान के ब्यौरे [धारा 35(1)(ii) या 35(1)(iiक) या 35(1)(iii) या 35(2कक) के अधीन कटौतियां]						
		संदान आदाता का नाम और पता		संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या	संदान की राशि			संदान की उपयुक्त राशि
					नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
		i						
		ii						
		iii	योग					

अनुसूची_ 80झक		धारा 80झक के अधीन कटौतियां				
धारा 80झक के अधीन कटौतियां	क	धारा 80झक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा)	क1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			क2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	ख	धारा 80-झक(4)(iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	ख1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			ख2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	ग	धारा 80-झक(4)(v) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुज्जीवन)	ग1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	घ	धारा 80-झक के अधीन कुल कटौती (क 1 + क 2 + ख1 + ख2 + ग1)				घ

अनुसूची_ 80झख		धारा 80-झख के अधीन कटौती				
	क	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है [धारा80झख(9)]	क1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			क2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	ख	गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80झख(10)]	ख1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			ख2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	ग	फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80झख(11क)]	ग1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			ग2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	घ	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80झख(11क)]	घ1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			घ2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
ड		धारा 80झख के अधीन कुल कटौती (क1 से घ 2 का योग)				ड

अनुसूची- 80-झड			धारा 80झड के अधीन कटौतियां			
	क	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती				
	कक	असम	कक1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			कक2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	

	कख	अरुणाचल प्रदेश	कख1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
			कख2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	कग	मणिपुर	कग1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
			कग2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	कघ	मिजोरम	कघ1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
			कघ2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	कड	मेघालय	कड1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
			कड2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	कच	नागालैंड	कच1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
			कच2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	कछ	त्रिपुरा	कछ1	उपक्रम सं. 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
			कछ2	उपक्रम सं. 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	कज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (कक1 से कछ2 का योग)					कज
	ख	धारा 80झड के अधीन कुल कटौती (कज)					ख

अनुसूची-VI- क		अध्यायVI- क के अधीन कटौतियां			
कुल कटौतियां	1	भाग ख-कतिपय संदाय के बाबत कटौतियां			
	क	80छ		ख	80छछख
	ग	80छछक		घ	80छछग
	भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग + घ)				1
	2	भाग ग-कतिपय आय के बाबत कटौती			
	ड	80झक	(अनुसूची 80झक का घ)	च	80झकख
	छ	80झकग	(अनुसूची 80झकग का 7)	ज	80झख (अनुसूची 80झख का ड)
	झ	80झखक		ञ	80-झड. (अनुसूची 80-आई का ख)
	ट	80जक		ठ	80जकक (प्ररूप 10 घक में अनुलग्नक में क्रम सं. 5/(अ/iv) +5//
	ड	80ठक(1)	(अनुसूची 80 ठक का 9)	ढ	80ठक(1क) (अनुसूची 80 एलए का 9)

80फ-ई- फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार	त 80तक				
भाग ग के अधीन कुल कटौती (कुल ड से त)	2				
3 अध्याय VI- क के अधीन कुल कटौतीयां (1 +2)	3				

अनुसूची एसआई	विशेष दर से प्रभार्य आय (धारा और कर की दरके लिए कृपया अनुदेश देखें)				
क्र.सं.	धारा / विवरण	☒	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
1क	111क अथवा 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (एमएफ उन्मुख शेयर/इक्विटी पर एसटीसी जिन पर एसटीटी अदा किया गया है) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ हो, जैसा लागू हो]	☐	15	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vक)	
1ख	111क या धारा 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (शेयर इकाइयों पर एसटीसी जिस पर एसटीटी का भुगतान किया गया) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जैसा लागू हो]	☐	20	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vख)	
2	115 क घ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ जहां एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	☐	30	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vii)	
3क	परन्तुक 112(1)(सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/सूचीकरण के साथ इकाइयों पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ था, वहां लागू होगा और उस पर कर अनुसूची गछ के क्रम संख्या ख4(च) को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो।]	☐	20 (अनुसूची गछ के ख4(च) द्वारा घटाया गया, यदि कोई हो)	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xi)	
3ख	112(1) (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/इकाइयों पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जैसा लागू हो]	☐	12.5	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xख)	
4क	112(1)(ग)(ii) (गैर निवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ हो, जैसा लागू हो]	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xक)	
4ख	112(1)(ग)(iii) (अनिवासी के लिए गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या सूचीबद्ध डिबैंचर के अलावा अन्य पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जैसा लागू हो]	☐	12.5	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xख)	
5क	115 क ख (अनिवासीयों के लिए धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाइयों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ हो, जैसा लागू हो]	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xक)	
5ख	115कख (धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाइयों पर अनिवासी के लिए एलटीसीजी जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ था, जैसा भी लागू हो]	☐	12.5	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xख)	
6क	115 क ग (अनिवासीयों के लिए बंधपत्रों /जीडीआर पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ हो, जैसा लागू हो]	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xक)	

6ख	115कग (बांड/जीडीआर पर अनिवासी के लिए एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जैसा लागू हो]	☐	12.5	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5ख)	
7	115 क घ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5क)	
8क	112 (अन्य पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ हो, जैसा लागू हो]	☐	20	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xi)	
8ख	112 (अन्य पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 के पश्चात् हुआ हो, जैसा लागू हो]	☐	12.5	(अनुसूची बीएफएलए की धारा भाग 5ख)	
9क	112क (शेयरों अथवा यूनिटों की बिक्री दर एलटीसीजी जिन पर एसटीटी अदा किया गया है अथवा धारा 115कघ(1)(ख)(iii)-परन्तुक [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ हो, जैसा लागू हो]	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5क)	
9ख	112क (शेयरों या यूनिटों की बिक्री पर एलटीसीजी जिस पर एसटीटी का भुगतान किया जाता है) या धारा 115कघ(1)(घ)(iii)- परन्तुक [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जैसा लागू हो]	☐	12.5	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5ख)	
10	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एसटीसीजी	☐		(अनुसूची बीएफएलए का 5ix)	
11	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एलटीसीजी	☐		(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xii)	
12	115ख (जीवन बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ)	☐	12.50	(अनुसूची बीएफएलए का 5iii)	
13क	115कग (विदेशी कंरसी में क्रय किए गए बंधपत्रों से प्राप्त ब्याज से अनिवासी की आय)	☐	10	(अनुसूची ओ.एस. का भाग 2ग x)	
13ख	115कग (अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय)	☐	10	(अनुसूची ओ.एस. का भाग 2ग xi)	
14	115 खख (लॉटरी, वर्गपहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओ.एस. का 2क)	
15	115खखज (ऑनलाइन खेलों से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओ.एस. का 2कख)	
16	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)				
	क कारबार या वृत्ति से आय	☐	30	(अनुसूची बी.पी का 3घ)	
	ख पूंजीगत लाभ शीर्ष के अधीन आय	☐	30	(अनुसूची सी.जी का ग2)	

17	115 खखड (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ)	☐	60	(अनुसूची ओ.एस. का 2ख)	
18	115क(1)(ख)(क) तथा 115क(1)(ख)(ख)(रायल्टी तथा तकनीकी सेवाओं हेतु फीस से विदेशी कंपनी की आय)	☐	10	(अनुसूची ओ.एस. का भाग 2ग xix)	
19	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बी.पी का 3घ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओ.एस का 2ग xvii)	
20	115खखछ (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बी.पी का 3ड)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओ.एस का 2ग xviii)	
21	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	☐		(अनुसूची बीएफएलए की धारा का भाग 5xv)	
22क	15 प्रतिशत की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थू आय	☐	15	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5viक)	
22ख	20 प्रतिशत की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थू आय	☐	20	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5viख)	
23	30 प्रतिशत की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थू आय	☐	30	(अनुसूची बीएफएलए का 5vii का भाग)	
24क	112क के अन्तर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास थू आय	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xक)	
24ख	112क के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में पास थू आय	☐	12.5	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xख)	
25	20 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थू आय	☐	20	(अनुसूची बीएफएलए का 5xi का भाग)	
26क	धारा 112क से भिन्न 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास थू आय	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xक)	

26	धारा 112क से भिन्न 12.5% प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में पास थू आय	☐	12.5	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5ख)	
27	विशेष दरों से प्रभार्य अन्य स्त्रों की प्रकृति की पास थू आय (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)	☐		(अनुसूची ओ.एस का 2घ)	
28	एक विदेशी (आफ शोर) निधि द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदी गई यूनिटों के बारे में प्राप्त की गई आय-115कख(1)	☐	10	(अनुसूची ओ.एस का 2ग x)	
29	रायल्टी से आय जहां 31.3.1961 से 31.3.1976 के बीच करार किया गया और तकनीकी सेवाओं से फीस से आय जहां करार 29.2.1964 से 31.3.1976, के बीच किया गया और करार का केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। वित् अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 का पैरा ड. II	☐	50	(अनुसूची ओ.एस का 2ग xix)	
30	अन्य स्त्रों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्य होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में ड्राप-डाउन दिया जाएगा)	☐		(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग)	
			योग		

अनुसूची झ.च		अनिगमित संस्थाओं में निवेश के संबंध में सूचना							
संस्था जिसमें निवेश किया गया	संस्थाओं की संख्या जिसमें निवेश किया गया है								
	क्रम सं.	संस्था का नाम	संस्था का प्रकार	संस्था का पैना	क्या संस्था परीक्षा के लिए उत्तरदायी है? (हां/नहीं)	क्या संस्था पर धारा 92इ लागू होती है? (हां/नहीं)	संस्था के लाभ में शेयर प्रतिशत	लाभ की शेयर राशि	संस्था में 31 मार्च को पूंजीगत शेष
								i	ii
	1								
	2								
	3								
	4	कुल							

अनुसूची-छूट प्राप्त आय		छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (वह आय जो कुल आय में सम्मिलित नहीं है या कर से प्रभार्य नहीं है।)							
1	ब्याज से आय							1	
2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)	i						
	ii	कृषि पर उपगत व्यय	ii						
	iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनामेहित कृषि हानि	iii						
	iv	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) तथा 8से संबंधित कृषि आय (अनुसूची बी.पी के क्रम सं. 39 से)	iv						
	v	वर्ष (i-ii-iii+iv) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)						2	
	vi	यदि वर्ष के लिए कृषिगत आय 5 लाख ₹0 से अधिक है तो, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए (प्रत्येक कृषिगत भूमि के लिए अलग से ब्यौरा दीजिए)							

			क	जिला का नाम पिन कोड सहित, जहाँ कृषिगत भूमि है							
			ख	एकड़ में कृषिगत भूमि का नाम							
			ग	क्या कृषिगत भूमि का स्वामित्व रखते हैं या पट्टा पर ली है (ड्राप डाउन दिया जाए)							
			घ	क्या कृषिगत भूमि सिंचित है या वर्षा पर आश्रित है (ड्राप डाउन दिया जाए)							
छूट प्राप्त आय	3	अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया उल्लेख करें) (3क+3ख)							3		
	क	धारा 10(15ख), 10(23चख), 10(23चखक), 10 (23चग), 10(23चगक), 10(23चड), 10(23चच), 10(4घ) के अधीन आय (कृपया प्ररूप दाखिल करने की तारीख तथा पावती संख्या का विवरण प्रदान करें (यदि 10(23चच और 10(4घ) के अधीन दावा किया गया है।) के अधीन ड्रापडाउन प्रदान करें तथा पंक्ति विकल्प शामिल करें।					3क				
		ख	कोई अन्य आय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)- प्रदत्त आय की प्रकृति वर्णन करें।					3ख			
	4 डी.टी.ए.ए के अनुसार आय जो कर से दावाकृत प्रभार्य नहीं है										
	क्र.सं;	आय की राशि	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए का अनुच्छेद	आय का शीर्ष	क्या टीआरसी लिया गया है (हाँ/ना)				
	I										
	II										
	III	डीटीएए से कुल आय जो कर से प्रभार्य नहीं है							4		
	5	पास शु आय जो कर से दावाकृत प्रभार्य नहीं है(अनुसूची पीटीआई)							5		
	6	योग (1+2+3 +3 +4+5)							6		

अनुसूची पीटीआई		धारा 115प, 115पक और 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे								
पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा 115प/115पक/115पख में निवेशित	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आयकाशीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश निधि वितरित चालू वर्ष हानि का शेयर	निवल आय/हानि 9=7-8	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती ,यदि कोई हों
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाएगा)			i	गृह संपत्ति				
					ii	पूँजी अभिलाभ				
					क	अल्पकालिक अवधि				
					का	धारा 111क				
					काII	अन्य				
					ख	दीर्घकालिक अवधि				
					खा	धारा 112क				

						खाII	धारा 112क				
						iii	अन्य स्रोत				
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
						iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
						क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
						ख	धाराके अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				
	2.					i	गृह संपत्ति				
						ii	पूंजी अभिलाभ				
						क	अल्पकालिक अवधि				
						काI	धारा 111क				
						काII	अन्य				
						ख	दीर्घकालिक अवधि				
						खाI	धारा 112क				
						खाII	धारा 112क से भिन्न				
						iii	अन्य स्रोत				
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
						iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
						क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
						ख	धाराके अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				
टिप्पण ► इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।											

अनुसूची एमएटी		धारा 115ख के अधीन संदेय न्यूनतम वैकल्पिक कर की संगणना	
न्यूनतम वैकल्पिक दर	1	क्या लाभ और हानि लेखा कंपनी अधिनियम , 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें , यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	☐
	2	यदि 1 ना है तो क्या लाभ और हानि लेखा प्रकार की कंपनी को शासित करने वाले अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	☐
	3	क्या उपरस्तंभ 7 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा में, लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए समान लेखा नीतियों, लेखा मानक का अनुपालन किया गया और अवक्षयण की संगणना करने के लिए दरों की समान पद्धति कंपनी वार्षिक साधारण निकाय बैठक में कंपनी के समक्ष अधिकथित तैयार लेखा के लिए भी अपनाई गई है ? (यदि हां तो, 'हां' लिखें , यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	☐

4	लाभ और हानि लेखा में यथादर्शित कर पश्चात् लाभ भाग क पी एंड एल की मद 56 प्रविष्टकरें/ (भाग क-पी एल आईएनडी ए एस की मद 56 में प्रविष्ट करें) (जो लागू हो)	4	
5	योग (यदि लाभ और हानि लेखा में विकलित है)		
	क आस्थगित कर की रकम और उसके लिए उपबंध समेत संदत्त या संदेय आय कर या उस का उपबंध (एफबीटी से भिन्न)	5क	
	ख आरक्षित (धारा 33कग के अधीन आरक्षित के सिवाय)	5ख	
	ग अभिनिश्चित न किए गए दायित्व के लिए उपबंध	5ग	
	घ समानुंगी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध	5घ	
	ङ संदत्त या प्रस्तावित लाभांश	5ङ	
	च धारा 10, 11 और 12 के अधीन छूट प्राप्त आय संबंधित व्यय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	5च	
	छ एओपी/बीओआई की आय में शेयर से संबंधित व्यय पर जिस पर धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं	5छ	
	ज धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चख) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में व्यय	5ज	
	झ धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चग) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनिटों के अंतरण पर संकेतन हानि	5झ	
	ञ 115खख के अधीन कर पर प्रभार्य पेटेंट की बाबत स्वामित्व के मद्धे आय से संबंधित व्यय	5ञ	
	ट आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मान्य अवक्षयण	5ट	
	ठ धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण पर अभिलाभ	5ठ	
	ड अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए उपबंध सहित)	5ड	
	ढ कुल कटौतियां (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ+5च+5छ +5ज+5झ+5ञ+5ट+5ठ + 5ड)	5ढ	
6	कटौतियां		
	क आरक्षित से निकाली गई रकम या यदि लाभ या हानि लेखा को जमा की गई है तो उपबंध	6क	
	ख धारा 10, , 11 और 12 के अधीन आय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़ कर छूट प्राप्त आय)	6ख	
	ग पुनर्मूल्यांकन आरक्षित और लाभ और हानि लेखा में जमा की गई रकम से निकाली गई उससीमा तक जब तक आस्ति के मूल्यांकन के मान्य अवक्षयण की रकम से अधिक नहीं होने की सीमातक	6ग	
	घ एओपी/ बीओआई की आय में अंश जिस पर लाभ और हानि खाते में जमा धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं	6घ	
	ङ धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (IIघ) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में आय	6ङ	
	च धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (IIङ) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनिटों के अंतरण पर संकेतन हानि	6च	

	छ	धारा 115 जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण पर हानि	6छ		
	ज	धारा 115 जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ii) में निर्दिष्ट स्वामित्व के मद्धे आय	6ज		
	झ	अग्रनित की गई हानि या गैर आमेलित अवक्षयण जो भी कम हो या दोनों जो भी लागू हो ।	6झ		
	ञ	रूग्ण औद्योगिक कंपनी का लाभ जो शुद्ध लाभ के बराबर या एक एकलिखित हानियों से अधिक है *	6ञ		
	ट	अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और लाभ और हानि लेखा में जमा किए गए आस्थगित कर की रकम सहित)	6ट		
	ठ	कुल कटौतीयां (6क+6ख+6ग+6घ+6ङ +6च+6छ +6ज +6झ+6ञ+6ट)	6ठ		
7		धारा 115 झख के अधीन कुल लाभ (4+ 5ढ - 6ठ)	7		
8		क्या कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (आईएनडी-एस) के अनुपालन में कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, यदि हां तो नीचे ब्यौरे प्रस्तुत करें ।		□हां□नहीं	
	क.	धारा 115 जख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन अतिरिक्त खाता लाभ			
	क	शीर्ष वे मदें, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय	8क		
	ख	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8ख		
	ग	धारा 115 जख (2ग) में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ग		
	घ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8घ		
	ङ	कुल जोड़ (8क + 8ख + 8ग + 8घ)	8ङ		
	ख.	धारा 115 जख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन खाते से कटौती			
	च	शीर्ष वे मदें, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय	8च		
	छ	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8छ		
	ज	धारा 115 जख (2ग) में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ज		
	झ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8झ		
	ञ	कुल जोड़ (8च + 8छ + 8ज + 8झ)	8ञ		
9		धारा 115 जख (7 + 8ङ - 8ञ) के अधीन समझी गई कुल आय	9		
	क	धारा 115 जख के अधीन आई.एफ.एस.सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो	9क		
	ख	धारा 115 जख के अधीन इकाईयों (9-9क) के अतिरिक्त समायोजित कुल आय	9ख		
10		धारा 115 झख के अधीन संदेय कर [(9क) का 9% + (9ख) का 15%]	10		

अनुसूची एमएटीसी		धारा 115 जख के अधीन कर प्रत्यय की संगणना			
1	निर्धारण वर्ष 2025-26 में धारा 115 जख के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 1घ)	1			
2	निर्धारण वर्ष 2025-26 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 2छ)	2			
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध प्रत्यय उपलब्ध है [यदि 2 1 से बढ़ा है तो (2-1) प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें]	3			

4	उपलब्ध एमएटी प्रत्यय का उपयोग [चालू वर्ष के दौरान उपयोग किए गए एमएटी प्रत्यय की राशि उपर 3 में वर्णित रकम के अधिकतम के अधीन है और अग्रणीत एमएटी प्रत्यय की राशि से अधिक नहीं हो सकती]					
क्रम सं.	निर्धारणवर्ष (क)	एमएटी प्रत्यय			चालू वर्ष के लिए एमएटी प्रत्यय (ग)	अग्रणी तब का या एमएटी प्रत्यय (घ) [घ = ख3 - ग]
		सकल (ख1)	पूर्व के वर्षों में मुजरा किए गए (ख2)	अग्रणीत अति शेष (ख3) = (ख2) - (ख1)		
I	2009-10					
ii	2010-11					
iii	2011-12					
iv	2012-13					
v	2013-14					
vi	2014-15					
vii	2015-16					
viii	2016-17					
ix	2017-18					
x	2018-19					
Xi	2019-20					
Xii	2020-21					
Xiii	2021-22					
Xiv	2022-23					
xv	2023-24					
xvi	2024-25					
xvii	2025-26 [(का क्रम संसं1 -क्रम सं2)- अनुसूची भाग ख का क्रम सं 6ग-2घ) टीटीआई केवल यदि सकारात्मक है)					
xviii	योग					
5	वर्ष के दौरान उपयोग की गई धारा 115अक के अधीन कर प्रत्यय की रकम [4ग (xvi) प्रविष्ट करें]				5	
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों में प्रत्यय के लिए उपलब्ध एमएटी दायित्व की रकम [4(घ) xviii प्रविष्ट करें]				6	

अनुसूची-बीबीएस		शेयरों की पुनःखरीद पर घरेलू कंपनी की वितरित आय पर कर के ब्यौरे [01.10.2024 से पहले बाय बैंक के लिए]			
क्रयद्वारा वापिस लिए	क्रम	विवरण	पहले क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	दूसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	तीसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
	1	क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर शेयर धारकों को किसी प्रतिफल के संदाय की तारीख	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)

	2	कंपनी द्वारा क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर संदत प्रतिफल की रकम					
	3	इस प्रकार शेयरों को जारी करने के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त रकम					
	4	कंपनी की वितरित आय (2 - 3)					
	5	वितरित आय	क	धारा 115णक के अधीन 4 पर 20% की दर से संदेय अतिरिक्त कर			
		पर	ख	क पर अधिभार			
		संदेय कर	ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर(क+ख)पर			
			घ	कुल संदेय कर (क+ख+ग)			
	6	धारा 115घख के अधीन संदेय ब्याज					
	7	संदेय अतिरिक्त आयकर और संदेय ब्याज (5घ+ 6)					
	8	संदत कर और ब्याज					
	9	शुद्ध संदेय /प्रतिदेय (7-8)					
	10	वितरित कर पर कर के जमा की तारीखें		तारीख 1	तारीख 2	तारीख 1	तारीख 2
				(दिन/मास/ वर्ष)	(दिन/मास/ वर्ष)	(दिन/मास/ वर्ष)	(दिन/मास/ वर्ष)
	11	बैंक और शाखा का नाम					
	12	बीएसआर कोड					
	13	चालान की क्रम संख्या					
	14	जमा रकम					

अनुसूची टीपीएसए ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार धारा 92 गड़ (2क) में द्वितीयक समायोजन पर कर का विवरण								
धारा 92गड़(2क)के अनुसार द्वितीय समायोजन पर कर	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड़(2क) के अन्तर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है तथा ऐसी जयादा राशि निर्धारित समय के भीतर प्रत्यावर्तित नहीं की गई है (कृपया समस्त नि. वर्षों के संबंध में किए गए समायोजन का कुल योग इंगित करें)						
	2	क	उपरोक्त पर 18% की दर से देय अतिरिक्त आय कर					
		ख	क पर 12% की दर से अधिभार					
		ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर					
		घ	(क+ख+ग) पर देय कुल अतिरिक्त कर					
	3	अदा किए गए कर						
	4	(2घ-3) देय निवल कर						
	5	धारा 92गड़(2क) के अनुसार द्वितीय समायोजन पर कर के जमा करने की तारीख	दिनांक 1	दिनांक 2	दिनांक 3	दिनांक 4	दिनांक 5	दिनांक 6
			(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)

	6	बैंक तथा शाखा का नाम					
	7	बीएसआर कोड					
	8	चालान की क्रम सं.					
	9	जमा की राशि					

अनुसूची 115नघ				धारा 115 नघ के अधीन सहवर्धी आय			
	1	विनिर्दिष्ट व्यक्ति के सकल आस्ति का उचित बाजार मूल्य		1			
	2	घटाना: विनिर्दिष्ट व्यक्ति का सकल दायित्व		2			
	3	आस्तियों का शुद्ध मूल्य (1-2)		3			
	4	(i)	धारा 10(1) में निर्दिष्ट आय से प्रत्यक्षता अधिगृहित आस्तियों का उचित बाजार मूल्य	4i			
		(ii)	निर्मिति या स्थापन की तारीख से धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण या अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख की अवधि के दौरान अधिगृहित आस्तियों का उचित बाजार मूल्य, यदि धारा 11 और धारा 12 के अधीन उक्त अवधि के दौरान फायदे का दावा नहीं किया गया है।	4ii			
		(iii)	धारा 115नघ(2) के तीसरे परंतुक अनुसार हस्तांतरित आस्तियों का उचित बाजार मूल्य	4iii			
		(iv)	कुल (4i+4ii+4iii)	4iv			
	5	उपरोक्त 4 पर आस्तियों के संबंध में दायित्व		5			
	6	धारा 115 नघ के अनुसार आय {3-(4iv-5)}		6			
	7	अधिकतम मार्जिनल दर पर धारा 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त आय कर		7			
	8	धारा 115नघ के अधीन संदेय ब्याज		8			
	9	धारा 115नघ के अधीन विनिर्दिष्ट अतिरिक्त आय कर		9			
	10	संदेय अतिरिक्त आयकर और ब्याज		10			
	11	संदत कर और ब्याज		11			
	12	शुद्ध संदाय (10-11) (नकारात्मक होने पर 0 लिखें)		12			
	13	आय पर जमा किए गए कर की तारीख		दिनांक 1 डीडी/एमएम/वाईवाई	दिनांक 2 डीडी/एमएम/वाईवाई	दिनांक 3 डीडी/एमएम/वाईवाई	
	14	बैंक और ब्रांच का नाम					

अनुसूची-टीआर		भारत से बाहर संदत्त कर के लिए दावाकृत कर राहत का संक्षिप्त विवरण (निवासी के मामले में ही उपलब्ध)				
भारत से बाहर संदत्तकर के लिए कर राहत	1	दावाकृत कर राहत के ब्यौरे				
		देश कोड	कर संदाय कर्ता पहचान संख्या	भारत से बाहर कुल संदत्तकर (प्रत्येक देश के बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग का योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (प्रत्येक देश के बाबत अनुसूची एफएसआई के (ड.) का योग)	धारा जिसके अधीन राहतका दावा कियागया है (90, 90 क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
			योग			
	2	देश जहां डीटीए लागू है, के बाबत उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90/90क) (1घ के योग का भाग)				2
3	देश जहां डीटीए लागू नहीं है, के बाबत उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 91) (1घ के योग का भाग)				3	
4	क्या भारत के बाहर संदत्त कोई कर, जिस पर भारत में कर राहत अनुज्ञात या वर्ष के दौरान विदेशी कर प्राधिकरण				4	हां/नहीं
	क	प्रतिदेय कर की रकम		ख	वह निर्धारित वर्ष जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात किया गया है	
टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्दिष्ट करें						

अनुसूची- एफ.ए		भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा										
विदेशी आस्तियों के ब्यौरे	A1	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी ब्याज शामिल)										
	क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
	A2	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)										

क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत/प्रत्यय सकल रकम (झाप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											

अ3	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी हैं)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												

अ4	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी हैं)										
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)											
(ii)											

ख	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी हैं)											
क्र.सं.	देश का नाम	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
										राशि	जहां अनुसूची	अनुसूची की मद संख्या

	और कोड				स्वामी / हिताधिकारी		पर) (रु. में)				पेश की गई है	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												

ग 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											

घ 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदा प्रदस्वामी/हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											

ड 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं ।

क्र.सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7)हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7)हां में है,तो इस विवरणी में पेश की गईआय		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

[illegible][illegible]

टिप्पण	पदों- “जोखिम पूंजी कंपनी”, “जोखिम पूंजी निधि” और “विनिर्दिष्ट कंपनी”, की परिभाषा के लिए, कृपया डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 देखें
--------	---

अनुसूची ए.एल-1

वर्ष की समाप्ति पर आस्तियां और दायित्व (किसी असूचीबद्ध कंपनी द्वारा भरा जाना आज्ञापक रूप से अपेक्षित है)/(किसी स्टार्ट-अप से अन्य जिसके द्वारा अनुसूची ए.एल-2 भरना जाना है)

क	आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे												
क्र.सं.	पता		पिन कोड		अर्जन की तारीख		अर्जन की कीमत (रु.)			प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)			
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)			(6)			
(i)													
(ii)													
ख	घर की प्रकृति आवासीय न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे												
क्र.सं.	पता		पिन कोड		अर्जन की तारीख		अर्जन की कीमत (रु.)			प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)			
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)			(6)			
(i)													
ग	सूचीबद्ध साधारण शेयरों का ब्यौरा												
	आरंभिक अतिशेष			वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर			वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर			अंत अतिशेष			
	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
घ	असूचीबद्ध साधारण शेयरों का ब्यौरा												
	कंपनी का नाम	पेन	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर					वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर		अंत अतिशेष	
			शेयरों की संख्या	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	अर्जन की कीमत
ड	अन्य प्रतिभूतियों के ब्यौरे												
	प्रतिभूतियों के प्रकार	क्या सूचीबद्ध या असूचीबद्ध है	आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान अर्जित की गई प्रतिभूतियां					वर्ष के दौरान अंतरित की गई प्रतिभूतियां		अंत अतिशेष		

				प्रतिभूति यों की संख्या	अर्जन की कीमत	प्रतिभूति यों की संख्या	अभिदान/क्र य की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रतिभूति यों की निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में)	प्रति प्रतिभूति क्रय कीमत (विद्यमान धारक से क्रय की दशा में)	प्रतिभूति यों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	प्रतिभूति यों की संख्या	अर्जन की कीमत														
	च	अन्य अस्तित्व को पूंजी अभिदाय के ब्यौरे																										
		अस्तित्व का नाम	पैन्	आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान अभिदाय की गई रकम	वर्ष के दौरान निकाली गई रकम	वर्ष के दौरान विकलित या जमा किए गए लाभ /हानि/लाभांश/ब्या ज की रकम	अंत अतिशेष																				
	छ	किसी अन्य समुत्थान को उधार और अग्रिम के ब्यौरे (यदि साहूकारी निर्धारिती का सार्वजनिक कारवार नहीं है)																										
		व्यक्ति का नाम	पैन्	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत रकम	जमा किया गया ब्याज, यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)																			
	ज	मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे																										
		आस्ति का विवरण	बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)																						
	झ	आभूषण, पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोने- चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा																										
		आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)																						
	ञ	दायित्वों के ब्यौरे																										
		वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और अग्रिमों के ब्यौरे																										
		व्यक्ति का नाम	पैन्	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत रकम	जमा किया गया ब्याज यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)																			
टिप्पण ▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें																										

	यदि आप एक ऐसे स्टार्ट-अप हैं जिसमें डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा-5 के अधीन प्ररूप-2 में घोषणा फाइल की है, कृपया निगमन की तारीख से वर्ष के अंत तक की अवधि के लिए निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :-								
आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे	क	निगमन से अर्जित आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे							
	क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (रु.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	(i)								
	(ii)								
	ख	निगमन से अर्जित आवासीय घर न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे							
	क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (रु.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	(i)								
	ग	निगमन से दिए गए उधार और अग्रिम के ब्यौरे (यदि साहूकारी निर्धारिती का सारवान कारवार नहीं है)							
		व्यक्ति का नाम	पैन	तारीख जिसको उधार और अग्रिम दिए गए हैं	उधारों और अग्रिमों की रकम	रकम	क्या उधार और अग्रिम का प्रतिसंदत हो गया है, यदि हां तो ऐसे प्रतिसंदाय की तारीख	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो	ब्याज की दर यदि कोई हो
	घ	निगमन से अन्य अस्तित्व को किए गए पूंजी अभिदाय के ब्यौरे							
		अस्तित्व का नाम	पैन	तारीख जिसको पूंजी अभिदाय किया गया है	अभिदाय की रकम	निकाली गई रकम यदि को हो	वर्ष के दौरान विकलित या प्रत्यय किए गए लाभ /हानि/लाभांश/ब्याज की रकम	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
ड	शेयरों और प्रतिभूतियों के अर्जन के ब्यौरे								
	कंपनी/अस्तित्व का नाम	पैन	शेयरों /प्रतिभूतियों के प्रकार	अर्जित शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
च	मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे, जिसकी वास्तविक कीमत निगमन से अर्जित दस लाख रुपयों से अधिक है								

	आस्ति का विवरण	बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	
छ	निगमन से अर्जित आभूषणों का ब्यौरा						
	आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो
ज	निगमन से अर्जित पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोना चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा						
	आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो
झ	दायित्वों के ब्यौरे						
	वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और अग्रिमों के ब्यौरे						
	व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत रकम	विकलित ब्याज यदि कोई हो	अंत अतिशेष ब्याज की दर (%)
टिप्पण▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें					

अनुसूची जीएसटी		आवर्तन/ रिपोर्ट की गई सकल रसीद के संबंध में सूचना	
जीएसटी का ब्यौरा	क्र.सं.	जीएसटीआईएन (सं.)	फाइल की गई जीएसटी विवरणी (विवरणियों) के अनुसार जाबक पूर्तियों का वार्षिक मूल्य
	(1)	(2)	(3)
टिप्पण▶		कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन संख्या के लिए पृथक रूप से सूचना उपर प्रस्तुत करें	

अनुसूची एफ.डी		विदेशी करेंसी में संदाय/प्राप्ति के ब्यौरे (निर्धारित जो धारा 44कख के अधीन लेखों की संपरीक्षा करवाने हेतु दायी नहीं हैं)	
करेंसीवार ब्यौरे	क्रम सं.		रकम (रुपयेमें)
	i	पूँजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान किए गए संदाय	
	ii	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान किए संदाय	
	iii	पूँजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	
	iv	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	
टिप्पण▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को विनिर्दिष्ट करें	

भाग - ख

भाग ख-कुल आय	कुल आय की संगणना
--------------	------------------

कुल आय	1	गृहसंपत्ति से आय (अनुसूची गृहसंपत्ति का 3) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)				1	
	2	कारबार या वृत्ति से लाभ और हानिसट्टे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि					
	i	सट्टे का कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि (अनुसूची बीपी का क 38) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	2i				
	ik	कच्चे हीरे बेचने के पात्र कारबार से विदेशी कंपनी की आय (नियम 10नझक देखें)(अनुसूची बीपी की सारणी ड. का 3ivक)	2ik				
	ii	सट्टे का कारबार से लाभ हानि अनुसूची बीपी की तालिका च के 3(ii)(यदि हानिक हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफएल के आंकड़े लें)	2ii				
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची बीपी की तालिका च का 3(iii)(यदि हानि हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफएल का आंकड़ा लें)	2iii				
	iv	विशेष दरों पर कर से प्रभार्य आय(अनुसूची बी.पी की तालिका च का 3घ, 3ड, 3व और 3ख)	2iv				
	V	कुल(2i +2ik + 2ii+2iii + 2iv)				2v	
	3	पूँजी अभिलाभ					
	क	अल्पकालिक					
	ik	अल्पकालिक प्रभार्य 15% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड. के 11ii)	कांक				
	ix	अल्पकालिक प्रभार्य 20% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड. के 11iii)	काख				
	ii	अल्पकालिक प्रभार्य 30% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड. के 11iv)	काii				
	iii	लागूदर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी की मद ड. के 11v)	काiii				
	iv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्प-कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड की 11vi)	काiv				
	v	कुल अल्पकालिक (कांक + काख + काii+काiii + काiv) (यदि हानि तो शून्य प्रविष्ट करें)	3कv				
	ख	दीर्घकालिक					
	ik	दीर्घकालिक प्रभार्य 10% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 11vii)	खांक				
	ix	दीर्घकालिक प्रभार्य 12.5% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 11viii)	खाख				
	ii	दीर्घकालिक प्रभार्य 20% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 11ix)	खii				
	iii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ-कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड की 11x)	खiii				
	iv	कुल दीर्घकालिक (खांक + खाख + खii + खiii) (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करें)	3खiv				
	ग	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ की राशि (3कv + 3खiv) (यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)				3ग	
	घ	धारा 115खखज के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूँजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)				3घ	
	ड	कुल पूँजीगत अभिलाभ (3ग + 3घ)				3ड	
	4	अन्य स्रोतों से आय					

	क	साधारण लागू दरों पर कर से प्रभार्य स्रोतों से अन्य शुद्ध आय/ अनुसूची ओएस का 6) (यदि हानि है तो शून्यप्रविष्टकर)	4क		
	ख	आय पर प्रभार्य कर विशेषदर पर (अनुसूची ओएस का 2)	4ख		
	ग	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख-रखाव के क्रिया कलापों से आय(अनुसूची ओएस का 8ड) (यदि हानि है तो शून्यप्रविष्टकर)	4ग		
	घ	कुल(4क+ 4ख+ 4ग)		4घ	
5		शीर्ष-वार आय का योग (1 + 2व + 3ड+ 4घ)		5	
6		5 के लिए मुजरे के चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची सीवाईएलए का कुल 2xvii, 3xvii तथा 4xvii)		6	
7		चालू वर्ष की हानियों के मुजरा करने के पश्चात् अतिशेष (5--6) अनुसूची सीवाईएलए के स्तंभ 5 के क्रम सं (ii), (iii), (iv) से (xv) तक का योग + 4ख + 2iv)		7	
8		7 के विरुद्ध मुजरा किए जाने योग्य अग्रणीत की गई हानि (बीएफएलए अनुसूची का कुल 2xvi, 3xvi तथा 4xvi)		8	
9		सकल कुल आय (7--8) (अनुसूची बीएफएलए के स्तंभ 5 के क्रम सं (i), (ii), (iv) से (xiv) तक का योग + 4ख + 2iv)		9	
10		9 में सम्मिलित, धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन आय पर विशेष दर से प्रभार्य कर		10	
11		अध्याय 6 के अधीन कटौतियां			
	क	अनुसूची 6क का भाग ख/अनुसूची V/क का 1 तथा बीएफएलए के स्तम्भ 5 के i+ii+iv+v+viii+xiii+xiv तक सीमित		11क	
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग (अनुसूची V/क का 2)		11ख	
	ग	कुल (11क + 11ख) (9-10) तक सीमित)		11ग	
12		धारा 10कक के अधीन कटौतियां (योग अनुसूची 10कक)		12	
13		कुल आय (9- 11ग -12)		13	
14		विशेष दर पर आय पर प्रभार्य कर (अनुसूची एस आई के (i) का योग)		14	
15		मामूली दर पर आय पर प्रभार्य कर (13 - 14)		15	
16		शुद्ध कृषि आय /दर प्रयोजन के लिए कुल अन्य (अनुसूची ईआई का 2व)		16	
17		चालू वर्ष की हानिया जो अग्रणीत की जानी है (अनुसूची सीएफएल का xx) का योग)		17	
18		धारा 115 जख के अधीन समझी जाने वाली कुल आय (अनुसूची एमएटी का 9)		18	

भाग ख - टीटीआई		कुल आय पर कर दायित्व की संगणना			
कर दायित्व की संगणना	1	क	धारा 15जख के अधीन समझी जानी वाली कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एमएटी का 10)	1क	
		ख	उपर(क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1ख	
		ग	उपर (1क+1ख) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	1ग	
		घ	धारा 115जख के अधीन संदेय कुलकर (1क + 1ख + 1ग)	1घ	
	2		कुल आय पर संदेय कर		
		क	भाग ख- टीआई की मद 15 पर दरों पर कर	2क	
		ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची एसआई (ii) का योग)	2ख	
		ग	(2क + ख) कुल आय पर संदेय कर	2ग	
		घ	अधिभार		
		i	एस.आई अनुसूची 16(ii) का 25%	2घा	

		ii एस.आई अनुसूची का 16(ii) - 2ग)	2घाii		
		iii कुल(i + ii)	2घाiii		
	ड	(2ग+2घाiii) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	2ड		
	च	सकल कर दायित्व (2ग+2 घाiii +2ड)	2च		
3		सकल संदेय कर (1घ और 2छ की उच्चतर प्रविष्ट करें)	3		
4		पूर्व वर्षों में धारा 115 जकक के अधीन जमा संदत्त कर (यदि 2छ 1घ से अधिक होतो)(एमएटीसीअनुसूची का 5)	4		
5		धारा 115जकक के अधीन जमा के पश्चात् संदेय कर [(3 - 4)]	5		
6		कर अनुतोष			
	क	धारा 90/90क (अनुसूची टीआर का 2)	6क		
	ख	धारा 91 (अनुसूची टीआर का 3)	6ख		
	ग	कुल (6क + 6ख)	6ग		
7		शुद्ध कर दायित्व (5 - 6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	7		
8		संदेय ब्याज और फीस			
	क	विवरणी देने में चूक के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क		
	ख	अग्रिम कर में भुगतान में चूक के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख		
	ग	अग्रिम कर आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग		
	घ	आय विवरणी प्रस्तुत न करने पर चूक के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ		
	ड	कुल संदेय ब्याज (8क+8ख+8ग +8घ)	8ड		
9		सकल दायित्व (7 + 8ड)	9		
देय कर	10	संदत्तकर			
		क अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से)	10क		
		ख टीडीएस (15ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख		
		ग टीसीएस (15ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग		
		घ स्वनिर्धारण कर (15घ के स्तंभ 5 से)	10घ		
	ड	कुलसंदत्तकर (10क+10ख+10ग +10घ)	10ड		
	11	संदेय रकम (9 - 10ड) (यदि 9 10ड से अधिक है तो शून्य प्रविष्ट करें)	11		
	12	प्रतिदाय (यदि 10ड 9 से अधिक है)	12		
बैंक खाता	13	धारा 115नड. के अधीन संदेय ब्याज सहित धारा 115नघ के अधीन आय पर संदेय शुद्ध कर (अनुसूची 115नघ का क्रं.स. 12)	13		
	14	क्रं.स. 12(13-12) पर प्रतिदाय के समायोजन के पश्चात् धारा 115नघ के अधीन संदेय कर	14		
	15	क्रं.स. 14(12-13) के अनुसार समायोजन के पश्चात् शुद्ध प्रतिदाय (यदि कोई प्रतिदाय हो तो सीधे बैंक खाते में जमा किया जाएगा)	15		
	16	क्या आपका भारत में कोई बैंक खाता है			
	(क)	पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (डोरमैट खाते को छोड़कर)			
	क्रं.सं.	यदि बैंक खाता भारत में है तो बैंक का आई.एफ.एस.सी कोड	बैंक का नाम	खाता सं	खाता का प्रकार (ई- फाईलिंग उपयोगिता द्वारा डाउनलोड उपलब्ध कराया जायेगा)
					रिफंड क्रेडिट के लिए खाता चुनें (कम से कम एक खाते पर निशान लगाएं ✓)

	i					☐
	ii					☐
	टिप्पणः 1) निष्क्रिय खाते को छोड़कर, किसी भी समय रखे गए सभी बैंक खातों की सूचना दी जानी है। 2) यदि एक से अधिक खाते चुने गए हैं, तो रिटर्न की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिफंड किसी एक मान्य खाते में जमा कर दिया जाएगा। आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है।					
	(ख) अनिवासी: अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत कर सकते हैं					
	क्रम सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश का नाम(लोकेशन)	आई.बी.ए.एन	
	यथा अपेक्षित पंक्ति बढ़ाई जा सकती है					
17	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित सम्मिलित है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी लेखा में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)					☐ हां ☐ नहीं

18 अनुसूची-आय कर										
क	अग्रिम कर और आयकर के स्वतः निर्धारण कर संदाय के ब्यौरे									
कर संदाय	क्रम.सं.	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान की क्रम संख्या	रकम (रूपएमें)					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
	i									
	ii									
	iii									
	टिप्पण-भाग ख-टीडीआई की क्रम सं. 10क और 10घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर प्रविष्ट करें *									
ख	स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ/ 16ड के अनुसार]									
क्र.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस प्रत्यय नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्तिट	अन्य व्यक्ति का पैर/आधार सं.(यदि टीडीएस प्रत्यय दूसरे व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किरायेदार/क्रेता का पैर/ आधार सं.	वह धारा जिसके अधीन टीडीएस काटा जाता है	अग्रहित किया गया अदावाकृत टीडीएस (बी/एफ)	चालू वित्त वर्ष का टीडीएस(वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान काटा गया टीडीएस	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया। प्रस्तावित समान रसीद/ आहरण	तदनुरूपी रसीद/ आहरण प्रस्तुत की गई	अग्रहित किया जा रहा टीडीएस प्रत्यय	

					वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	टीडीएस बी/एफ में की गई कटौती	अपने हाथों में की गई कटौती	नियम 37खक(2) (यदि लागू हो)	अपने हाथों में किया गया दावा	नियम 37 खक(2) के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दावा किया गया (यदि लागू हो)	सकल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4क)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								आय टीडीएस		आय टीडीएस पैन्/आधार सं.			
i													

टिप्पण ► कृपया भाग ख-टीडीआई के स्तंभ-9 में 10ख के योग को प्रविष्ट करें

ग												स्त्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप27घ के अनुसार]											
आय	संग्रहणकर्ता पर स्त्रोत के	क्र. सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित जमा टी.सी.एस नियम 37- आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्तित	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण अकाउंट नंबर	अन्य व्यक्ति का पैन्(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित	अग्रणीत अदावाकृत टी.सी.एस		चालू वित्त वर्ष का टी.सी.एस (वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संग्रहित टीसीएस)		इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस		टी.सी.एस जमा आगे लाया गया											
						वित्तीय वर्ष जिसमें सं. संग्रहीत कियागया	अग्रणीत रकम	स्वयं संग्रहित किया	नियम 37- आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा	स्वयं दावा किया गया	नियम 37- आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि अनुप्रयोज्य हो)												
						(1)	(2)(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)		(6i)	(6ii)	(7)(i)	(7)(ii)	(8)						
						i											टीसीएस	पैन्					
						ii																	
टिप्पण ▶												कृपया भाग ख-टीटीआई के 10ग में स्तंभ (7i) का योग भरें											

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री.....यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और इसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं यह और घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं.....(झोप-डाउन दिया जाए)की हैसियत से यह विवरणी दे रहा/रही हूँ और इस विवरण को देने और इसका सत्यापन करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी लेखा संख्यांक.....धारण कर रहा हूँ (यदि आर्बिटित हो) (कृपया अनुदेश देखें)। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख..... स्थानयहां हस्ताक्षर करें”.

[फा.सं. 370142/16/2025-टीपीएल]

सुरबेन्दु ठाकुर, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का0आ0 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा0कानि0 287(अ), तारीख 3 मई, 2025 द्वारा किया गया।

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी रूप देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2025

No. 44/2025

G.S.R 290(E).- In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

- (1) These rules may be called the Income-tax (Sixteenth Amendment) Rules, 2025.
- (2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2025.
- In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix II, for FORM ITR-6, the following FORM shall be substituted, namely: —

“FORM	ITR-6	INDIAN INCOME TAX RETURN [For Companies other than companies claiming exemption under section 11] (See rule 12 of the Income-tax Rules, 1962) <i>(Refer instructions)</i>		Assessment Year					
				2	0	2	5	-	2
Part A-GEN GENERAL									
PERSONAL INFORMATION	(A1) Name						(A2) PAN		
	(A3) Is there any change in the company's name? If yes, please furnish the old name						(A4) Corporate Identity Number (CIN) issued by MCA		
	(A8) Flat/Door/Block No	(A9) Name of Premises/Building/Village				(A5) Date of incorporation (DD/MM/YYYY)	(A6) Date of commencement of business (DD/MM/YYYY)		

(A10) Road/Street/Post Office		(A11) Area/Locality						(A7) Type of company (Tick any one) ☒							
								(i) Domestic Company				☐			
								(ii) Foreign Company				☐			
(A12) Town/City/District		(A13) State				(A14) Pin code/Zip code				If a public company write 6, and if private company write 7 (as defined in section 3 of The Companies Act)					
		(A15) Country													
(A16) Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1						(A17) Mobile No. 2						(A18) Email Address-1			
Email Address-2															
(A19) (ai) Due date for filing return of income [Dropdown to be provided]: 1. 31st October 2. 30th November															
(A19) (aia) 1 Filed u/s (Tick)[Please see instruction] ☐ 139(1)- On or Before due date, ☐ 139(4)- After due date, ☐ 139(5)- Revised Return, ☐ 92CD-Modified return, ☐ 119(2)(b)- After condonation of delay, ☐ 170A- After order by the tribunal or court															
(A19) (aib) 2 Or filed in response to notice u/s ☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153C															
(b) If revised/ defective/Modified, then enter Receipt No and Date of filing original return (DD/MM/YYYY) _____/_____/____															
(c) If filed, in response to notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b) or order referred to in section 170A, enter Unique Number /Document Identification Number and date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement _____/_____/____															
(d) Residential Status (Tick) ☒ Resident ☐ Non-Resident															
(e) Have you opted for taxation under section 115BA/115BAA/115BAB? (drop down to be provided in e-filing utility) (applicable on Domestic Company) If yes, please furnish the AY in which said option is exercised for the first time along with date of filing of relevant form (10-IB/ 10-IC/ 10-ID) & acknowledgment number. If no, whether you are choosing to opt for taxation under section 115BA/115BAA/115BAB this year? (drop down to be provided in e-filing utility) Please provide the date of filing of relevant form (10-IB/10-IC/10-ID) & acknowledgment number.															
(f) Whether total turnover/ gross receipts in the previous year 2022-2023 exceeds 400 crore rupees? (Yes/No) (applicable for Domestic Company)															
(g) Whether assessee is a resident of a country or specified territory with which India has an agreement referred to in sec 90 (1) or Central Government has adopted any agreement under sec 90A(1)?															
(h) In the case of non-resident, is there a Permanent Establishment (PE) in India (Tick) ☒ Yes ☐ No															
(i) In the case of non-resident, is there a Significant Economic Presence (SEP) in India (Tick) ☐ Yes ☐ No please provide details of (a) aggregate of payments arising from the transaction or transactions during the previous year as referred in Explanation 2A(a) to Section 9(1)(i); (b) number of users in India as referred in Explanation 2A(b) to Section 9(1)(i).															
(j) Whether assessee is required to seek registration under any law for the time being in force relating to companies? If yes, please provide details.															
Act under which registration required _____ Date of Registration (DD/MM/YYYY) _____ Registration Number _____															
(k) Whether the financial statements of the company are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Tick) ☒ Yes ☐ No															
(l) Whether assessee has a unit located in an International Financial Services Centre and derives income solely in convertible foreign exchange? (Tick) ☒ Yes ☐ No															
(m) Whether the assessee company is under liquidation (Tick) ☒ Yes ☐ No															
(n) Whether you are an FII / FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No. _____															
(o) Whether the company is a producer company as defined in Sec.581A of Companies Act, 1956? ☐ Yes ☐ No															
(p) Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) ☒ Yes ☐ No If yes, please furnish following information -															
(1) Name of the representative assessee _____															
(2) Capacity of the Representative (drop down to be provided) _____															
(3) Address of the representative assessee _____															

		(4)	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the representative assessee													
	(q)	Whether you are recognized as start up by DPIIT												☐ Yes ☐ No		
		1	If yes, please provide start up recognition number allotted by the DPIIT													
		2	Whether certificate from inter-ministerial board for certification is received?												☐ Yes ☐ No	
		3	If yes provide the certification number													
		4	Whether declaration in Form-2 in accordance with para 5 of DPIIT notification dated 19/02/2019 has been filed before filing of the return?												☐ Yes ☐ No	
		5	If yes, provide date of filing Form-2													
	(r)	Legal Entity Identifier (LEI) details (mandatory if refund is 50 Crores or more)														
		LEI Number						Valid upto date								
	(s)	Whether you are recognized as MSME?												☐ Yes ☐ No		
		If yes, please provide registration number allotted as per MSMED Act, 2006														
AUDIT INFORMATION	(a1)	Whether liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No														
	(a2)	Whether assessee is declaring income only under section 44AE/ 44B/ 44BB/ 44BBA/ 44BBB/ 44BBC/ 44D? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No														
	(a2i)	If No, Whether during the year total sales/turnover/gross receipts of business is more than 1 Crore Rupees but does not exceed 10 Crore Rupees? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No, turnover does not exceed 1 crore ☐ No, turnover exceeds 10 crores														
	(a2ii)	If (a2i) is Yes, whether aggregate of all amounts received, including amount received for sales, turnover or gross receipts or on capital account such as capital contribution, loans etc. during the previous year, in cash & non-a/c payee cheque/DD, does not exceed five per cent of said amount?										(a2ii)	(Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No			
	(a2iii)	If (a2i) is Yes, whether aggregate of all payments made including amount incurred for expenditure or on capital account such as asset acquisition, repayment of loan etc., in cash & non-a/c payee cheque/DD, during the previous year does not exceed five per cent of the said payment										(a2iii)	(Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No			
	(b)	Whether liable for audit under section 44AB? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No (Note to Systems: For cases where a2i exceeds INR 10 crores, this should be an automatic Yes)														
		If Yes is selected at (b), mention by virtue of which of the following conditions:														
	(bi)	Sales, turnover or gross receipts exceeds the limits specified under section 44AB (Tick) ☒														
	(bii)	Assessee falling u/s 44BB but not offering income on presumptive basis (Tick) ☒														
	(biii)	Assessee falling u/s 44BBB but not offering income on presumptive basis (Tick) ☒														
	(biv)	Others (Tick) ☒														
	(c)	If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No If Yes, furnish the following information below														
		(1)	Mention the date of furnishing of audit report (DD/MM/YYYY)													
		(2)	Name of the auditor signing the tax audit report													
		(3)	Membership No. of the auditor													
		(4)	Name of the auditor (proprietorship/ firm)													
		(5)	Proprietorship/firm registration number													
		(6)	Permanent Account Number (PAN/Aadhaar No.) of the auditor (proprietorship/ firm)													
	(7)	Date of audit report														
	(8)	Acknowledgement Number of the Audit Report														
	(9)	UDIN														
	(di)	Are you liable for Audit u/s 92E? ☐ Yes ☐ No														
	(dii)	If (di) is Yes, whether the accounts have been audited u/s. 92E?				☐ Yes ☐ No				Date of furnishing audit report? DD/MM/YYYY				Acknowledgement Number		
	(diii)	If liable to furnish other audit report under the Income-tax Act, mention whether have you furnished such report. If yes, please provide the details as under:) (Please see Instruction 5)														
		Sl. No.				Section Code				Date (DD/MM/YYYY)				Acknowledgement Number		

	(e)	Mention the <u>Act, section</u> and date of furnishing the audit report under any Act other than the Income-tax Act				
		<i>Act and section</i>	<i>(DD/MM/YY)</i>	<i>Act and section</i>	<i>(DD/MM/YY)</i>	
HOLDING STATUS	(a)	Nature of company (select 1 if holding company, select 2 if a subsidiary company, select 3 if both, select 4 if any other)				
	(b)	If subsidiary company, mention the details of the Holding Company				
		PAN	Name of Holding Company	Address of Holding Company	Percentage of Shares held	
	(c)	If holding company, mention the details of the subsidiary companies				
		PAN	Name of Subsidiary Company	Address of Subsidiary Company	Percentage of Shares held	
BUSINESS ORGANISATION	(a)	In case of amalgamating company, mention the details of amalgamated company				
		PAN	Name of Amalgamated Company	Address of Amalgamated Company	Date of Amalgamation	
	(b)	In case of amalgamated company, mention the details of amalgamating company				
		PAN	Name of Amalgamating Company	Address of Amalgamating Company	Date of Amalgamation	
	(c)	In case of demerged company, mention the details of resulting company				
		PAN	Name of Resulting Company	Address of Resulting Company	Date of Demerger	
	(d)	In case of resulting company, mention the details of demerged company				
		PAN	Name of Demerged Company	Address of Demerged Company	Date of Demerger	
KEY PERSONS	Particulars of Managing Director, Directors, Secretary and Principal officer(s) who have held the office during the previous year and the details of eligible person who is verifying the return.					
	S.No.	Name	Designation	Residential Address	PAN/Aadhaar No.	Director Identification Number (DIN) issued by MCA, in case of Director
SHAREHOLDERS INFORMATION	Particulars of persons who were beneficial owners of shares holding not less than 10% of the voting power at any time of the previous year					
	S.No.	Name and Address		Percentage of shares held	PAN (if allotted)	
OWNERSHIP INFORMATION	In case of unlisted company, particulars of natural persons who were the ultimate beneficial owners, directly or indirectly, of shares holding not less than 10% of the voting power at any time of the previous year					
	S.No.	Name	Address	Percentage of shares held	PAN/Aadhaar No. (if allotted)	
	In case of Foreign company, please furnish the details of immediate parent company.					
S.No.	Name	Address	Country of residence	PAN (if allotted)	Taxpayer's registration number or any unique identification number allotted in the country of residence	

	In case of foreign company, please furnish the details of ultimate parent company					
	S.No	Name	Address	Country of residence	PAN (if allotted)	Taxpayer's registration number or any unique identification number allotted in the country of residence
NATURE OF COMPANY AND ITS BUSINESS	Nature of company					(Tick) ☒
	1	Whether a public sector company as defined in section 2(36A) of the Income-tax Act				☐ Yes ☐ No
	2	Whether a company owned by the Reserve Bank of India				☐ Yes ☐ No
	3	Whether a company in which not less than forty percent of the shares are held (whether singly or taken together) by the Government or the Reserve Bank of India or a corporation owned by that Bank				☐ Yes ☐ No
	4	Whether a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949				☐ Yes ☐ No
	5	Whether a scheduled Bank being a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act				☐ Yes ☐ No
	6	Whether a company registered with Insurance Regulatory and Development Authority (established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999)				☐ Yes ☐ No
	7	Whether a company being a non-banking Financial Institution				☐ Yes ☐ No
	8	Whether the company is unlisted? If yes, please ensure to fill up the Schedule SH-1 and Schedule AL-1				☐ Yes ☐ No
	Nature of business or profession, if more than one business or profession indicate the three main activities/ products (Other than those declaring income under section 44AE)					
	S.No.	Code [Please see instruction No. 7(i)]			Description	
	(i)					
	(ii)					
	(iii)					

Part A-BS		BALANCE SHEET AS ON 31 ST DAY OF MARCH, 2025 OR AS ON THE DATE OF AMALGAMATION						
I	Equity and Liabilities							
EQUITY AND LIABILITIES	1	Shareholder's fund						
	A	Share capital						
	i	Authorised	Ai					
	ii	Issued, Subscribed and fully Paid up	Aii					
	iii	Subscribed but not fully paid	Aiii					
	iv	Total (Aii + Aiii)					Aiv	
	B	Reserves and Surplus						
	i	Capital Reserve	Bi					
	ii	Capital Redemption Reserve	Bii					
	iii	Securities Premium Reserve	Biii					
	iv	Debenture Redemption Reserve	Biv					
	v	Revaluation Reserve	Bv					
	vi	Share options outstanding amount	Bvi					
	vii	Other reserve (specify nature and amount)						
	a		viia					
	b		viib					
	c	Total (viia + viib)		Bvii				
	viii	Surplus i.e. Balance in profit and loss account (Debit balance to be shown as -ve figure)		Bviii				
ix	Total (Bi + Bii + Biii + Biv + Bv + Bvi + Bvii + Bviii) (Debit balance to be shown as -ve figure)					Bix		

	C	Money received against share warrants			1C			
	D	Total Shareholder's fund (Aiv + Bix + 1C)			1D			
2	Share application money pending allotment							
	i	Pending for less than one year	i					
	ii	Pending for more than one year	ii					
	iii	Total (i + ii)			2			
3	Non-current liabilities							
	A	Long-term borrowings						
		i	Bonds/ debentures					
		a	Foreign currency	ia				
		b	Rupee	ib				
		c	Total (ia + ib)				ic	
		ii	Term loans					
			a	Foreign currency	iaa			
			b	Rupee loans				
			1	From Banks	b1			
				2	From others		b2	
				3	Total (b1 + b2)		b3	
		c	Total Term loans (iaa + b3)				iic	
		iii	Deferred payment liabilities				iii	
	iv	Deposits from related parties (see instructions)			iv			
	v	Other deposits			v			
	vi	Loans and advances from related parties (see instructions)			vi			
	vii	Other loans and advances			vii			
	viii	Long term maturities of finance lease obligations			viii			
	ix	Total Long-term borrowings (ic + iic + iii + iv + v + vi + vii + viii)			3A			
	B	Deferred tax liabilities (net)			3B			
C	Other long-term liabilities							
	i	Trade payables	i					
	ii	Others	ii					
	iii	Total Other long-term liabilities (i + ii)			3C			
	D	Long-term provisions						
		i	Provision for employee benefits	i				
		ii	Others	ii				
		iii	Total (i + ii)			3D		
E	Total Non-current liabilities (3A + 3B + 3C + 3D)			3E				
4	Current liabilities							
	A	Short-term borrowings						
		i	Loans repayable on demand					
			a	From Banks	ia			
			b	From Non-Banking Finance Companies	ib			
			c	From other financial institutions	ic			
			d	From others	id			
			e	Total Loans repayable on demand (ia + ib + ic + id)			ie	
	ii	Deposits from related parties (see instructions)			ii			
	iii	Loans and advances from related parties (see instructions)			iii			
	iv	Other loans and advances			iv			

			v	Other deposits		v			
			vi	Total Short-term borrowings (ie + ii + iii + iv + v)		4A			
		B	Trade payables						
			i	Outstanding for more than 1 year	i				
			ii	Others	ii				
			iii	Total Trade payables (i + ii)		4B			
		C	Other current liabilities						
			i	Current maturities of long-term debt	i				
			ii	Current maturities of finance lease obligations	ii				
			iii	Interest accrued but not due on borrowings	iii				
			iv	Interest accrued and due on borrowings	iv				
			v	Income received in advance	v				
			vi	Unpaid dividends	vi				
			vii	Application money received for allotment of securities and due for refund and interest accrued	vii				
			viii	Unpaid matured deposits and interest accrued thereon	viii				
			ix	Unpaid matured debentures and interest accrued thereon	ix				
			x	Other payables	x				
			xi	Total Other current liabilities (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x)		4C			
		D	Short-term provisions						
			i	Provision for employee benefit	i				
			ii	Provision for Income-tax	ii				
			iii	Proposed Dividend	iii				
			iv	Tax on dividend	iv				
			v	Other	v				
			vi	Total Short-term provisions (i + ii +iii + iv + v)		4D			
		E	Total Current liabilities (4A + 4B + 4C + 4D)				4E		
		Total Equity and liabilities (1D + 2 + 3E + 4E)					I		
II	ASSETS								
ASSETS	1	Non-current assets							
	A	Fixed assets							
		i	Tangible assets						
		a	Gross block	ia					
		b	Depreciation	ib					
		c	Impairment losses	ic					
		d	Net block (ia – ib - ic)	id					
		ii	Intangible assets						
		a	Gross block	iiia					
		b	Amortization	iiib					
		c	Impairment losses	iiic					
		d	Net block (iiia – iiib - iiic)	iiid					
		iii	Capital work-in-progress			iii			
		iv	Intangible assets under development			iv			
		v	Total Fixed assets (id + iia + iii + iv)				Av		
		B	Non-current investments						
			i	Investment in property	i				
			ii	Investments in Equity instruments					
			a	Listed equities	iiia				

		b	Unlisted equities	iib					
		c	Total (iia + iib)	iic					
		iii	Investments in Preference shares	iii					
		iv	Investments in Government or trust securities	iv					
		v	Investments in Debenture or bonds	v					
		vi	Investments in Mutual funds	vi					
		vii	Investments in Partnership firms	vii					
		viii	Others Investments	viii					
		ix	Total Non-current investments (i + iic + iii + iv + v + vi + vii + viii)				Bix		
	C	Deferred tax assets (Net)				C			
	D	Long-term loans and advances							
		i	Capital advances	i					
		ii	Security deposits	ii					
		iii	Loans and advances to related parties (<i>see instructions</i>)	iii					
		iv	Other Loans and advances	iv					
		v	Total Long-term loans and advances (i + ii + iii + iv)				Dv		
		vi	Long-term loans and advances included in Dv which is						
		a	for the purpose of business or profession	via					
		b	not for the purpose of business or profession	vib					
c		given to shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	vic						
E	Other non-current assets								
	i	Long-term trade receivables							
		a	Secured, considered good	ia					
		b	Unsecured, considered good	ib					
		c	Doubtful	ic					
		d	Total Other non-current assets (ia + ib + ic)	id					
	ii	Others	ii						
iii	Total (id + ii)					Eiii			
iv	Non-current assets included in Eiii which is due from shareholder, being the beneficial owner of share, or from any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act			iv					
F	Total Non-current assets (Av + Bix + C + Dv + Eiii)					1F			
2	Current assets								
A	Current investments								
	i	Investment in Equity instruments							
		a	Listed equities	ia					
		b	Unlisted equities	ib					
		c	Total (ia + ib)	ic					
	ii	Investment in Preference shares		ii					
	iii	Investment in government or trust securities		iii					
	iv	Investment in debentures or bonds		iv					
	v	Investment in Mutual funds		v					
	vi	Investment in partnership firms		vi					
vii	Other investment		vii						
viii	Total Current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)					Aviii			
B	Inventories								

		i	Raw materials	i			
		ii	Work-in-progress	ii			
		iii	Finished goods	iii			
		iv	Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading)	iv			
		v	Stores and spares	v			
		vi	Loose tools	vi			
		vii	Others	vii			
		viii	Total Inventories (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)				Bviii
C	Trade receivables						
	i	Outstanding for more than 6 months	i				
	ii	Others	ii				
	iii	Total Trade receivables (i + ii + iii)				Ciii	
D	Cash and cash equivalents						
	i	Balances with Banks	i				
	ii	Cheques, drafts in hand	ii				
	iii	Cash in hand	iii				
	iv	Others	iv				
	v	Total Cash and cash equivalents (i + ii + iii + iv)				Dv	
E	Short-term loans and advances						
	i	Loans and advances to related parties (<i>see instructions</i>)	i				
	ii	Others	ii				
	iii	Total Short-term loans and advances (i + ii)				Eiii	
	iv	Short-term loans and advances included in Eiii which is					
		a	for the purpose of business or profession	iva			
		b	not for the purpose of business or profession	ivb			
		c	given to a shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	ivc			
F	Other current assets					F	
G	Total Current assets (Aviii + Bviii + Ciii + Dv + Eiii + F)				2G		
Total Assets (1F + 2G)						II	

Part A-BS – Ind AS		BALANCE SHEET AS ON 31 ST DAY OF MARCH, 2025 OR AS ON THE DATE OF BUSINESS COMBINATION [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]						
I	Equity and Liabilities							
	1 Equity							
	A	Equity share capital						
		i	Authorised	Ai				
		ii	Issued, Subscribed and fully paid up	Aii				
		iii	Subscribed but not fully paid	Aiii				
	iv	Total (Aii + Aiii)			Aiv			
	B	Other Equity						
		i	Other Reserves					
			a	Capital Redemption Reserve	ia			
			b	Debenture Redemption Reserve	ib			
c			Share Options Outstanding account	ic				
d	Other (specify nature and amount)		id					

		e	Total other reserves (ia + ib + ic + id)	ie		
	ii		Retained earnings (Debit balance of statement of P&L to be shown as –ve figure)	ii		
	iii		Total (Bie + ii) (Debit balance to be shown as –ve figure)		Biii	
	C		Total Equity (Aiv + Biii)		1C	
2			Liabilities			
	A		Non-current liabilities			
	I		Financial Liabilities			
			Borrowings			
	a		Bonds or debentures			
		1	Foreign currency	a1		
		2	Rupee	a2		
		3	Total (1 + 2)		a3	
	b		Term loans			
		1	Foreign currency	b1		
		2	Rupee loans			
		i	From Banks	i		
		ii	From other parties	ii		
		iii	Total (i + ii)	b2		
	3		Total Term loans (b1 + b2)		b3	
	c		Deferred payment liabilities		c	
	d		Deposits		d	
	e		Loans from related parties (see instructions)		e	
	f		Long term maturities of finance lease obligations		f	
	g		Liability component of compound financial instruments		g	
	h		Other loans		h	
	i		Total borrowings (a3 + b3 + c + d + e + f + g + h)		i	
	j		Trade Payables		j	
	k		Other financial liabilities (Other than those specified in II under provisions)		k	
	II		Provisions			
	a		Provision for employee benefits	a		
	b		Others (specify nature)	b		
	c		Total Provisions		IIc	
	III		Deferred tax liabilities (net)		III	
	IV		Other non-current liabilities			
	a		Advances	a		
	b		Others (specify nature)	b		
	c		Total Other non-current liabilities		IVc	
			Total Non-Current Liabilities (Ii + Ij + Ik + IIc + III + IVc)		2A	
	B		Current liabilities			
	I		Financial Liabilities			
	i		Borrowings			
	a		Loans repayable on demand			
		1	From Banks	1		
		2	From Other parties	2		
		3	Total Loans repayable on demand (1 + 2)	3		
	b		Loans from related parties	b		
	c		Deposits	c		

ASSETS	II	1	Non-current assets	A	Property, Plant and Equipment	d	Other loans (specify nature)	d																
						Total Borrowings (a3 + b + c + d)				Ii														
						ii	Trade payables				Iii													
						iii	Other financial liabilities																	
							a	Current maturities of long-term debt	a															
									b	Current maturities of finance lease obligations	b													
											c	Interest accrued	c											
													d	Unpaid dividends	d									
															e	Application money received for allotment of securities to the extent refundable and interest accrued thereon	e							
																	f	Unpaid matured deposits and interest accrued thereon	f					
																			g	Unpaid matured debentures and interest accrued thereon	g			
																					h	Others (specify nature)	h	
																							Total Other financial liabilities (a + b +c +d +e +f +g+ h)	
						iv	Total Financial Liabilities (Ii + Iii + Iiii)				Iiv													
						II Other Current liabilities																		
							a	Revenue received in advance	a															
									b	Other advances (specify nature)	b													
											c	Others (specify nature)	c											
													Total Other current liabilities (a + b+ c)				IId							
						III Provisions																		
							a	Provision for employee benefits	a															
									b	Others (specify nature)	b													
											Total provisions (a + b)				IIIc									
						IV Current Tax Liabilities (Net)				IV														
						Total Current liabilities (Iiv + IId + IIIc+ IV)				2B														
						Total Equity and liabilities (1C + 2A +2B)				I														
						II ASSETS																		
						ASSETS	1	Non-current assets	A	Property, Plant and Equipment	a	Gross block	a											
													b	Depreciation	b									
															c	Impairment losses	c							
																	Net block (a – b - c)				Ad			
													B Capital work-in-progress				B							
													C Investment Property											
	a	Gross block	a																					
			b	Depreciation	b																			
					c								Impairment losses	c										
														Net block (a – b - c)				Cd						
D Goodwill																								
	a	Gross block	a																					
			b	Impairment losses	b																			
					Net block (a – b)								Dc											
E Other Intangible Assets																								
	a	Gross block	a																					
			b	Amortisation	b																			

			c	Impairment losses	c		
			d	Net block (a – b - c)		Ed	
		F		Intangible assets under development		F	
		G		Biological assets other than bearer plants			
			a	Gross block	a		
			b	Impairment losses	b		
			c	Net block (a – b)		Gc	
		H		Financial Assets			
			I	Investments			
			i	Investments in Equity instruments			
			a	Listed equities	ia		
			b	Unlisted equities	ib		
			c	Total (ia + ib)		ic	
			ii	Investments in Preference shares	ii		
			iii	Investments in Government or trust securities	iii		
			iv	Investments in Debenture or bonds	iv		
			v	Investments in Mutual funds	v		
			vi	Investments in Partnership firms	vi		
			vii	Others Investments (specify nature)	vii		
			viii	Total non-current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)		HI	
			II	Trade Receivables			
			a	Secured, considered good	a		
			b	Unsecured, considered good	b		
			c	Doubtful	c		
			d	Total Trade receivables		III	
			III	Loans			
			i	Security deposits	i		
			ii	Loans to related parties (<i>see instructions</i>)	ii		
			iii	Other loans (specify nature)	iii		
			iv	Total Loans (i + ii + iii)		III	
			v	Loans included in III above which is-			
			a	for the purpose of business or profession	va		
			b	not for the purpose of business or profession	vb		
			c	given to shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	vc		
			IV	Other Financial Assets			
			i	Bank Deposits with more than 12 months maturity	i		
			ii	Others	ii		
			iii	Total of Other Financial Assets (i + ii)		HIV	
		I		Deferred Tax Assets (Net)		I	
		J		Other non-current Assets			
			i	Capital Advances	i		
			ii	Advances other than capital advances	ii		
			iii	Others (specify nature)	iii		
			iv	Total non-current assets (i + ii + iii)		J	

			Non-current assets included in J above which is due from shareholder, being the beneficial owner of share, or from any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	v			
		Total Non-current assets (Ad + B + Cd + Dc + Ed + F + Gc + HI + HII + HIII + HIV + I + J)				1	
2	Current assets						
	A	Inventories					
		i	Raw materials	i			
		ii	Work-in-progress	ii			
		iii	Finished goods	iii			
		iv	Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading)	iv			
		v	Stores and spares	v			
		vi	Loose tools	vi			
		vii	Others	vii			
		viii	Total Inventories (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)			2A	
	B	Financial Assets					
	I	Investments					
		i	Investment in Equity instruments				
		a	Listed equities	ia			
		b	Unlisted equities	ib			
		c	Total (ia + ib)	ic			
		ii	Investment in Preference shares		ii		
		iii	Investment in government or trust securities		iii		
		iv	Investment in debentures or bonds		iv		
		v	Investment in Mutual funds		v		
		vi	Investment in partnership firms		vi		
		vii	Other Investments		vii		
		viii	Total Current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)			I	
	II	Trade receivables					
		i	Secured, considered good	i			
		ii	Unsecured, considered good	ii			
		iii	Doubtful	iii			
		iv	Total Trade receivables (i + ii + iii)			II	
	III	Cash and cash equivalents					
		i	Balances with Banks (of the nature of cash and cash equivalents)	i			
		ii	Cheques, drafts in hand	ii			
		iii	Cash on hand	iii			
		iv	Others (specify nature)	iv			
		v	Total Cash and cash equivalents (i + ii + iii + iv)			III	
	IV	Bank Balances other than III above				IV	
	V	Loans					
		i	Security Deposits	i			
		ii	Loans to related parties (see instructions)	ii			
		iii	Others (specify nature)	iii			
		iv	Total loans (i + ii + iii)			V	
		v	Loans and advances included in V above which is-				
		a	for the purpose of business or profession	va			

		b	not for the purpose of business or profession	vb			
		c	given to a shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	vc			
	VI	Other Financial Assets				VI	
	Total Financial Assets (I + II + III + IV + V + VI)					2B	
	C	Current Tax Assets (Net)				2C	
	D	Other current assets					
	i	Advances other than capital advances	i				
	ii	Others (specify nature)	ii				
	iii	Total			2D		
	Total Current assets (2A + 2B + 2C + 2D)					2	
Total Assets (1 + 2)					II		

Part A- Manufacturing Account		Manufacturing Account for the financial year 2024-25 (fill items 1 to 3 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 61 to 62 as applicable)						
	1	Debits to Manufacturing account						
	A	Opening Inventory						
	i	Opening stock of raw-material	i					
	ii	Opening stock of Work in progress	ii					
	iii	Total (i + ii)				Aiii		
	B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)					B	
	C	Direct wages					C	
	D	Direct expenses (Di + Dii + Diii)					D	
	i	Carriage inward	i					
	ii	Power and fuel	ii					
	iii	Other direct expenses	iii					
	E	Factory Overheads						
	i	Indirect wages	i					
	ii	Factory rent and rates	ii					
	iii	Factory Insurance	iii					
	iv	Factory fuel and power	iv					
	v	Factory general expenses	v					
	vi	Depreciation of factory machinery	vi					
	vii	Total (i+ii+iii+iv+v+vi)				Evii		
	F	Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii)					1F	
	2	Closing Stock						
	i	Raw material	2i					
	ii	Work-in-progress	2ii					
	Total (2i +2ii)						2	
	3	Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F - 2)					3	

Part A- Trading Account		Trading Account for the financial year 2024-25 (fill items 4 to 12 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 61 to 62 as applicable)					
८२	4	Revenue from operations					

DEBITS TO TRADING ACCOUNT	A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)			
		i	Sale of goods	i	
		ii	Sale of services	ii	
		iii	Other operating revenues (specify nature and amount)		
		a		iiia	
		b		iiib	
		c	Total (iiia + iiib)	iiic	
		iv	Total (i + ii + iiic)		Aiv
	B	Gross receipts from Profession			B
	C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied			
		i	Union Excise duties	i	
		ii	Service tax	ii	
		iii	VAT/ Sales tax	iii	
		iv	Central Goods & Service Tax (CGST)	iv	
		v	State Goods & Services Tax (SGST)	v	
		vi	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	vi	
		vii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	vii	
		viii	Any other duty, tax and cess	viii	
		ix	Total (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)		Cix
		D	Total Revenue from operations (Aiv + B +Cix)		
	5	Closing Stock of Finished Goods			5
	6	Total of credits to Trading Account (4D + 5)			6
	7	Opening Stock of Finished Goods			7
	8	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			8
	9	Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)			9
		i	Carriage inward	i	
		ii	Power and fuel	ii	
		iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	iii	
	10	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased			
		i	Custom duty	10i	
		ii	Counter veiling duty	10ii	
		iii	Special additional duty	10iii	
		iv	Union excise duty	10iv	
		v	Service tax	10v	
		vi	VAT/ Sales tax	10vi	
		vii	Central Goods & Service Tax (CGST)	10vii	
		viii	State Goods & Services Tax (SGST)	10viii	
		ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	10ix	
		x	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	10x	
		xi	Any other tax, paid or payable	10xi	
		xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii
	11	Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account			11
	12	Gross Profit from Business/Profession - transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)			12
	12a	Turnover from Intraday Trading			12a
	12b	Income from Intraday Trading - transferred to Profit and Loss account			12b

Part A-P & L		Profit and Loss Account for the financial year 2024-25 (fill items 13 to 60 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 61 to 62 as applicable)					
CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account (12+12b)				13	
	14	Other income					
		i	Rent	i			
		ii	Commission	ii			
		iii	Dividend income	iii			
		iv	Interest income	iv			
		v	Profit on sale of fixed assets	v			
		vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi			
		vii	Profit on sale of other investment	vii			
		viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii			
		ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (Fair Market Value of inventory as on the date of conversion)	ix			
		x	Agricultural income	x			
		xi	Any other income (specify nature and amount)				
			A		xia		
		B		xib			
		C	Total (xia + xib)	xic			
	xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)				14xii	
	15	Total of credits to profit and loss account (13+14xii)				15	
DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	16	Freight outward				16	
	17	Consumption of stores and spare parts				17	
	18	Power and fuel				18	
	19	Rents				19	
	20	Repairs to building				20	
	21	Repairs to machinery				21	
	22	Compensation to employees					
		i	Salaries and wages	22i			
		ii	Bonus	22ii			
		iii	Reimbursement of medical expenses	22iii			
		iv	Leave encashment	22iv			
		v	Leave travel benefits	22v			
		vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi			
		vii	Contribution to recognised provident fund	22vii			
		viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii			
		ix	Contribution to any other fund	22ix			
		x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred		22x		
	xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)			22xi		
	xii	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents		xii	Yes / No		
	xii	If Yes, amount paid to non-residents		xii			
	23	Insurance					
		i	Medical Insurance	23i			
		ii	Life Insurance	23ii			
		iii	Keyman's Insurance	23iii			

	iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv		
	v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v	
24		Workmen and staff welfare expenses		24	
25		Entertainment		25	
26		Hospitality		26	
27		Conference		27	
28		Sales promotion including publicity (other than advertisement)		28	
29		Advertisement		29	
30		Commission			
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)		30iii	
31		Royalty			
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)		31iii	
32		Professional / Consultancy fees / Fee for technical services			
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)		32iii	
33		Hotel, boarding and Lodging		33	
34		Traveling expenses other than on foreign traveling		34	
35		Foreign travelling expenses		35	
36		Conveyance expenses		36	
37		Telephone expenses		37	
38		Guest House expenses		38	
39		Club expenses		39	
40		Festival celebration expenses		40	
41		Scholarship		41	
42		Gift		42	
43		Donation		43	
44		Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)			
	i	Union excise duty	44i		
	ii	Service tax	44ii		
	iii	VAT/ Sales tax	44iii		
	iv	Cess	44iv		
	v	Central Goods & Service Tax (CGST)	44v		
	vi	State Goods & Services Tax (SGST)	44vi		
	vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	44vii		
	viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	44viii		
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT	44ix		
	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)		44x	
45		Audit fee		45	
46		Other expenses (specify nature and amount)			
	i		i		
	ii		ii		

	iii	Total (i + ii)										46iii				
47	Bad debts (specify PAN/Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)															
	(i1)											47i(1)				
	(i2)											47ii(2)				
	(i3)											47i(3)				
	(Rows can be added as required) Total [47i(1)+47i(2)+47i(3)]										47i					
	ii	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/Aadhaar No. is not available (provide name and complete address)										47ii				
	S.No.	Name	Flat / Door/ Block No	Name of Premises/ Building/ Village	Road/ Street/ Post Office	Area/ Locality	Town/ City/ District	State	Country	PIN Code	ZIP Code	Amount				
	1															
	Rows can be added as required															
	iii	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)										47iii				
	iv	Total Bad Debt (47i + 47ii + 47iii)										47iv				
	48	Provision for bad and doubtful debts												48		
	49	Other provisions												49		
	50	Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]												50		
51	Interest															
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company								i						
	ii	To others								ii						
	iii	Total (i + ii)										51iii				
52	Depreciation and amortization												52			
53	Net profit before taxes (50 – 51iii – 52)												53			
54	Provision for current tax												54			
55	Provision for Deferred Tax												55			
56	Profit after tax (53 - 54 - 55)												56			
57	Balance brought forward from previous year												57			
58	Amount available for appropriation (56 + 57)												58			
59	Appropriations															
	i	Transfer to reserves and surplus								59i						
	ii	Proposed dividend/ Interim dividend								59ii						
	iii	Tax on dividend/ Tax on dividend for earlier years								59iii						
	iv	Appropriation towards Corporate Social Responsibility (CSR) activities (in case of companies covered under section 135 of Companies Act, 2013)								59iv						
	v	Any other appropriation								59v						
	vi	Total (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)								59vi						
60	Balance carried to balance sheet (58 - 59vi)												60			
61	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE															
	SR. NO.	Name of Business					Business code			Description						
		Registration No. of goods carriage	Whether owned/leased/hired	Tonnage capacity of goods carriage (in MT)	Number of months for which goods carriage was owned/leased/hired by assessee	Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher										

		(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
		(a)							
		(b)							
			Total						
		Add row options as necessary (Please Note : At any time during the year the number of vehicles should not exceed 10 vehicles)							
		(ii)	Total presumptive income from goods carriage u/s 44AE [total of column (5) of table 61(i)]					61(ii)	
		NOTE— If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of goods carriage owned / leased / hired at any time during the year exceeds 10, then, it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under section 44AB							
NO ACCOUNT	62	In case of Foreign Company whose total income comprises of profits and gains from business referred to in sections 44B, 44BB, 44BBA, 44BBB, 44BBC, 44D or having eligible business of selling raw diamond (refer rule 10TIA) furnish the following information							
	a	Gross receipts / Turnover					62a		
	b	Net profit					62b		

Part A- Manufacturing Account Ind- AS		Manufacturing Account for the financial year 2024-25 [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]				
	1	Debits to Manufacturing account				
	A	Opening Inventory				
		i	Opening stock of raw-material	i		
		ii	Opening stock of Work in progress	ii		
		iii	Total (i + ii)		Aiii	
	B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			B	
	C	Direct wages			C	
	D	Direct expenses			D	
		i	Carriage inward	i		
		ii	Power and fuel	ii		
		iii	Other direct expenses	iii		
	E	Factory Overheads				
		i	Indirect wages			
		ii	Factory rent and rates			
		iii	Factory Insurance			
		iv	Factory fuel and power			
		v	Factory general expenses			
		vi	Depreciation of factory machinery			
		vii	Total (i+ii+iii+iv+v+vi)		Evii	
	F	Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii)			1F	
	2	Closing Stock				
		i	Raw material	2i		
		ii	Work-in-progress	2ii		
		Total (2i + 2ii)			2	
	3	Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F - 2)			3	

Part A- Trading Account Ind- AS		Trading Account for the financial year 2024-25 [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]				
CR	4	Revenue from operations				

DEBITS TO TRADING ACCOUNT	A Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)					
	i Sale of goods		i			
	ii Sale of services		ii			
	iii Other operating revenues (specify nature and amount)					
	a		iiia			
	b		iiib			
	c Total (iiia + iiib)		iiic			
	iv Total (i + ii + iiic)				Aiv	
	B Gross receipts from Profession				B	
	C Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied					
	i Union Excise duties		i			
	ii Service tax		ii			
	iii VAT/ Sales tax		iii			
	iv Central Goods & Service Tax (CGST)		iv			
	v State Goods & Services Tax (SGST)		v			
	vi Integrated Goods & Services Tax (IGST)		vi			
	vii Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)		vii			
	viii Any other duty, tax and cess		viii			
	ix Total (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)				Cix	
	D Total Revenue from operations (Aiv + B +Cix)				4D	
	5 Closing Stock of Finished Goods				5	
	6 Total of credits to Trading Account (4D + 5)				6	
	7 Opening Stock of Finished Goods				7	
8 Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)				8		
9 Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)				9		
i Carriage inward		i				
ii Power and fuel		ii				
iii Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses		iii				
10 Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased						
i Custom duty		10i				
ii Counter veiling duty		10ii				
iii Special additional duty		10iii				
iv Union excise duty		10iv				
v Service tax		10v				
vi VAT/ Sales tax		10vi				
vii Central Goods & Service Tax (CGST)		10vii				
viii State Goods & Services Tax (SGST)		10viii				
ix Integrated Goods & Services Tax (IGST)		10ix				
x Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)		10x				
xi Any other tax, paid or payable		10xi				
xii Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)				10xii		
11 Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account				11		
12 Gross Profit from Business/Profession - transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)				12		
12a Turnover from Intraday Trading				12a		
12b Income from Intraday Trading - transferred to Profit and Loss account				12b		

Part A-P&L Ind-AS		Profit and Loss Account for the financial year 2024-25 [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]				
CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account (12+12b)				
	14	Other income				
		i	Rent	i		
		ii	Commission	ii		
		iii	Dividend income	iii		
		iv	Interest income	iv		
		v	Profit on sale of fixed assets	v		
		vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi		
		vii	Profit on sale of other investment	vii		
		viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii		
		ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (Fair Market Value of inventory as on the date of conversion)	ix		
		x	Agricultural income	x		
		xi	Any other income (specify nature and amount)			
			a		xia	
		b		xib		
		c	Total (xia + xib)	xic		
	xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)			14xii	
	15	Total of credits to profit and loss account (13+14xii)				15
	16	Freight outward				16
	17	Consumption of stores and spare parts				17
	18	Power and fuel				18
	19	Rents				19
	20	Repairs to building				20
	21	Repairs to machinery				21
	22	Compensation to employees				
		i	Salaries and wages	22i		
		ii	Bonus	22ii		
		iii	Reimbursement of medical expenses	22iii		
		iv	Leave encashment	22iv		
		v	Leave travel benefits	22v		
		vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi		
		vii	Contribution to recognised provident fund	22vii		
		viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii		
		ix	Contribution to any other fund	22ix		
		x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	22x		
		xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)		22xi	
		xii	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents	xiia	Yes / No	
			If Yes, amount paid to non-residents	xiib		
	23	Insurance				
		i	Medical Insurance	23i		

	ii	Life Insurance	23ii		
	iii	Keyman's Insurance	23iii		
	iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv		
	v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v	
24	Workmen and staff welfare expenses				24
25	Entertainment				25
26	Hospitality				26
27	Conference				27
28	Sales promotion including publicity (other than advertisement)				28
29	Advertisement				29
30	Commission				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)		30iii	
31	Royalty				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)		31iii	
32	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)		32iii	
33	Hotel, boarding and Lodging				33
34	Traveling expenses other than on foreign traveling				34
35	Foreign travelling expenses				35
36	Conveyance expenses				36
37	Telephone expenses				37
38	Guest House expenses				38
39	Club expenses				39
40	Festival celebration expenses				40
41	Scholarship				41
42	Gift				42
43	Donation				43
44	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)				
	i	Union excise duty	44i		
	ii	Service tax	44ii		
	iii	VAT/ Sales tax	44iii		
	iv	Cess	44iv		
	v	Central Goods & Service Tax (CGST)	44v		
	vi	State Goods & Services Tax (SGST)	44vi		
	vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	44vii		
	viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	44viii		
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT	44ix		
	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)		44x	

	45	Audit fee											45		
	46	Other expenses (specify nature and amount)													
		i									i				
		ii									ii				
		iii	Total (i + ii)									46iii			
	47	Bad debts (specify PAN/Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)													
		(i1)										47(i1)			
		(i2)										47i(2)			
		(i3)										47i(3)			
			(Rows can be added as required) Total (47i1+47i2+47i3)								47i				
		ii	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/Aadhaar No. is not available (provide name and complete address)								47ii				
		S.No.	Name	Flat / Door/ Block No	Name of Premises/ Building/ Village	Road/ Street/ Post Office	Area/ Locality	Town/ City/ District	State	Country	PIN Code	ZIP Code	Amount		
		1													
			Rows can be added as required												
		iii	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)								47iii				
		iv	Total Bad Debt (47i + 47ii + 47iii)										47iv		
	48	Provision for bad and doubtful debts											48		
	49	Other provisions											49		
	50	Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]											50		
	51	Interest													
		i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company								i				
		ii	To others								ii				
		iii	Total (i + ii)									51iii			
	52	Depreciation and amortisation											52		
	53	Net profit before taxes (50 – 51iii – 52)											53		
PROVISIONS FOR TAX AND APPROPRIATIONS	54	Provision for current tax											54		
	55	Provision for Deferred Tax											55		
	56	Profit after tax (53 - 54 - 55)											56		
	57	Balance brought forward from previous year											57		
	58	Amount available for appropriation (56 + 57)											58		
	59	Appropriations													
		i	Transfer to reserves and surplus								59i				
		ii	Proposed dividend/ Interim dividend								59ii				
		iii	Tax on dividend/ Tax on dividend for earlier years								59iii				
		iv	Appropriation towards Corporate Social Responsibility (CSR) activities (in case of companies covered under section 135 of Companies Act, 2013)								59iv				
	v	Any other appropriation								59v					
		vi	Total (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)								59vi				
	60	Balance carried to balance sheet (58 - 59vi)											60		
	61	A	Items that will not be reclassified to P&L												
			i	Changes in revaluation surplus								i			
			ii	Re-measurements of the defined benefit plans								ii			
			iii	Equity instruments through OCI								iii			

			iv	Fair value Changes relating to own credit risk of financial liabilities designated at FVTPL	iv		
			v	Share of Other comprehensive income in associates and joint ventures, to the extent not to be classified to P&L	v		
			vi	Others (Specify nature)	vi		
			vii	Income tax relating to items that will not be reclassified to P&L	vii		
			viii	Total			
		61A					
		B	Items that will be reclassified to P&L				
			i	Exchange differences in translating the financial statements of a foreign operation	i		
			ii	Debt instruments through OCI	ii		
			iii	The effective portion of gains and loss on hedging instruments in a cash flow hedge	iii		
			iv	Share of OCI in associates and joint ventures to the extent to be classified into P&L	iv		
			v	Others (Specify nature)	v		
			vi	Income tax relating to items that will be reclassified to P&L	vi		
			vii	Total			
		61B					
	62	Total Comprehensive Income (56 + 61A + 61B)					62

Part A- OI		Other Information (mandatory, if liable for audit under section 44AB, for other fill, if applicable)	
OTHER INFORMATION	1	Method of accounting employed in the previous year (Tick) ☒ mercantile ☐ cash	
	2	Is there any change in method of accounting (Tick) ☒ Yes ☐ No	
	3a	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column XI(3) of Schedule ICDS]	3a
	3b	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column XI(4) of Schedule ICDS]	3b
	4	Method of valuation of closing stock employed in the previous year (optional in case of professionals)	
	a	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)	☐
	b	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)	☐
	c	Is there any change in stock valuation method (Tick) ☒ Yes ☐ No	
	d	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4d
	e	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4e
	5	Amounts not credited to the profit and loss account, being -	
	a	the items falling within the scope of section 28	5a
	b	the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned	5b
	c	escalation claims accepted during the previous year	5c
	d	any other item of income	5d
	e	capital receipt, if any	5e
	f	Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e)	5f
	6	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of condition specified in relevant clauses-	
	a	Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	6a
	b	Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	6b
c	Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c	
d	Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d	
e	Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iia)]	6e	
f	Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f	

	g	Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	6g			
	h	Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)]	6h			
	i	Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	6i			
	j	Amount of contributions to any other fund	6j			
	k	Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	6k			
	l	Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6l			
	m	Provision for bad and doubtful debts [36(1)(viii)]	6m			
	n	Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)]	6n			
	o	Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)]	6o			
	p	Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)]	6p			
	q	Marked to market loss or other expected loss as computed in accordance with the ICDS notified u/s 145(2) [36(1)(xviii)]	6q			
	r	Any other disallowance	6r			
	s	Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6r)				6s
	t	Total number of employees employed by the company (mandatory in case company has recognized Provident Fund)				
	i	deployed in India	i			
ii	deployed outside India	ii				
	iii	Total	iii			
7	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37					
	a	Expenditure of capital nature [37(1)]	7a			
	b	Expenditure of personal nature [37(1)]	7b			
	c	Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)]	7c			
	d	Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]	7d			
	e	Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force	7e			
	f	Any other penalty or fine	7f			
	g	Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law	7g			
	h	Expenditure incurred on corporate social responsibility (CSR)	7h			
	i	Amount of any liability of a contingent nature	7i			
	j	Any other amount not allowable under section 37	7j			
	k	Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7j)				7k
8	A. Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40					
	a	Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Aa			
	b	Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ab			
	c	Amount disallowable under section 40(a)(ib) on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016	Ac			
	d	Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ad			
	e	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]	Ae			
	f	Amount paid as wealth tax [40(a)(iia)]	Af			
	g	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)	Ag			

		h	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member inadmissible under section [40(b)/ 40(ba)]	Ah		
		i	Any other disallowance	Ai		
		j	Total amount disallowable under section 40(total of Aa to Ai)		Aj	
		B.	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year		8B	
	9	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A				
	a	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)	9a			
	b	Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such electronic mode as may be prescribed, disallowable under section 40A(3)	9b			
	c	Provision for payment of gratuity [40A(7)]	9c			
	d	any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]	9d			
	e	Any other disallowance	9e			
	f	Total amount disallowable under section 40A (Total of 9a to 9e)			9f	
	10	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year				
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	10a			
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	10b			
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	10c			
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	10d			
	da	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from such class of non-banking financial companies as may be notified by the Central Government , in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	10da			
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	10e			
	f	Any sum payable towards leave encashment	10f			
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	10g			
	h	Any sum payable to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006	10h			
	i	Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10h)			10i	
	11	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B				
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	11a			
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	11b			
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	11c			
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	11d			
	da	any sum payable as interest on any loan or borrowing from such class of non-banking financial companies as may be notified by the Central Government, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	11da			
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	11e			
	f	Any sum payable towards leave encashment	11f			

		g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	11g		
		h	Any sum payable to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006	11h		
		i	Total amount disallowable under Section 43B (total of 11a to 11h)			
	12	Amount of credit outstanding in the accounts in respect of				11i
		a	Union Excise Duty	12a		
		b	Service tax	12b		
		c	VAT/sales tax	12c		
		d	Central Goods & Service Tax (CGST)	12d		
		e	State Goods & Services Tax (SGST)	12e		
		f	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	12f		
		g	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	12g		
		h	Any other tax	12h		
		i	Total amount outstanding (total of 12a to 12h)			12i
	13	Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA or 33AC				13
	14	Any amount of profit chargeable to tax under section 41				14
	15	Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net)				15
	16	Amount of expenditure disallowed u/s 14A				16
	17	Whether assessee is exercising option under subsection 2A of section 92CE (Tick) ☒ No ☐ Yes [If yes, please fill schedule TPSA]				17

Part A – QD		Quantitative details (mandatory, if liable for audit under section 44AB)				
QUANTITATIVE DETAILS	(a)	In the case of a trading concern				
		1	Opening stock	1		
		2	Purchase during the previous year	2		
		3	Sales during the previous year	3		
		4	Closing stock	4		
		5	Shortage/ excess, if any	5		
	(b)	In the case of a manufacturing concern				
		6	Raw materials			
		a	Opening stock	6a		
		b	Purchases during the previous year	6b		
		c	Consumption during the previous year	6c		
		d	Sales during the previous year	6d		
		e	Closing stock	6e		
		f	Yield finished products	6f		
		g	Percentage of yield	6g		
		h	Shortage/ excess, if any	6h		
		7	Finished products/ By-products			
		a	opening stock	7a		
		b	purchase during the previous year	7b		
		c	quantity manufactured during the previous year	7c		
		d	sales during the previous year	7d		
		e	closing stock	7e		
		f	shortage/ excess, if any	7f		

Part A – OL	Receipt and payment account of company under liquidation
-------------	--

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT OF COMPANY UNDER LIQUIDATION	1	Opening balance			
	i	Cash in hand	1i		
	ii	Bank	1ii		
	iii	Total opening balance	1iii		
	2	Receipts			
	i	Interest	2i		
	ii	Dividend	2ii		
	iii	Sale of assets (pls. specify nature and amount)			
	a		2iiia		
	b		2iiib		
	c		2iiic		
	d	Total (iiia + iiib + iiic)	2iiid		
	iv	Realisation of dues/debtors	2iv		
	v	Others (pls. specify whether revenue/capital, nature and amount)			
	a		2va		
	b		2vb		
	c	Total of other receipts (va + vb)	2vc		
	vi	Total receipts (2i + 2ii + 2iiid + 2iv + 2vc)	2vi		
	3	Total of opening balance and receipts			3
	4	Payments			
	i	Repayment of secured loan	4i		
	ii	Repayment of unsecured loan	4ii		
	iii	Repayment to creditors	4iii		
	iv	Commission	4iv		
v	Others (pls. specify)				
a		4va			
b		4vb			
c	Total of other payments (4va + 4vb)	4vc			
vi	Total payments (4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4vc)	4vi			
5	Closing balance				
i	Cash in hand	5i			
ii	Bank	5ii			
iii	Total of closing balance (5i + 5ii)	5iii			
6	Total of closing balance and payments (4vi + 5iii)			6	

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule HP		Details of Income from House Property (Please refer instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)				
HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1	Town/ City	State	Country	PIN Code / Zip Code
		Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details) Assessee's percentage of share in the property %				
		Name of Co-owner(s)	PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)	Percentage Share in Property		
	I					
	II					

/Tick ☒ the applicable option] ☐ Let out ☐ Deemed let out	Name(s) of Tenant(s) (if let out)		PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see Note)										PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)									
	I																					
	II																					
	a	Gross rent received or receivable or lettable value															1a					
	b	The amount of rent which cannot be realized										1b										
	c	Tax paid to local authorities										1c										
	d	Total (1b + 1c)										1d										
	e	Annual value (1a – 1d)															1e					
	f	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)															1f					
	g	30% of 1f										1g										
	h	Interest payable on borrowed capital (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing)										1h										
	i	Total (1g + 1h)															1i					
	j	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%															1j					
	k	Income from house property 1 (1f – 1i+1j)															1k					
	(fill up details separately for each property)																					
2	Pass through income/loss if any *															2						
3	Income under the head “Income from house property” (Σ 1k + 2) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)															3						
NOTE ► Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB.																						

Schedule BP		Computation of income from business or profession												
INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	A From business or profession other than speculative business and specified business													
	1	Profit before tax as per profit and loss account (item 53, 61(ii) and 62(b) of Part A-P&L) / (item 53 of Part A-P&L – Ind AS) (as applicable)										1		
	2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss) (Sl. No. 12b of Schedule Trading Account or Trading-Ind As account) (as applicable)										2a		
	2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)										2b		
	3	a	House property	3a										
		b	Capital gains	3b										
		c	Other sources	3c										
		ci	Dividend	3ci										
		cii	other than Dividend	3cii										
		d	u/s 115BBF	3d										
		e	u/s 115BBG	3e										
	f	u/s 115BBH (net of Cost of Acquisition, if any)	3f	(Item No. A of Schedule VDA)										
	4a	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44B/44BB/44BBA/44BBB/44BBC/44AE/44D/44DA/Chapter-XII-G/ First Schedule of Income-tax Act (other than 115B) (Dropdown to be provided)										4a		
	4b	Profit and gains from life insurance business referred to in section 115B										4b		
	4c	Profit from activities covered under rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (Dropdown to be provided)										4c		
4d	Profit from eligible business of selling raw diamonds (refer rule 10TIA)										4d			
5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt													
	a	Share of income from firm(s)	5a											
	b	Share of income from AOP/ BOI	5b											
	c	Any other exempt income (specify nature and amount)												
	i		ci											
	ii		cii											
	iii	Total (ci + cii)										5ciii		

		d	Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)	5d		
	6		Balance (1– 2a – 2b – 3a – 3b – 3c – 3d – 3e – 3f– 5d)		6	
	7		Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/related to income chargeable u/s 115BBF or u/s 115BBG or u/s 115BBH	A House property 7a B Capital gains 7b C Other sources 7c D u/s 115BBF 7d E u/s 115BBG 7e F u/s 115BBH (other than Cost of ...) 7f		
	8a		Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt	8a		
	8b		Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income and disallowed u/s 14A (16 of Part A-OI)	8b		
	9		Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 7f+ 8a+8b)	9		
	10		Adjusted profit or loss (6+9)		10	
	11		Depreciation and amortization debited to profit and loss account		11	
	12		Depreciation allowable under Income-tax Act			
		i	Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(iia) (item 6 of Schedule-DEP)	12i		
		ii	Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)	12ii		
		iii	Total (12i + 12ii)		12iii	
	13		Profit or loss after adjustment for depreciation (10 +11 – 12iii)		13	
	14		Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6s of Part A-OI)	14		
	15		Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7k of Part A-OI)	15		
	16		Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of Part A-OI)	16		
	17		Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9f of Part A-OI)	17		
	18		Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11i of Part A-OI)	18		
	19		Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006	19		
	20		Deemed income under section 41	20		
	21		Deemed income under section 32AC/ 32AD/ 33AB/ 33ABA/35ABA/ 35ABB/ 35AC/ 40A(3A)/ 33AC/ 72A/ 80HHD/ 80-IA	21		
	22		Deemed income under section 43CA	22		
	23		Any other item of addition under section 28 to 44DB	23		
	24		Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which company is a partner)	24		
	25		Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3a + 4d of Part A- OI)	25		
	26		Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25)		26	
	27		Deduction allowable under section 32(1)(iii)	27		
	28		Amount allowable as deduction under section 32AC	28		
	29		Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24)	29		
	30		Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year(8B of Part A-OI)	30		
	31		Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year (10i of Part A-OI)	31		
	32		Any other amount allowable as deduction	32		
	33		Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI)	33		
	34		Total (27+28+29+30+31+32+33)		34	
	35		Income (13+26-34)		35	

	36	Profits and gains of business or profession deemed to be under -			
		i	Section 44AE (61(ii) of schedule P&L)	36i	
		ii	Section 44B	36ii	
		iii	Section 44BB	36iii	
		iv	Section 44BBA	36iv	
		va	Section 44BBB	36va	
		vb	Section 44BBC	36vb	
		vi	Section 44D	36vi	
		vii	Section 44DA	36vii	(item 4 of Form 3CE)
		viii	Chapter-XII-G (tonnage)	36viii	(total of col. 7 of item 10 of Form 3CE)
		ix	First Schedule of Income-tax Act (other than 115B)	36ix	
		x	Total (36i to 36ix)		36x
	37	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (36+36x)			37
	38	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 37) (If loss take the figure to 2i of item F) (38a+ 38b + 38c + 38d + 38e + 38f)			A38
		a	Income chargeable under Rule 7	38a	
b		Deemed income chargeable under Rule 7A	38b		
c		Deemed income chargeable under Rule 7B(1)	38c		
d		Deemed income chargeable under Rule 7B(1A)	38d		
e		Deemed income chargeable under Rule 8	38e		
f		Income other than Rule 7A, 7B & 8 (Item No. 37)	38f		
39	Balance of income deemed to be from agriculture, after applying Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and Rule 8 for the purpose of aggregation of income as per Finance Act [4c- (38a+38b+38c+38d+38e)]			39	
B	Computation of income from speculative business				
	40	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account		40	
	41	Additions in accordance with section 28 to 44DB		41	
	42	Deductions in accordance with section 28 to 44DB		42	
	43	Income from speculative business (40+41-42) (if loss, take the figure to 6xvii of schedule CFL)		B43	
C	Computation of income from specified business under section 35AD				
	44	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account		44	
	45	Additions in accordance with section 28 to 44DB		45	
	46	Deductions in accordance with section 28 to 44DB (other than deduction under section,- (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)		46	
	47	Profit or loss from specified business (44+45-46)		47	
	48	Deductions in accordance with section 35AD(1)		48	
	49	Income from Specified Business (47-48) (if loss, take the figure to 7xvii of schedule CFL)		C49	
50	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)		C50		
D	Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A38+B43+C49)				
E	Intra head set off of business loss of current year				
	Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive)	Business loss set off	Business income remaining after set off
			(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
	i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is		(A38)	
	ii	Income from speculative	(B43)		
	iii	Income from specified	(C49)		
	iv	Income from Life Insurance business u/s. 115B	(4b)		
	iva	Income of Foreign Company from eligible business of selling raw diamond (as per rule	(4d)		
v	Total loss set off (ii + iii)				

	vi	Loss remaining after set off (i – v)		
--	----	--------------------------------------	--	--

Schedule DPM		Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)				
DEPRECIATION ON PLANT AND MACHINERY	1	Block of assets	Plant and machinery			
	2	Rate (%)	15	30	40	45
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3	Written down value on the first day of previous year				
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year				
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4				
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)				
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year				
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7				
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7 – 8) (enter 0, if result is negative)				
	10	Depreciation on 6 at full rate				
	11	Depreciation on 9 at half rate				
	12	Additional depreciation, if any, on 4				
	13	Additional depreciation, if any, on 7				
	14	Additional depreciation relating to immediately preceding year on asset put to use for less than 180 days				
	15	Total depreciation (10+11+12+13+14)				
	16	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 15)				
	17	Net aggregate depreciation (15-16)				
	18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17)				
	19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets				
	20	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3 - 4 -7 -19) (enter negative only, if block ceases to exist)				
21	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -15) (enter 0, if result is negative)					

Schedule DOA		Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)						
DEPRECIATION ON OTHER ASSETS	1	Block of assets	Land	Building (not including land)		Furniture and fittings	Intangible assets	Ships
	2	Rate (%)	Nil	5	10	40	10	25
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	3	Written down value on the first day of previous year						
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year						
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4						
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 - 5) (enter 0, if result is negative)						

7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							
8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)							
10	Depreciation on 6 at full rate							
11	Depreciation on 9 at half rate							
12	Total depreciation (10+11)							
13	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 12)							
14	Net aggregate depreciation (12-13)							
15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14)							
16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets							
17	Capital gains/ loss under section 50* (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist)							
18	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative)							

Schedule DEP		Summary of depreciation on assets (Other than on assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)					
SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery					
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 17i or 18i as applicable)	1a				
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 17ii or 18ii as applicable)	1b				
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 17iii or 18iii as applicable)	1c				
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 17iv or 18iv as applicable)	1d				
	e	Total depreciation on plant and machinery (1a + 1b + 1c+1d)			1e		
	2	Building (not including land)					
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable)	2a				
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable)	2b				
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 14iv or 15iv as applicable)	2c				
	d	Total depreciation on building (2a+2b+2c)			2d		
	3	Furniture and fittings(Schedule DOA- 14v or 15v as applicable)				3	
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 14vi or 15vi as applicable)				4	
	5	Ships (Schedule DOA- 14vii or 15vii as applicable)				5	
	6	Total depreciation (1e+2d+3+4+5)				6	

Schedule DCG		Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets						
1	Plant and machinery							
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 20i)	1a					
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM – 20ii)	1b					
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 20iii)	1c					
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 20iii)	1d					
	e Total (1a +1b + 1c+1e)							
	2	Building (not including land)						
a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 17ii)	2a						

		b Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 17iii)	2b		
		c Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 17iv)	2c		
		d Total (2a + 2b + 2c)			
				2d	
3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 17v)				3
4	Intangible assets (Schedule DOA- 17vi)				4
5	Ships (Schedule DOA- 17vii)				5
6	Total (1e+2d+3+4+5)				6

Schedule ESR		Expenditure on scientific Research etc. (Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD)			
Sl No	Expenditure of the nature referred to in section (1)	Amount, if any, debited to profit and loss account (2)	Amount of deduction allowable (3)	Amount of deduction in excess of the amount debited to profit and loss account (4) = (3) - (2)	
i	35(1)(i)				
ii	35(1)(ii)				
iii	35(1)(ia)				
iv	35(1)(iii)				
v	35(1)(iv)				
vi	35(2AA)				
vii	35(2AB)				
viii	35CCC				
ix	35CCD				
x	Total				
NOTE	In case any deduction is claimed under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA), please provide the details as per Schedule RA.				

Schedule CG		Capital Gains			
CAPITAL GAINS	A	Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 & 5 are not applicable for residents)			
	Short-term Capital Gains	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)(in case of co-ownership, enter your share of capital gain)		
			Date of purchase/acquisition	DD/MM/YYYY	Date of sale/transfer
				DD/MM/YYYY	
		a	i	Full value of consideration received/receivable	
				ai	
			ii	Value of property as per stamp valuation authority	
				aii	
			iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]	
				aiii	
		b	Deductions under section 48		
			i	Cost of acquisition without indexation	
				bi	
			ii	Cost of Improvement without indexation	
				bii	
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	
				biii	
			iv	Total (bi + bii + biii)	
				biv	
		c	Balance (aiii – biv)		
				1c	
		d	Deduction under section/ 54G/54GA (Specify details in item D below)		
				1d	
	e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)			
				A1e	

	F In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)										
		S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, Zip code	Pin code	State		
	NOTE ▶	Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.									
2	From slump sale										
	A	i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)				2ai				
		ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)				2aii				
		iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)				2aiii				
	B	Net worth of the under taking or division					2b				
	C	Short term capital gains from slump sale (2aiii-2b)								A2c	
3	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(b)(ii) proviso (for FII) (where A4 is not applicable)						Where transfer before 23 rd July 2024	Where transfer on or after 23 rd July 2024			
	a	Full value of consideration					3a				
	b	Deductions under section 48									
		i	Cost of acquisition without indexation				bi				
		ii	Cost of Improvement without indexation				bii				
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii				
		iv	Total (i + ii + iii)				biv				
	c	Balance (3a – biv)					3c				
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)					3d				
e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)					3ei	3eii	A3e			
4	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)										
	a	STCG on transactions covered u/s 111A (A4ai + A4aii)								A4a	
		i	Where the transfer was before 23 rd July 2024					A4ai			
		ii	Where the transfer was on or after 23 rd July 2024					A4aii			
	b	STCG from sale of shares not covered in sl.no. 4a or sale of debentures								A4b	
5	For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD										
	a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details								
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares				ia				

				b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib			
				c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a	ic			
				ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	a ii			
				iii	Total (ic + ii)	a iii			
				b	Deductions under section 48				
				i	Cost of acquisition without indexation	bi			
				ii	Cost of improvement without indexation	b ii			
				iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	b iii			
				iv	Total (i + ii + iii)	b iv			
				c	Balance (5a iii – b iv)	5c			
				d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)	5d			
				e	Short-term capital gain on securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d)				
6 From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above									
				A	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
				a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia			
					b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
					c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a	ic		
					ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted	a ii		
					iii	Total (ic + ii)	a iii		
				B	Deductions under section 48				
				i	Cost of acquisition without indexation	bi			
					ii	Cost of Improvement without indexation	b ii		
					iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	b iii		
					iv	Total (i + ii + iii)	b iv		
					C	Balance (6a iii – b iv)	6c		
					D	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)	6d		
					E	Deemed short term capital gains on depreciable assets (6 of schedule- DCG)	6e		
					F	Deduction under section 54G/54GA	6f		
					G	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e – 6f)			
7 Amount deemed to be short term capital gains									
					a Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below				
					SL	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed	
							Previous year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account	
					i	2021-22	54G/54GA		
					ii	2022-23	54G/54GA		
					iii	2023-24	54G/54GA		

b	Amount deemed to be short term capital gains u/s 54D/54G/54GA, other than at 'a'												
	Amount deemed to be short term capital gains (Xi+ Xii+ Xiii + b)										A7		
	8	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8ai + A8aai + A8b + A8c)										A8	
	ai	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 15%							A8ai				
	aai	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 20%							A8aai				
	b	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 30%							A8b				
	c	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates							A8c				
	9	Amount of STCG included in A1 – A8 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA											
	Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
	I												
	II												
	a	Total amount of STCG not claimed as chargeable to tax in India as per DTAA										A9a	
	b	Total amount of STCG claimed as chargeable to tax at special rates in India as per DTAA										A9b	
	A(A)	Capital Loss on buy back of shares on or after 01st October 2024 [Short term 20% or 30% or Applicable rate] (can be claimed only if respective Dividend income u/s 2(22)(f) is offered)										A(A)	
10	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7 + A8-A9a +A(A))										A10		
B	Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items 6, 7& 8 are not applicable for residents)												
Long-term Capital Gains	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property from a to f)(in case of co-ownership, enter your share of Capital Gain)											
		Date of purchase/ acquisition		DD/MM/YYYY		Date of sale/transfer		DD/MM/YYYY					
	a	i	Full value of consideration received/receivable							Ai			
		ii	Value of property as per stamp valuation authority							Aii			
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (a) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (a)]							Aiii			
	b	Deductions under section 48											
		i	Cost of acquisition without indexation							bi			
		ii	Cost of acquisition with indexation (Applicable only for transfers before 23rd July 2024)							biia			
		iiib	Total Cost of Improvement							biib			
			(a) Cost of improvement without indexation							biib(a)			
			(b) Year of improvement										
			(c) Cost of Improvement with indexation (b & c applicable only for transfers before 23rd July 2024)							biib(c)			
			Add row										
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer							biib			
		iv	Total (where transfer is before 23rd July 2024 biia + Σ biib(c) +biib; where transfer is on or after 23rd July 2024 bi+ Σ biib(a) + biib)							biv			
c	Balance (aiii – biv)										1c		
d	Deduction under section 54D/54EC/54G/54GA (Specify details in item D)										1d		
e	Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)										B1e		
f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)												

	S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, Zip	Pin code	State	
		NOTE ► Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.							
	g	Total Long-term Capital Gains on Immovable property (2B1e) where transfer was							
		(a) Before 23 rd July 2024 (sum of capital gains on all properties transferred before 23 rd July 2024)							
		(b) On or after 23 rd July 2024 (sum of capital gains on all properties transferred on or after 23 rd July 2024)							
2	From slump sale						Where transfer was before	Where transfer was on or after 23 rd July	
	i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)			2ai				
	ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)			2aii				
	iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)			2aiii				
	b	Net worth of the under taking or division			2b	(6(e) of Form	(6(e) of Form 3CEA)		
	c	Balance (2aiii – 2b)			2c				
	d	Deduction u/s 54EC			2d				
	e	Long term capital gains from slump sale (2c-2d)					B2ei	B2eii	B2e
3	From residents, from sale of unlisted bonds or unlisted debenture (other than capital indexed bonds issued by Government) (applicable only where transfer was before 23 rd July 2024)								
	a	Full value of consideration			3a				
	b	Deductions under section 48							
	i	Cost of acquisition without indexation			bi				
	ii	Cost of improvement without indexation			bii				
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with			biii				
	iv	Total (bi + bii + biii)			biv				
	c	LTCG on bonds or debenture - (3a-biv)						B3c	
4	From sale of listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds as per Section 112(1)					Where transfer was before 23 rd July 2024 (i)	Where transfer was on or after 23 rd July 2024 (ii)		
	a	Full value of consideration			4a				
	b	Deductions under section 48							
	i	Cost of acquisition with indexation			bi				
	ia	Cost of acquisition without indexation (where transfer was before 23 rd July 2024, applicable only for the purpose of computing excess tax to be ignored as per proviso to 112(1))			bia				
	ii	Cost of improvement with indexation			bii				
	iaa	Cost of improvement without indexation (where transfer was before 23 rd July 2024, applicable only for the purpose of computing excess tax to be ignored as per proviso to 112(1))			biia				
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with			biii				
	iv	Total (where transfer was before 23 rd July 2024, bi + bii + biii)			biv				
	iva	Total (bia + biia + biii) (for the purpose of computing excess as per proviso section 112(1)) (applicable where transfer was before 23 rd July 2024)			biva				
	c	Long Term Capital Gains on assets at B4 where transfer was (4a – biv)							
	i.	Before 23 rd July 2024,			B4c				
	ii.	On or After 23 rd July 2024							
	ca	Long-term Capital Gains on assets at B4 above where transfer was before 23 rd July 2024 (4ca – biva) (for the purpose of computing excess tax as per proviso to section 112(1))			B4ca				

	d	Tax as per 112(1)(a)(ii)(A) or 112(1)(c)(ii)(A) [LTCG at 20 % with indexation] [B4(c)*20%] (applicable where transfer was before 23 rd July, 2024)	B4d				
	e	Tax as per 1 st Proviso to section 112(1) [LTCG at 10 % without indexation] [B4(ca)*10%] (applicable where transfer was before 23 rd July, 2024)	B4e				
	f	Excess amount that is required to be ignored as per 1 st proviso to section 112(1) [B4(d) – B4(e)] (applicable where transfer was before 23 rd July 2024)	B4f				
5		From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A					
		Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B5(Column 14(iii) of schedule 112A)					B5
	i	Sum of column 14 where transfer was before 23 rd July 2024				B5i	
	ii	Sum of column 14 where transfer was on or after 23 rd July 2024				B5ii	

	6	For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)									
		LTCG computed without indexation benefit where transfer was						B6			
		i. Before 23 rd July 2024 – Listed Debentures						B6i			
		ii. Before 23 rd July 2024 - Other than Listed Debentures						B6ii			
		iii. On or after 23 rd July 2024 (Only unlisted shares or Listed debentures)						B6iii			
	7	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) units referred in sec. 115AB, (iii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iv) securities by FII as referred to in sec. 115AD Note : For serial number (iv), break up of income based on date of transfer is not required				Where transfer was before 23 rd July 2024 (i)	Where transfer was on or after 23 rd July 2024 (ii)				
		a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details							
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia						
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib						
			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic						
			ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii						
			iii	Total (ic + ii)	aiii						
		b	Deductions under section 48								
		i	Cost of acquisition without indexation			bi					
		ii	Cost of improvement without indexation			bii					
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with			biii					
		iv	Total (bi + bii +biii)			biv					
		c	Long-term Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (aiii-biv) (i) Where transfer was before 23 rd July 2024 [applicable for 7(i), 7(ii) & 7(iii)] (ii) Where transfer was on or after 23 rd July for 7(i), 7(ii) & 7(iii) (iii) From sale of securities by FII as referred to in sec 115AD						B7c B7ci B7cii B7ciii		
	8	For FII / FPI (NON-RESIDENTS) - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A read with section 115AD									
		Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B8 (Column 14(iii) of 115AD(1)(b)(iii) proviso)						B8			
		i	Sum of column 14 where transfer was before 23 rd July 2024					B8i			
		ii	Sum of column 14 where transfer was on or after 23 rd July 2024					B8ii			
	9	From sale of assets where B1 to B8 above are not applicable				Where transfer was before 23 rd July 2024(i)	Where transfer was on or after 23 rd July 2024(ii)				
		a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details							
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia						

A			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib								
			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic								
			ii	Full value of consideration in respect of assets other than	aii								
			iii	Total (ic + ii)	aiii								
		b	Deductions under section 48										
			i	Cost of acquisition with indexation for transfer before 23 rd July 2024 and without indexation for transfer on or after 23 rd July 2024	bi								
			ii	Cost of improvement with indexation for transfer before 23 rd July 2024 and without indexation for transfer on or after 23 rd July 2024	bii								
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with	biii								
			iv	Total (bi + bii +biii)	biv								
		c	Balance (aiii – biv)			9c							
		d	Deduction under section 54D//54G/54GA (Specify details in item D)			9d							
		e	Long-term Capital Gains on assets at B9 above where transfer was (9c- 9d)							B9e			
		i.	Before 23 rd July 2024							B9ei			
		ii.	On or after 23 rd July 2024							B9eii			
	10	Amount deemed to be long-term capital gains											
		Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? □ Yes □ No □ Not applicable. If yes, then provide the details below											
		S.no	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained	Whether date of limitation / withdrawal was before					
					Previous year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account							
					i	2021-22			54D/54G/54GA				
					ii	2022-23			54D/54G/54GA				
iii		2023-24	54D/54G/54GA										

		B	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a' (i + ii)	B	
		i	Where deemed capital gain arose before 23rd July 2024	Bi	
		ii	Where deemed capital gain arose on or after 23rd July 2024	Bii	
		Amount deemed to be long-term capital gains (aXi + aXii+ aXiii + b) i. Where deemed capital gain arose before 23rd July 2024 ii. Where deemed capital gain arose on or after 23rd July 2024			B10 B10i B10ii
	11	Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B11a1(i) + B11a1(ii) + B11a2(i) + B11a2(ii) + B11b)			B11
		a1(i)	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 10% u/s 112A	B11a1(i)	
		a1(ii)	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 12.5% u/s 112A	B11a1(ii)	
		a2(i)	Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10% under sections other than 112A	B11a2(i)	
		a2(ii)	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 12.5% under sections other than	B11a2(ii)	

	b	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 20%							B11b		
	Amount of LTCG included in items B1 to B11 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA										
12	Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B11 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
	a	Total amount of LTCG claimed as not chargeable to tax in India as per DTAA									B12a
	b	Total amount of LTCG claimed as chargeable to tax at special rates in India as per DTAA									B12b
	B(A)	Capital Loss on buy back of shares on or after 01st October 2024 [Long term 12.5% or 10% for transactions covered u/s 115AD for Non residents] (can be claimed only if respective Dividend income u/s 2(22)(f) is offered)								B(A)	
13	Total long term capital gain] [B1e + B2e + B3c + B4c + B5 + B6 + B7c + B8+ B9e+ B10+B11-B12a+B(A)]										B13
C1	Sum of Capital Gain Incomes (11ii + 11iii + 11iv + 11v + 11vi + 11vii + 11viii + 11ix + 11x of table E below)										C1
C2	Income from transfer of Virtual Digital Assets (Item No. B of Schedule VDA)										C2
C3	Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (C1 + C2)										C3
D	Information about deduction claimed against Capital Gains										
	1	In case of deduction u/s 54D/54EC /54G/54GA give following details									
	a	Deduction claimed u/s 54D									
	i	Date of acquisition of original asset						ai	dd/mm/yyyy		
	ii	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking						aii			
	iii	Date of purchase of new land or building						aiii	dd/mm/yyyy		
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date						aiv			
	iva	Date of deposit Dd/mm/yyyy				ivb Account Number			ivc IFS code		
	v	Amount of deduction claimed							av		
	b	Deduction claimed u/s 54EC									
	i	Date of transfer of original asset						bi	dd/mm/yyyy		
	ii	Amount invested in specified/notified bonds						bii			
	iii	Date of investment						biii	dd/mm/yyyy		
	iv	Amount of deduction claimed						biv			
	c	Deduction claimed u/s 54G									
	i	Date of transfer of original asset						ci	dd/mm/yyyy		
	ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset						cii			
	iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area						ciii	dd/mm/yyyy		
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date						civ			
	iva	Date of deposit Dd/mm/yyyy				ivb Account Number			ivc IFS Code		
	v	Amount of deduction claimed							cv		
	d	Deduction claimed u/s 54GA									
	i	Date of transfer of original asset from urban area						di	dd/mm/yyyy		
	ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset						dii			
	iii	Date of purchase/construction of new asset in SEZ						diii	dd/mm/yyyy		
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date						div			
	iva	Date of deposit Dd/mm/yyyy				ivb Account Number			ivc IFS Code		
	v	Amount of deduction claimed							dv		
	e	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d)							e		

E Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A9a & B12a which is NOT chargeable under DTAA)													
				Short term capital loss set off					Long term capital loss set off				Current year's capital gains remaining after set off (11=1-2-3-4-5-6-7-8-9-10)
	Sl. No.	Type of Capital Gain	Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	15%	20%	30%	applicable rate	DTAA rates	10%	12.5%	20%	DTAA rates	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	i	Loss to be set off (Fill this row if figure computed is negative) →		(A3ei*+A4ai*+A8ai*)	(A3eii*+A4aii*+A8aii*+A(A))	(A5e*+A8b*+A(A))	(A1e*+A2c*+A4b*+A6g*+A7*+A8c*+A(A))	A9b	(B5i*+B6ii*+B7ci*+B7cii*+B8i*+B11a1(i)*+B11a2(i)*+B(A))	(B1gb*+B2eii*+B4cii*+B5ii*+B6iii*+B7cii*+B8ii*+B9eii*+B10ii*+B11a1(ii)*+B11a2(ii)*+B(A))	(B1ga*+B2ei*+B3c*+B4ci*+B6i*+B9ei*+B10i*+B11b*)	B12b	
	ii	Short term capital gain	15%	(A3ei*+A4ai*+A8ai*)									
	iii	Short term capital gain	20%	(A3eii*+A4aii*+A8aii*+A(A))									
	iv	Short term capital gain	30%	(A5e*+A8b*+A(A))									
	v	Short term capital gain	applicable rate	(A1e*+A2c*+A4b*+A6g*+A7*+A8c*+A(A))									
	vi	Short term capital gain	DTAA rates	A9b									
	vii	Long term capital gain	10%	(B5i*+B6ii*+B7ci*+B7cii*+B8i*+B11a1(i)*+B11a2(i)*+B(A))									
	viii	Long term capital gain	12.5%	(B1gb*+B2eii*+B4cii*+B5ii*+B6iii*+B7cii*+B8ii*+B9eii*+B10ii*+B11a1(ii)*+B11a2(ii)*+B(A))									
	ix	Long term capital gain	20%	(B1ga*+B2ei*+B3c*+B4ci*+B6i*+B9ei*+B10i*+B11b*)									
	x	Long term capital gain	DTAA rates	B12b									
	xi	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x)											
	xii	Loss remaining after set off (i-xi)											
The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) is after setoff with similar securities and as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.													
The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B11) is after setoff with similar securities and as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.													

F Information about accrual/receipt of capital gain

		Type of Capital gain / Date	Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)
	1	Short-term capital gains taxable at the rate of 15%					
	2	Short-term capital gains taxable at the rate of 20% Enter value from item 5vib of schedule BFLA, if					
	3	Short-term capital gains taxable at the rate of 30%					
	4	Short-term capital gains taxable at applicable rates					
	5	Short-term capital gains taxable at DTAA rates Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any.					
	6	Long- term capital gains taxable at the rate of 10%					
	7	Long- term capital gains taxable at the rate of 12.5%					
	8	Long- term capital gains taxable at the rate of 20%					
	9	Long- term capital gains taxable at the rate DTAA rates Enter value from item 5xii of					
	10	Capital gains on transfer of Virtual Digital Asset taxable at the rate of 30% Enter value from item 15B of schedule SI, if any					

[illegible]

[illegible][illegible]

Schedule VDA	Income from transfer of Virtual Digital Assets (Note: Details of every transaction are to be filled, wherein every 'transfer' is a transaction)					
Sl. No.	Date of Acquisition	Date of Transfer	Head under which income to be taxed (Business/Capital Gain)	Cost of Acquisition (In case of gift; a. Enter the amount on which tax is paid u/s 56(2)(x) if any b. In any other case cost to previous owner)	Consideration Received	Income from transfer of Virtual Digital Assets (enter nil in case of loss) (Col. 6 – Col. 5)
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)

Add Rows						
A. Total (Sum of all Positive Incomes of Business Income in Col. 7)						(Item No. 3f of Schedule BP)
B. Total (Sum of all Positive Incomes of Capital Gain in Col. 7)						(Item No. C2 of Schedule CG)

Schedule OS		Income from other sources										
OTHER SOURCES	1	Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)										1
	a	Dividends, Gross (ai + aii + aiii)								1a		
		i	Dividend income other than (ii) and (iii)						ai			
		ii	Dividend income u/s 2(22)(e)						aii			
		iii	Dividend income u/s 2(22)(f)						aiii			
	b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv+bv)								1b		
		i	From Savings Bank				bi					
		ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative) Society)				bii					
		iii	From Income-tax Refund				biii					
		iv	In the nature of Pass through income/Loss				biv					
		v	Others				bv					
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross								1c		
	d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)								1d		
		i	Aggregate value of sum of money received without consideration						di			
		ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property						dii			
		iii	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration						diii			
		iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property						div			
		v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration						Dv			
		1e	Any other income (please specify nature)									
		Sl. No	Nature					Amount				
		1	Any specified sum received by a unit holder from a business trust during the previous year as referred to in section 56(2)(xii)					1				
		Add rows										
	2	Income chargeable at special rates (2ai + 2aii + 2b+ 2c+ 2d + 2e related to sl.no.1)										2
		ai	Winnings from lotteries, crossword puzzles, races, card games etc. chargeable u/s 115BB								2ai	
		aii	Income by way of winnings from online games chargeable u/s 115BBJ								2aii	
	b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)								2b		
		i	Cash credits u/s 68						bi			
		ii	Unexplained investments u/s 69						bii			
		iii	Unexplained money etc. u/s 69A						biii			
		iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B						biv			
		v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C						bv			
		vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D						bvi			
	c	Any other income chargeable at special rate (total of ci to cxiii)								2c		
	i	Dividends received by foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to Section 115A(1)(a)(A)					ci					
	ia	Dividend received by non-resident (Not being company) or foreign company from a unit in an International Financial Services Centre, as referred to in sub-section (1A) of section 80LA chargeable under proviso to section 115A(1)(a)(A)					cia					

	ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)	cii							
	iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iaa)	ciii							
	iv	Interest referred to in section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iaa) @ 5%	civ							
	v	Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iaa) @ 4%	cv							
	vi	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iaab)	cvi							
	vii	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iaac)	cvii							
	viii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)	cviii							
	ix	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)(A) & 115(1)(b)(B)	cix							
	x	Income by way of interest from bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	cx							
	xi	Income by way of dividend from GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	cx i							
	xii	Income received in respect of units purchased in foreign currency by an off-shore fund-115AB(1)	cx ii							
	xiii	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	cx iii							
	xiv	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)	cx iv							
	xv	Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA	cx v							
	xvi	Anonymous Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC	cx vi							
	xvii	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF	cxvii							
	xviii	Income by way of transfer of carbon credits - chargeable u/s 115BBG	cxviii							
	xix	Income from royalty where agreement entered between 31.3.1961 to 31.3.1976 and income from fees for technical services where agreement entered between 29.2.1964 and 31.3.1976, and agreement is approved by the Central Government. Paragraph EII of Part I of first schedule of Finance Act	cx ix							
	xx	Income being dividend received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	cx x							
	xxi	Income being dividend received by a specified fund in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	cx xi							
	xxii	Income (other than dividend) received by a specified fund in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	cx xii							
	Pass through income in the nature of income from other sources claimed as chargeable at special rates (drop down to be provided)						2d			
	Amount included in 1 and 2 above, which claimed as is chargeable at special rates in India as per DTAA (total of column e (2) of table below)						2e			
	Sl. No.	Amount of income	Item No. 1ai,1aiii, 1b to 1 d 2a , 2c & 2d in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]
	(1)	(2)	(3) (3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I										
II										
3 Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b ,2c & 2d)										

	a	Expenses / Deductions (Other than entered in C)	3a					
	b	Depreciation (available only if income offered in 1c)	3b					
	c	Interest expenditure on dividend u/s 57(1) (only if income offered in 1a(i) and/or 1a(ii))	3c					
	ci	Eligible Interest expenditure u/s 57(1) – computed value	3ci					
	d	Total	3d					
4	Amounts not deductible u/s 58						4	
5	Profits chargeable to tax u/s 59						5	
6	Net Income from other sources chargeable at normal applicable rates [1(after reducing income related to DTAA portion) – 3 + 4 + 5) (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA)]						6	
7	Income from other sources (other than from owning and maintaining race horses) (2 + 6) (enter 6 as nil, if negative)						7	
8	Income from the activity of owning race horses							
	a	Receipts	8a					
	b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only	8b					
	c	Amounts not deductible u/s 58	8c					
	d	Profits chargeable to tax u/s 59	8d					
	e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d) (if negative take the figure to 11xvii of Schedule CFL)				8e		
9	Income under the head “Income from other sources” (7 + 8e) (take 8e as nil if negative)						9	
10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources							
	S. No.	Other Source Income	Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
	1	Winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)						
	2	Income by way of winnings from online games u/s 115BBJ						
	3a	Dividend Income referred in 1a(i)						
	3b	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(iii)						
	4	Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI Income)						
	5	Dividend income under proviso to sec 115A(1)(a)(A) @10% (Including PTI Income)						
	6	Dividend Income u/s 115AC @ 10% (Including PTI Income)						
	7	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) received by a FII u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)						
	8	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) received by a specified fund u/s 115AD(1)(i) @ 10% (Including PTI Income)						
	9	Dividend income chargeable at DTAA Rates						

Sl.No	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from race horses and amount chargeable to special rate of tax) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	Loss to be set off (Fill this row only, if computed figure is negative) →		(3 of Schedule – HP)	(2vi of item E of Schedule BP)	(6 of Schedule-OS)	
ii	House property	(3 of Schedule HP)				
iii	Business (excluding Income from life insurance business u/s 115B speculation income and income from specified business)	(A38 of Schedule BP)				
iv	Income from life insurance business u/s 115B	(3iv of item E of Sch. BP)				
v	Speculation income	(3ii of item E of Sch. BP)				
vi	Specified business income u/s 35AD	(3iii of item E of Sch. BP)				
vii a	Short-term capital gain taxable @ 15%	(11ii of item E of Schedule CG)				
vii b	Short-term capital gain taxable @ 20%	(11iii of item E of Schedule CG)				
viii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(11iv of item E of Schedule CG)				
ix	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(11v of item E of Schedule CG)				
x	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(11vi of item E of Schedule CG)				
xia	Long term capital gain taxable @ 10%	(11vii of item E of Schedule CG)				
xib	Long term capital gain taxable @ 12.5%	(11viii of item E of Schedule CG)				
xii	Long term capital gain taxable @ 20%	(11ix of item E of Schedule CG)				
xiii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(11x of item E of schedule CG)				
xiv	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of Schedule OS)				
xv	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of Schedule OS)				
xvi	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(2e of Schedule OS)				
xvii	Total loss set off					
xviii	Loss remaining after set-off (i – xvii)					

Schedule BFLA		Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years					
BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Brought forward depreciation set off	Brought forward allowance under section 35(4) set off	Current year's income remaining after set off
			1	2	3	4	5
	i	House property	(5ii of Schedule CYLA)	(B/f house property loss)			

[illegible]

x	2019-20											
xi	2020-21											
xii	2021-22											
xiii	2022-23											
xiv	2023-24											
xv	2024-25											
xvi	Total of earlier year losses b/f											
xvii	Adjustment of above losses in Schedule BFLA	(2i of Schedule BFLA)	(2ii of Schedule BFLA)			(2iv of Schedule BFLA)	(2v of Schedule BFLA)	(2iii of Schedule BFLA)				(2xiv of Schedule BFLA)
xviii	2025-26 (Current year losses)	(2xviii of Schedule CYLA)	(3xviii of Schedule CYLA)			(B43 of Schedule BP, if –ve)	(C49 of Schedule BP, if –ve)	4b of Schedule BP, (if –ve)	(2xii + 3xii + 4xii + 5xii + 6xii) of item E of Schedule CG)	(7xii + 8xii + 9xii + 10xii) of item E of Schedule CG		(8e of Schedule OS, if –ve)
xix	Current year loss distributed among the unit-holder (Applicable for Investment fund only)											
xx	Current year losses to be carried forward (xviii-xix)											
xxi	Total loss Carried forward to future years (xvi-xvii+xx)											

Schedule UD		Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)						
Sl No	Assessment Year	Depreciation				Allowance under section 35(4)		
		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount as adjusted on account of opting for taxation section 115BAA	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	Current Assessment Year							
ii								
iii								
iv	Total			(3xvi of BFLA)			(4xvi of BFLA)	

Schedule ICDS		Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit			
Sl. No.	ICDS	Increase in Profit (Rs.)	Decrease in profit (Rs.)	Net Effect (Rs.)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Accounting Policies			
II	Valuation of Inventories (<i>other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI</i>)			
III	Construction Contracts			
IV	Revenue Recognition			
V	Tangible Fixed Assets			
VI	Changes in Foreign Exchange Rates			
VII	Government Grants			
VIII	Securities (<i>other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI</i>)			
IX	Borrowing Costs			
X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets			
XI	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)			

Schedule 10AA		Deduction under section 10AA					
DEDUCTION U/S 10AA	Deductions in respect of units located in Special Economic Zone						
	Sl	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services	Sl	Amount of deduction		
	a	Undertaking No.1		a	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)		
	b	Undertaking No.2		b	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)		
	c	Total deduction under section 10AA (a+b)					

Schedule 80G		Details of donations entitled for deduction under section 80G				
DETAILS OF DONATIONS	A	Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit				
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation		Eligible Amount of donation
		i		Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation
		ii				
		iii				
		iv Total				
	B	Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit				
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation		Eligible Amount of donation
		i		Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation
		ii				
		iii				
		iv Total				
	C	Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit				
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation		Eligible Amount of donation
		i		Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation
		ii				
		iii				
		iv Total				

D	Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit							
	Name and address of donee		PAN of Donee	ARN (Donation Reference Number)	Amount of donation			Eligible Amount of donation
	i				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	ii							
	iii							
	iv	Total						
	E Total donations (Aiv + Biv + Civ + Div)							

Schedule 80GGA		Details of donations for scientific research or rural development						
S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (drop down to be provided)	Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation				Eligible Amount of donation
				Donation in cash		Donation in other mode	Total Donation	
i								
ii								
	Total donation							

Schedule 80GGC		Details of contributions made to political parties					
S. No.	Date	Amount of contribution			Eligible amount of contribution	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank
		Contribution in cash	Contribution in other mode	Total Contribution			
i							
	(add rows)						
	Total contribution						

Schedule 80IAC		Deduction in respect of eligible start-up [to be filled only if answer to A19(q) is 'Yes']				
Sl. No.	Date of incorporation of Startup	Nature of business	Certificate number as obtained from Inter Ministerial Board of Certification		First AY in which deduction was claimed	Amount of deduction claimed for current AY
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)

Schedule 80LA		Deduction in respect of offshore banking unit or IFSC					
Sub-section in which deduction is claimed							
Sl. No.	Type of entity	Type of income of the unit	Authority granting registration	Date of registration	Registration number	First AY during which deduction is claimed	Amount of deduction claimed for current AY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(add row option to be provided)							
Total							

Schedule RA		Details of donations to research associations etc. [deduction under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA)]						
		Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
					Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
		i						

	ii					
	iii	Total				

Schedule 80-IA		Deductions under section 80-IA				
DEDUCTION U/S 80-IA	a	Deduction in respect of profits of an enterprise referred to in section 80-IA(4)(i) [Infrastructure facility]	a1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			a2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	b	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power]	b1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			b2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	c	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(v) [Revival of power generating plant]	c1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			c2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	d	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 + b1 + b2 + c1+ c2)				d

Schedule 80-IB		Deductions under section 80-IB				
a	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
b	Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)]	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
c	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		c2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
d	Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]	d1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		d2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
e	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to d2)				e	

Schedule 80-IE			Deductions under section 80-IE			
	a	Deduction in respect of undertaking located in North-East				
	aa	Assam	aa1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the	
			aa2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the	
	ab	Arunachal Pradesh	ab1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the	
			ab2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the	
	ac	Manipur	ac1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the	
			ac2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the	
	ad	Mizoram	ad1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the	
			ad2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the	
	ae	Meghalaya	ae1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the	
			ae2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the	
	af	Nagaland	af1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the	
			af2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the	
	ag	Tripura	ag1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the	
			ag2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the	
ah	Total deduction for undertakings located in North-east (total of aa1 to ag2)				ah	
b	Total deduction under section 80-IE (ah)				b	

Schedule VI-A		Deductions under Chapter VI-A				
1	Part B- Deduction in respect of certain payments					

TOTAL DEDUCTIONS							
	a	80G		b	80GGB		
	c	80GGA		d	80GGC		
	Total Deduction under Part B (a + b + c +d)					1	
	2	Part C- Deduction in respect of certain incomes					
	e	80-IA	(d of Schedule 80-IA)	f	80-IAB		
	g	80-IAC	(7 of Schedule 80-IAC)	h	80-IB		
	i	80-IBA		j	80-IE		
	k	80JJA		l	80JJAA		
	m	80LA(1)	(9 of Schedule 80-LA)	n	80LA(1A)		
	o	80M- Details of distribution of dividend as provided in e-filing utility		p	80-PA		
	Total Deduction under Part C (total of e to p)					2	
	3	Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2)				3	

Schedule SI		Income chargeable to tax at special rates [Please see instructions] for section and rate of tax]				
SPECIAL RATE	SI No	Section/Description	☒	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
	1a	111A or section 115AD(1)(b)(ii)- Proviso (STCG on shares/equity oriented MF on which STT paid) [where transfer was before 23 rd July 2024 as applicable]	☐	15	(part of 5via of Schedule BFLA)	
	1b	111A or section 115AD(1)(b)(ii)- Proviso (STCG on shares units on which STT paid) [where transfer was on or after 23 rd July 2024 as applicable]	☐	20	(part of 5vib of Schedule BFLA)	
	2	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	☐	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)	
	3a	Proviso 112(1) (LTCG on listed securities/ units with indexation) [where transfer was before 23 rd July 2024 as applicable and tax thereon after taking into account SI. no. B4(f) of Schedule CG, if any.]	☐	20 (as reduced by B4(f) of Schedule CG, if any)	(part of 5xi of Schedule BFLA)	
	3b	112(1) (LTCG on listed securities/ units) [where transfer was on or after 23 rd July 2024 as applicable]	☐	12.5	(part of 5xb of Schedule BFLA)	
	4a	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities) [where transfer was before 23 rd July 2024 as applicable]	☐	10	(part of 5xa of Schedule BFLA)	
	4b	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities or other than Listed Debentures) [where transfer was on or after 23 rd July 2024 as applicable]	☐	12.5	(part of 5xb of Schedule BFLA)	
	5a	115AB (LTCG for non-resident on units referred in section 115AB) [where transfer was before 23 rd July 2024 as applicable]	☐	10	(part of 5xa of Schedule BFLA)	

5b	115AB (LTCG for non-resident on units referred in section 115AB) where transfer was on or after 23 rd July 2024 as applicable]	☐	12.5	(part of 5xb of Schedule BFLA)	
6a	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR) [where transfer was before 23 rd July 2024 as applicable]	☐	10	(part of 5xa of Schedule BFLA)	
6b	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR) [where transfer was on or after 23 rd July 2024 as applicable]	☐	12.5	(part of 5xb of Schedule BFLA)	
7	115AD (LTCG for FII on securities)	☐	10	(part of 5xa of Schedule BFLA)	
8a	112 (LTCG on others) [where transfer was before 23 rd July 2024 as applicable]	☐	20	(part of 5xi of Schedule BFLA)	
8b	112 (LTCG on others) [where transfer was on or after 23 rd July 2024 as applicable]	☐	12.5	(part of 5xb of Schedule BFLA)	
9a	112A (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid) or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso [where transfer was before 23 rd July 2024 as applicable]	☐	10	(part of 5xa) of Schedule BFLA)	
9b	112A (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid) or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso [where transfer was on or after 23 rd July 2024 as applicable]	☐	12.5	(part of 5xb of Schedule BFLA)	
10	STCG chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 5ix of Schedule BFLA)	
11	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 5xii of Schedule BFLA)	
12	115B (Profits and gains of life insurance business)	☐	12.50	(5iii of Schedule BFLA)	
13a	115AC ((Income by way of interest received by non-resident from bonds purchased in foreign currency)	☐	10	(part of 2cx of Schedule OS)	
13b	115AC (Income by way of Dividend received by non-resident on GDR purchased in foreign currency)	☐	10	(part of 2cxi of Schedule OS)	
14	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	☐	30	(2a of Schedule OS)	
15	115BBJ (Winnings from online games)	☐	30	(2ab of Schedule OS)	
16	115BBH- Tax on Income from Virtual Digital asset				
	A Income under head business or profession	☐	30	(3f of Schedule BP)	
	B Income under head Capital Gain	☐	30	(C2 of Schedule CG)	
17	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	☐	60	(2b of Schedule OS)	
18	115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B)(Income of a foreign company from Royalty & Fees for Technical Services)	☐	10	(part of 2cxix of Schedule OS)	
19	115BBF (Income from patent)				
a	Income under head business or profession	☐	10	(3d of Schedule BP)	
b	Income under head other sources	☐	10	(2cxvii of Schedule OS)	
20	115BBG (Income from transfer of carbon credits)				

	a	Income under head business or profession	☐	10	(3e of Schedule BP)	
	b	Income under head other sources	☐	10	(2cxviii of Schedule OS)	
21		Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 5xv of Schedule BFLA)	
22a		Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15%	☐	15	(part of 5via of Schedule BFLA)	
22b		Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 20%	☐	20	(part of 5vib of Schedule BFLA)	
23		Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	☐	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)	
24a		Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% u/s 112A	☐	10	(part of 5xa of Schedule BFLA)	
24b		Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% u/s 112A	☐	12.5	(part of 5xb of Schedule BFLA)	
25		Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%	☐	20	(part of 5xi of Schedule BFLA)	
26a		Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% other than section 112A	☐	10	(part of 5xa of Schedule BFLA)	
26b		Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% other than section 112A	☐	12.5	(part of 5xb of Schedule BFLA)	
27		Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates (Drop down to be provided in e-filing utility)	☐		(2d of Schedule OS)	
28		Income received in respect of units purchased in foreign currency by an off-shore fund-115AB(1)	☐	10	(2cx of Schedule OS)	
29		Income from royalty where agreement entered between 31.3.1961 to 31.3.1976 and income from fees for technical services where agreement entered between 29.2.1964 and 31.3.1976, and agreement is approved by the Central Government. Paragraph EII of Part I of first schedule of Finance Act	☐	50	(2cxix of Schedule OS)	
30		Any other income chargeable at special rate (Drop down to be provided in e-filing utility)	☐		(part of 2c of Schedule OS)	
				Total		

Schedule IF		Information regarding investment in unincorporated entities							
ENTITIES IN WHICH INVESTMENT IS HELD	Number of entities in which investment is held								
	Sl. No.	Name of the entity	Type of the entity	PAN of the entity	Whether the entity is liable for audit? (Yes/No)	Whether section 92E is applicable to entity? (Yes/ No)	Percentage Share in the profit of the entity	Amount of share in the profit	Capital balance on 31 st March in the entity
								i	ii
	1								
	2								
	3								
	4	Total							

Schedule EI		Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)							
EXEMPT INCOME	1	Interest income						1	
	2	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)				i		
		ii	Expenditure incurred on agriculture				ii		
		iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years				iii		
		iv	Agricultural income portion relating to Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (from Sl. No. 39 of Sch. BP)				iv		
		v	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii + iv) (enter nil if loss)				2		
		vi	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)						
		a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located						
		b	Measurement of agricultural land in Acre						
		c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)						
		d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)						
	3	Other exempt income (please specify) (3a+3b)						3	
		a	Income u/s 10(15B), 10(23FB), 10(23FBA), 10(23FC), 10(23FCA), 10(23FE), 10(23FF), 10(4D) (Please provide details of Acknowledgement Number and Date of Form Filed if 10(23FF) and 10(4D) is claimed) Add row option and dropdown to be provided in utility				3a		
		b	Any other Income (Specify nature) – Add row option to be provided in utility				3b		
4	Income claimed as not chargeable to tax as per DTAA								
	Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income		Whether TRC obtained (Y/N)	
5	Pass through income claimed as not chargeable to tax (Schedule PTI)						5		
6	Total (1+2+3+4+5)						6		

Schedule PTI		Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115U, 115UA and 115UB								
PASS THROUGH INCOME	S.No	Invested in section 115U/115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	S.No	Head of income	Current year income	Share of Current year loss distributed by Investment fund	Net Income / Loss 9=7-8	TDS on such amount, if any
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	(drop down to be provided)			i	House property				
					ii	Capital Gains				
					A	Short term				
					Ai	Section 111A				
					Ai	Others				
					B	Long term				
					Bi	Section 112A				
					Bii	Section other than 112A				
					iii	Other Sources				
					A	Dividend				
					B	Others				
					iv	Income claimed to be exempt				
					A	u/s 10(23FBB)				
					B	u/s				

					C	u/s				
	2.				i	House property				
					ii	Capital Gains				
					a	Short term				
					ai	Section 111A				
					aii	Others				
					b	Long term				
					bi	Section 112A				
					bii	Other than 112A				
					iii	Other Sources				
					a	Dividend				
					b	Others				
					iv	Income claimed to be exempt				
					a	u/s 10(23FBB)				
					b	u/s				
					c	u/s				
NOTE ► Please refer to the instructions for filling out this schedule.										

Schedule MAT		Computation of Minimum Alternate Tax payable under section 115JB				
Minimum Alternate Tax	1	Whether the Profit and Loss Account is prepared in accordance with the provisions of Parts II of Schedule III to the Companies Act, 2013 (If yes, write 'Y', if no write 'N')				☐
	2	If 1 is no, whether profit and loss account is prepared in accordance with the provisions of the Act governing such company (If yes, write 'Y', if no write 'N')				☐
	3	Whether, for the Profit and Loss Account referred to in item 1 above, the same accounting policies, accounting standards and same method and rates for calculating depreciation have been followed as have been adopted for preparing accounts laid before the company at its annual general body meeting? (If yes, write 'Y', if no write 'N')				☐
	4	Profit after tax as shown in the Profit and Loss Account (enter item 56 of Part A-P&L) / (enter item 56 of Part A- P&L Ind AS) (as applicable)				4
	5	Additions (if debited in profit and loss account)				
	a	Income-tax paid or payable or its provision including the amount of deferred tax and the provision thereof	5a			
	b	Reserve (except reserve under section 33AC)	5b			
	c	Provisions for unascertained liability	5c			
	d	Provisions for losses of subsidiary companies	5d			
	e	Dividend paid or proposed	5e			
f	Expenditure related to exempt income under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)]	5f				

	g	Expenditure related to share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86	5g		
	h	Expenditure in case of foreign company referred to in clause (fb) of explanation 1 to section 115JB	5h		
	i	Notional loss on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (fc) of explanation 1 to section 115JB	5i		
	j	Expenditure relatable to income by way of royalty in respect of patent chargeable to tax u/s 115BBF	5j		
	k	Depreciation attributable to revaluation of assets	5k		
	l	Gain on transfer of units referred to in clause (k) of explanation 1 to section 115JB	5l		
	m	Others (including residual unadjusted items and provision for diminution in the value of any asset)	5m		
	n	Total additions (5a+5b+5c+5d+5e+5f+5g+5h+5i+5j+5k+5l+5m)		5n	
6	Deductions				
	a	Amount withdrawn from reserve or provisions if credited to Profit and Loss account	6a		
	b	Income exempt under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)]	6b		
	c	Amount withdrawn from revaluation reserve and credited to profit and loss account to the extent it does not exceed the amount of depreciation attributable to revaluation of asset	6c		
	d	Share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86 credited to Profit and Loss account	6d		
	e	Income in case of foreign company referred to in clause (iid) of explanation 1 to section 115JB	6e		
	f	Notional gain on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (iie) of explanation 1 to section 115JB	6f		
	g	Loss on transfer of units referred to in clause (iif) of explanation 1 to section 115JB	6g		
	h	Income by way of royalty referred to in clause (iig) of explanation 1 to section 115JB	6h		
	i	Loss brought forward or unabsorbed depreciation whichever is less or both as may be applicable	6i		
	j	Profit of sick industrial company till net worth is equal to or exceeds accumulated losses	6j		
	k	Others (including residual unadjusted items and the amount of deferred tax credited to P&L A/c)	6k		
	l	Total deductions (6a+6b+6c+6d+6e+6f+6g+6h+6i+6j+6k)	6l		
7	Book profit under section 115JB (4+ 5n – 6l)				7
8	Whether the financial statements of the company are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards (Ind-AS) specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. If yes, furnish the details below:-		☐ Yes ☐ No		

	A. Additions to book profit under sub-sections (2A) to (2C) of section 115JB				
	a	Amounts credited to other comprehensive income in statement of profit & loss under the head “items that will not be reclassified to profit & loss”	8a		
	b	Amounts debited to the statement of profit & loss on distribution of non-cash assets to shareholders in a demerger	8b		
	c	One fifth of the transition amount as referred to in section 115JB (2C) (if applicable)	8c		
	d	Others (including residual adjustment)	8d		
	e	Total additions (8a + 8b + 8c + 8d)	8e		
	B. Deductions from book profit under sub-sections (2A) to (2C) of section 115JB				
	f	Amounts debited to other comprehensive income in statement of profit & loss under the head “items that will not be reclassified to profit & loss”	8f		
	g	Amounts credited to the statement of profit & loss on distribution of non-cash assets to shareholders in a demerger	8g		
	h	One fifth of the transition amount as referred to in section 115JB (2C) (if applicable)	8h		
	i	Others (including residual adjustment)	8i		
	j	Total deductions (8f + 8g + 8h + 8i)	8j		
	9	Deemed total income under section 115JB (7 + 8e – 8j)	9		
	a	Deemed total income u/s 115JB from Units located in IFSC, if any	9a		
	b	Deemed total income u/s 115JB from other Units (9-9a)	9b		
10	Tax payable under section 115JB [9% of (9a)+ 15% of (9b)]			10	

Schedule MATC		Computation of tax credit under section 115JAA				
MAT CREDIT	1	Tax under section 115JB in assessment year 2025-26 (1d of Part-B-TTI)				1
	2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2025-26 (2f of Part-B-TTI)				2
	3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]				3
	4	Utilisation of MAT credit Available [Sum of MAT credit utilised during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of MAT Credit Brought Forward]				
	S.No	Assessment Year (A)	MAT Credit		MAT Credit Utilised during the Current Year (C)	Balance MAT Credit Carried Forward (D)= (B3) – (C)
			Gross (B1)	Set-off in earlier years (B2)	Balance Brought forward (B3)=(B2)-(B1)	
	i	2009-10				
	ii	2010-11				
	iii	2011-12				
	iv	2012-13				
	v	2013-14				

	vi	2014-15					
	vii	2015-16					
	vii	2016-17					
	ix	2017-18					
	x	2018-19					
	xi	2019-20					
	xii	2020-21					
	xiii	2021-22					
	xiv	2022-23					
	xv	2023-24					
	xvi	2024-25					
	xvii	2025-26[(SI no 1-SI no 2 of)-(SI No 6c - 2f of Schedule Part B-TTI, only if positive)]					
	xviii	Total					
5	Amount of tax credit under section 115JAA utilised during the year [enter 4(C)xviii]						5
6	Amount of MAT liability available for credit in subsequent assessment years [enter 4(D)xviii]						6

Schedule-BBS		Details of tax on distributed income of a domestic company on buy back of shares [for the buy back before 01.10.2024]					
TAX ON BUY BACK OF SHARES	S 1	Description	Details of 1 st buy-back		Details of 2 nd buy-back		Details of 3 rd buy- back
	(i)	(ii)	(iii)		(iv)		(v)
	1	Date of payments of any consideration to the shareholder on buy back of share	(DD/MM/YYYY)		(DD/MM/YYYY)		(DD/MM/YYYY)
	2	Amount of consideration paid by the company on buy-back of shares					
	3	Amount received by the company for issue of such shares					
	4	Distributed Income of the company (2 – 3)					
	5	Tax payable on distrib	a	Addit ional inco me-			

		uted incom e	tax @20 % payab le under sectio n 115Q A on 4					
		b	Surch arge on 'a'					
		c	Healt h & Educ ation cess on (a+b)					
		d	Total tax payab le (a+b+ c)					
		6	Interest payable under section 115QB					
7	Additional income-tax and interest payable (5d + 6)							
8	Tax and interest paid							
9	Net payable/refundabl e (7-8)							
1 0	Date(s) of deposit of tax on distribution income	Date 1	Date 2	Date 1	Date 2	Date 1	Date 2	
		(DD/MM/ YYYY)	(DD/MM/ YYYY)	(DD/MM/ YYYY)	(DD/MM/ YYYY)	(DD/MM/ YYYY)	(DD/MM/ YYYY)	
		1 1	Name of Bank and Branch					
		1 2	BSR Code					
		1 3	Serial number of challan					
		1 4	Amount deposited					

TAX ON SECONDARY ADJUSTMENTS AS PER SECTION 92CE(2A)	1	Amount of primary adjustments on which option u/s 92CE(2A) is exercised & such excess money has not been repatriated within the prescribed time (please indicate the total of adjustments made in respect of all the AYs)							
	2	a	Additional Income tax payable @ 18% on above						
		b	Surcharge @ 12% on "a"						
		c	Health & Education cess on (a+b)						
		d	Total Additional tax payable (a+b+c)						
	3	Taxes paid							
	4	Net tax payable (2d-3)							
	5	Date(s) of deposit of tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A)	Date 1 (DD/MM/Y YYY)	Date 2 (DD/MM/Y YYY)	Date 3 (DD/MM/Y YYY)	Date 4 (DD/MM/Y YYY)	Date 5 (DD/MM/Y YYY)	Date 6 (DD/MM/Y YYY)	
	6	Name of Bank and Branch							
	7	BSR Code							
8	Serial number of challan								
9	Amount deposited								

Schedule 115TD Accreted income under section 115TD

	1	Aggregate Fair Market Value (FMV) of total assets of specified person			1	
	2	Less: Total liability of specified person			2	
	3	Net value of assets (1 – 2)			3	
	4	(i)	FMV of assets directly acquired out of income referred to in section 10(1)	4i		
		(ii)	FMV of assets acquired during the period from the date of creation or establishment to the effective date of registration/provisional registration u/s 12AB, if benefit u/s 11 and 12 not claimed during the said	4ii		
		(iii)	FMV of assets transferred in accordance with third proviso to section 115TD(2)	4iii		
		(iv)	Total (4i + 4ii + 4iii)	4iv		
	5	Liability in respect of assets at 4 above			5	
	6	Accreted income as per section 115TD [3 – (4iv – 5)]			6	
	7	Additional income-tax payable u/s 115TD at maximum marginal rate			7	
	8	Interest payable u/s 115TE			8	
	9	Specified date u/s 115TD			9	
	10	Additional income-tax and interest payable			10	
	11	Tax and interest paid			11	
	12	Net payable (10 - 11) (Enter 0 if negative)			12	
13	Date(s) of deposit of tax on accreted income	Date 1 DD/MM/YYYY	Date 2 DD/MM/YYYY	Date 3 DD/MM/YYYY		
14	Name of Bank and Branch					
15	BSR Code					

16	Serial number of challan			
17	Amount deposited			

Schedule FSI			Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)							
Sl.	Country Code (dropdown to be provided in the e-filing utility)	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)=(c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
1			i	House Property						
			ii	Business or Profession						
			iii	Capital Gains						
			iv	Other sources						
			Total							
2			i	House Property						
			ii	Business or Profession						
			iii	Capital Gains						
			iv	Other sources						
			Total							
NOTE ►			Please refer to the instructions for filling out this schedule.							

Schedule TR		Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)				
TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA	1	Details of Tax relief claimed				
		Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Total				
	2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))				2
	3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))				3
	4	Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below				4
		a	Amount of tax refunded	b	Assessment year in which tax relief allowed in India	
NOTE ► Please refer to the instructions for filling out this schedule.						

Schedule FA		Details of Foreign Assets and Income from any source outside India										
DETAILS OF FOREIGN	A 1	Details of Foreign Depository Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2024										
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross interest paid/credited to the account during the period
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

(i)												
(ii)												
A Details of Foreign Custodial Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2024												
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross amount paid/credited to the account during the period (drop down to be provided specifying nature of amount viz. interest/dividend/proceeds from sale or redemption of financial assets/ other income)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
A Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2024												
Sl No	Country name	Country code	Name of entity	Address of entity	ZIP code	Nature of entity	Date of acquiring the interest	Initial value of the investment	Peak value of investment during the period	Closing value	Total gross amount paid/credited with respect to the holding during the period	Total gross proceeds from sale or redemption of investment during the period
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
A Details of Foreign Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2024												
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution in which insurance contract held		Address of financial institution	ZIP code	Date of contract	The cash value or surrender value of the contract		Total gross amount paid/credited with respect to the contract during the period		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		
(i)												
(ii)												
B Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2024												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Nature of entity	Name and Address of the Entity	Nature of Interest- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date since held	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income accrued from such Interest	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	2a	2b	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2024												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Address of the Property	Ownership - Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	

(1)	2a	2b	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											
D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2024											
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Nature of Asset	Ownership - Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											
E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December, 2024 and which has not been included in A to D above.											
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Zip Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return		
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											
F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor											
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return	
										Amount	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											
G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in, (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession											
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return				
							Amount	Schedule where offered	Item number of schedule		
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
(i)											

NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule

SCHEDULE SH-1

SHAREHOLDING OF UNLISTED COMPANY (other than a company that is registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (or section 25 of the Companies Act, 1956) or a company limited by guarantee under section 3(2) of Companies Act, 2013 or a start-up for which Schedule SH-2 is to be filled up)

If you are an unlisted company, please furnish the following details:-

Details of shareholding at the end of the previous year

Name of the shareholder	Residential status in India	Type of share	PAN /Aadhaar No.	Date of allotment	Number of shares held	Face value per share	Issue Price per share	Amount received

Details of equity share application money pending allotment at the end of the previous year

Name of the applicant	Residential status in India	Type of share	PAN/Aadhaar No.	Date of application	Number of shares applied for	Application money received	Face value per share	Proposed issue price			
Details of shareholders who is not a shareholder at the end of the previous year but was a shareholder at any time during the previous year											
Name of the shareholder	Residential status in India	Type of share	PAN/Aadhaar No.	Number of shares held	Face value per share	Issue Price per share	Amount received	Date of allotment	Date on which cease to be shareholder	Mode of cessation	In case of transfer/sale, PAN of the new shareholder

SCHEDULE SH-2 SHAREHOLDING OF START-UPS											
If you are a start-up which has filed declaration in Form-2 under para 5 of DPIIT notification dated 19.02.2019, please furnish the following details of shareholding:-											
Details of shareholding as at the end of the previous year											
Name of the shareholder	Category of shareholder (drop down to be provided- non-resident/ venture capital company/ venture capital fund/ specified company/ any other person)	Type of share	PAN/Aadhaar No.	Date of allotment	Number of shares held	Face value per share	Issue Price per share	Paid up value per share	Share premium		
Details of share application money pending allotment as at the end of the previous year											
Name of the applicant	Category of applicant (drop down to be provided- non-resident/ venture capital company/ venture capital fund/ specified company/ any other person)	Type of share	PAN/Aadhaar No.	Date of application	Number of shares applied for	Face value per share	Proposed issue price per share	Share application money	Share application premium		
Details of shareholder who is not a shareholder at the end of the previous year but was a shareholder at any time during the previous year											
Name of the shareholder	Category of shareholder (drop down to be provided- non-resident/ venture capital company/ venture capital fund/ specified company/ any other person)	Type of share	PAN/Aadhaar no.	Date of allotment	Number of shares held	Face value per share	Issue Price per share	Paid up value per share	Date on which ceased to be shareholder	Mode of cessation	In case of transfer, PAN of the new shareholder
NOTE For definition of expressions- "venture capital company", "venture capital fund" and "specified company", please refer DPIIT notification dated 19.02.2019.											

Schedule AL-1		Assets and liabilities as at the end of the year (mandatorily required to be filled up by an unlisted company) (other than a start-up for which Schedule AL-2 is to be filled up)				
DETAILS	A	Details of building or land appurtenant there to, or both, being a residential house				
	Sl. No.	Address	Pin code	Date of acquisition	Cost of acquisition Rs.	Purpose for which used (dropdown to be provided)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(i)													
(ii)													
B	Details of land or building or both not being in the nature of residential house												
Sl. No.	Address		Pin code		Date of acquisition		Cost of acquisition Rs.			Purpose for which used (dropdown to be provided)			
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)			(6)			
(i)													
C	Details of listed equity shares												
	Opening balance			Shares acquired during the year			Shares transferred during the year			Closing balance			
	No. of shares	Type of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Type of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Type of shares	Sale consideration	No. of shares	Type of shares	Cost of acquisition	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
D	Details of unlisted equity shares												
	Name of company	PAN	Opening balance		Shares acquired during the year					Shares transferred during the year		Closing balance	
			No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition
E	Details of other securities												
	Type of securities	Whether listed or unlisted	Opening balance		Securities acquired during the year					Securities transferred during the year		Closing balance	
			No. of securities	Cost of acquisition	No. of securities	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price of security (in case of fresh issue)	Purchase price per security (in case of purchase from existing holder)	No. of securities	Sale consideration	No. of securities	Cost of acquisition
F	Details of capital contribution to other entity												
	Name of entity	PAN	Opening balance	Amount contributed during the year	Amount withdrawn during the year	Amount of profit/loss/dividend/interest debited or credited during the year	Closing balance						
G	Details of Loans & Advances to any other concern (If money lending is not assessee's substantial business)												
	Name of the person	PAN	Opening Balance	Amount received	Amount paid	Interest credited, if any	Closing balance	Rate of interest (%)					
H	Details of motor vehicle, aircraft, yacht or other mode of transport												
	Particulars of asset	Registration number of vehicle	Cost of acquisition	Date of acquisition	Purpose for which used (dropdown to be provided)								
I	Details of Jewellery, archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, any work of art or bullion												

	Particulars of asset	Quantity	Cost of acquisition	Date of acquisition	Purpose of use (dropdown to be provided)			
j	Details of liabilities							
	Details of loans, deposits and advances taken from a person other than financial institution							
	Name of the person	PAN	Opening Balance	Amount received	Amount paid	Interest credited, if any	Closing balance	Rate of interest (%)

NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule.

Schedule AL-2		Assets and liabilities as at the end of the year (applicable for start-ups only)							
If you are a start-up which has filed declaration in Form-2 under para 5 of DPIIT notification dated 19.02.2019, please furnish the following information for the period from the date of incorporation upto end of the year;-									
DETAILS OF ASSETS AND LIABILITIES	A	Details of building or land appurtenant there to, or both, being a residential house acquired since incorporation							
	Sl. No.	Address	Pin code	Date of acquisition	Cost of acquisition Rs.	Purpose for which used (dropdown to be provided)	Whether transferred on or before the end of the previous year, if Yes date of transfer		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	(i)								
	(ii)								
	B	Details of land or building or both not being a residential house acquired since incorporation							
	Sl. No.	Address	Pin code	Date of acquisition	Cost of acquisition Rs.	Purpose for which used (dropdown to be provided)	Whether transferred on or before the end of the previous year, if Yes date of transfer		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	(i)								
	C	Details of Loans & Advances made since incorporation (If lending of money is not assessee's substantial business)							
		Name of person	PAN	Date on which loans and advances has been made	Amount of loans and advances	Amount	Whether loans and advances has been repaid, if Yes date of such repayment	Closing balance as at the end of the previous year, if any	Rate of interest, if any
	D	Details of capital contribution made to any other entity since incorporation							
		Name of entity	PAN	Date on which capital contribution has been made	Amount of contribution	Amount withdrawn, if any	Amount of profit/loss/ dividend/ interest debited or credited	Closing balance as at the end of the previous year, if any	
E	Details of acquisition of shares and securities								
	Name of company/entity	PAN	Type of shares/securities	Number of shares/securities acquired	Cost of acquisition	Date of acquisition	Whether transferred, if Yes date of transfer	Closing balance as at the end of the previous year, if any	
F	Details of motor vehicle, aircraft, yacht or other mode of transport, the actual cost of which exceeds ten lakh rupees acquired since incorporation								
	Particulars of asset	Registration number of vehicle	Cost of acquisition	Date of acquisition	Purpose for which used (dropdown to be provided)	Whether transferred, if Yes date of transfer			

G	Details of Jewellery acquired since incorporation							
	Particulars of asset	Quantity	Cost of acquisition	Date of acquisition	Purpose for which used (dropdown to be provided)	Whether transferred, if Yes date of transfer	Closing balance as at the end of the previous year, if any	
H	Details of archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, any work of art or bullion acquired since incorporation							
	Particulars of asset	Quantity	Cost of acquisition	Date of acquisition	Purpose for which used (dropdown to be provided)	Whether transferred, if Yes date of transfer	Closing balance as at the end of the previous year, if any	
I	Details of liabilities							
	Details of loans, deposits and advances taken from a person other than financial institution							
	Name of the person	PAN	Opening Balance	Amount received	Amount paid	Interest debited, if any	Closing balance	Rate of interest (%)

NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule.

Schedule GST		INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST	
DETAILS OF GST	Sl. No.	GSTIN No(s).	Annual value of outward supplies as per the GST return(s) filed
	(1)	(2)	(3)

NOTE ► Please furnish the information above for each GSTIN No. separately

Schedule FD		Break-up of payments/receipts in Foreign currency (to be filled up by the assessee who is not liable to get accounts audited u/s 44AB)	
Foreign Currency Transaction	S. No.		Amount (in Rs.)
	i	Payments made during the year on capital account	
	ii	Payments made during the year on revenue account	
	iii	Receipts during the year on capital account	
	iv	Receipts during the year on revenue account	

NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule.

Part B

Part B – TI		Computation of total income	
TOTAL INCOME	1	Income from house property (3 of Schedule-HP) (enter nil if loss)	1
	2	Profits and gains from business or profession	
	i	Profits and gains from business other than speculative business and specified business (A 38 of Schedule BP) (enter nil if loss)	2i
	ia	Income of Foreign company from eligible business of selling raw diamonds (refer rule 10TIA) (3iva of Table E of Schedule BP)	2ia

	ii	Profits and gains from speculative business (3(ii) of Table E of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	2ii			
	iii	Profits and gains from specified business (3(iii) of Table E Schedule BP)(enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	2iii			
	iv	Income chargeable to tax at special rates (3d, 3e, 3f & 3b of Table E of Schedule BP)	2iv			
	v	Total (2i + 2ia + 2ii + 2iii + 2iv)				2v
	3 Capital gains					
	a	Short term				
	ia	Short-term chargeable @ 15% (11ii of item E of schedule CG)	aia			
		ib	Short-term chargeable @ 20% (11iii of item E of schedule CG)	aib		
		ii	Short-term chargeable @ 30% (11iv of item E of schedule CG)	aia		
		iii	Short-term chargeable at applicable rate (11v of item E of schedule CG)	aiii		
		iv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (11vi of item E of Schedule CG)	aiv		
		v	Total Short-term (aia + aib + aii + aiii + aiv) (enter nil if loss)	3av		
	b	Long-term				
	ia	Long-term chargeable @ 10% (11vii of item E of schedule CG)	bia			
		ib	Long-term chargeable @ 12.5% (11viii of item E of Schedule CG)	bib		
		ii	Long-term chargeable @ 20% (11ix of item E of schedule CG)	bii		
		iii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (11x of item E of schedule CG)	biii		
		iv	Total Long-term (bia + bib + bii + biii) (enter nil if loss)	3biv		
	c	Sum of Short-term/Long-term capital gains (3av + 3biv) (enter nil if loss)				3c
	d	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)				3d
	e	Total capital gains (3c + 3d)				3e
4 Income from other sources						
	a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	4a			
	b	Income chargeable to tax at special rate (2 of Schedule OS)	4b			
	c	Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	4c			
	d	Total (4a + 4b + 4c)			4d	
5 Total of head wise income (1 + 2v + 3e + 4d)					5	
6 Losses of current year to be set off against 5 (total of 2xvii, 3xvii and 4xvii of Schedule CYLA)					6	
7 Balance after set off current year losses (5 – 6) (Also total of (ii, iii, v to xvi of column 5 of Schedule CYLA+4b+2iv)					7	
8 Brought forward losses to be set off against 7 (total of 2xvi, 3xvi and 4xvi of Schedule BFLA)					8	
9 Gross Total income (7 – 8) (Also total of (i, ii, iv to xiv of column 5 of schedule BFLA+4b+2iv)					9	
10 Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 9					10	
11 Deductions under Chapter VI-A						
	a	Part-B of Chapter VI-A [1 of Schedule VI-A and limited upto total of (i, ii, iv, v, viii, xiii, xiv) of column 5 of Schedule BFLA]			11a	
	b	Part-C of Chapter VI-A [2 of Schedule VI-A]			11b	
	c	Total (11a + 11b) [limited upto (9-10)]			11c	
12 Deduction u/s 10AA (Total Sch. 10AA)					12	
13 Total income (9 - 11c - 12)					13	
14 Income chargeable to tax at special rates (total of (i) of Schedule SI)					14	
15 Income chargeable to tax at normal rates (13 - 14)					15	

16	Net agricultural income(2v of Schedule EI)	16	
17	Losses of current year to be carried forward (total of xx of Schedule CFL)	17	
18	Deemed total income under section 115JB (9 of Schedule MAT)	18	

Part B – TTI		Computation of tax liability on total income				
COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	a	Tax Payable on deemed total Income under section 115JB (10 of Schedule MAT)	1a		
		b	Surcharge on (a) above (if applicable)	1b		
		c	Health and Education Cess @ 4%on (1a+1b) above	1c		
		d	Total Tax Payable u/s 115JB (1a+1b+1c)	1d		
	2	Tax payable on total income				
		a	Tax at normal rates on 15 of Part B-TI	2a		
		b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)	2b		
		c	Tax Payable on Total Income (2a + 2b)	2c		
		d	Surcharge			
		i	25% of 16(ii) of Schedule SI	2di		
		ii	On [(2c) – (16(ii) of Schedule SI)]	2g(ii)		
		iii	Total (i + ii)	2diii		
		e	Health and Education Cess @ 4% on (2c+2diii)	2e		
		f	Gross tax liability (2c+2diii+2e)	2f		
	3	Gross tax payable (higher of 1d and 2f)			3	
	4	Credit under section 115JAA of tax paid in earlier years (if 2f is more than 1d) (5 of Schedule MATC)			4	
	5	Tax payable after credit under section 115JAA [(3 - 4)]			5	
	6	Tax relief				
		a	Section 90/90A(2 of Schedule TR)	6a		
		b	Section 91(3 of Schedule TR)	6b		
	c	Total (6a + 6b)	6c			
7	Net tax liability (5 – 6c) (enter zero if negative)			7		
8	Interest and fee payable					
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	8a			
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	8b			
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	8c			
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	8d			
	e	Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d)	8e			
9	Aggregate liability (7 + 8e)			9		
TAXES PAID	10	Taxes Paid				
		a	Advance Tax (from column 5 of 15A)	10a		
		b	TDS (total of column 9 of 15B)	10b		
		c	TCS (total of column 7 of 15C)	10c		
		d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 15A)	10d		
		e	Total Taxes Paid (10a+10b+10c + 10d)	10e		
	11	Amount payable (9 - 10e) (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)			11	
12	Refund (If 10e is greater than 9)			12		
13	Net tax payable on 115TD income including interest u/s 115TE (Sr.no. 12 of Schedule 115TD)			13		
14	Tax payable u/s 115TD after adjustment of refund at Sl. No. 12 (13-12)			14		

[illegible]

C		Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]									
TCS ON INCOME	SI No	TCS credit relating to self /other person [other person as per rule 37i(1)]	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	PAN of Other Person (if TCS credit related to other person)	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current financial Year (TCS collected during the FY 2024-25)		TCS credit being claimed this Year		TCS credit being carried forward
					Fin. Year in which collected	Amount b/f	Collected in own hands	Collected in the hands of any other person as per rule 37i(1) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of any other person as per rule 37i(1) (if applicable)	
	(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	(6)(ii)	7(i)	(7)(ii)	(8)
										TCS	PAN
i											
NOTE ► Please enter total of column (7)(i) in 10c of Part B-TTI											

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules thereto is correct and complete is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (drop down to be provided and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (Please see instruction). I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)					
Date		Place		Sign here ➞	

[F.No. 370142/16/2025-TPL]

SURBENDU THAKUR, Under Secy., Tax Policy and Legislation

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and was last amended vide notification number G.S.R. 287(E), dated the 03 May, 2025.

Explanatory Memorandum: - It is hereby certified that no person shall be adversely affected by giving retrospective effect to these rules.